वार्षिक प्रतिवेदन
2019 – 2020
Annual Report

निर्यात निरीक्षण परिषद्
EXPORT INSPECTION COUNCIL

(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित)

(Including its Export Inspection Agencies)

दिल्ली • मुंबई • कोलकाता • कोच्ची • चेन्नई

DELHI • MUMBAI • KOLKATA • KOCHI • CHENNAI

वार्षिक प्रतिवेदन
2019 - 2020

निर्यात निरीक्षण परिषद

(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित)

दिल्ली / मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / कोच्ची

विषय-सूची

निदेशक की अभिव्यक्ति

अध्याय	1	अवलोकन	1
अध्याय	2	गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक	13
अध्याय	3	निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं	26
अध्याय	4	मूलस्थान प्रमाण पत्र	32
अध्याय	5	अन्य प्रमुख गतिविधियाँ	39
अध्याय	6	राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग	56
अध्याय	7	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	57
अध्याय	8	जनशक्ति सुदृढ़ीकरण	58
अध्याय	9	निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन	74

निदेशक की कलम से

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) के वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 प्रस्तुत करने में मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। निनिप ने संतोषजनक परिणामों के साथ चुनौतियों से भरा एक और सफल वर्ष पूरा कर लिया है। 2019–20, निनिप के लिए एक ओर विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से निर्यात की गई वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए भारत से गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्यात सुनिश्चित करने में तथा दूसरी ओर निर्यात व्यापार को सुविधा प्रदान करते हुए क्षमता के प्रदर्शन का वर्ष रहा हैं। प्रत्येक गत वर्ष के साथ, निनिप भारत की निर्यात बिरादरी के बीच ही नहीं, बल्कि विश्व में, सर्वश्रेष्ठ व्यापार सुविधा एवं सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में अपनी विश्वसनीयता सीापित करने में सफल रही है। बेहतरीन सेवा प्रदान करने में दृश्यमान अपने कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों के चिरस्थायी उत्साह ने वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने में निनिप की बहुत मद्द की है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, निनिप ने देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलों और परियोजनाओं की खोज की है। नवाचार और नित्य सुधार के सिद्धांत पर काम करते हुए, निनिप ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप द्वीपों में नए डेस्क कार्यालय खोले हैं। इन डेस्क कार्यालयों को खोलने के पीछे का विचार जागरूकता को जगाना और इन सुंदर स्थानों से निर्यात को सुगम बनाना है। निर्यात निरीक्षक परिषद ने अपने क्षेत्रीय संगठनों अर्थात निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) के सहयोग से लोगों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी विचार सीमाओं और संभावनाओं का अन्वेषण जारी रखी है। निर्यात के लिए निनिप के प्रमाणन को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कस्टम यूनियन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, भूटान, तुर्की, कोरिया, जापान और श्रीलंका सहित कई व्यापारिक भागीदारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। कर्मचारियों के कौशल का निर्माण और सम्मान किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी है। निनिप उसी पर विश्वास करती है और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन से अपने अधिकारियों के ज्ञान को उन्नत करने का कार्य जारी रखती है। इन प्रशिक्षणों तथा आउटरीच कार्यक्रमों ने, खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रगति के संदर्भ में बराबर रहने में निनिप की मद्द की है। ऐसी ही एक पहल निनिअ–मुंबई ने वर्ष 2019–20 में खोले खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण (आईटीसीएफएसएएन) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र संचाचित करके की हैं। इस सुविधा का उद्देश्य खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) और निर्यातकों को प्रशिक्षण के साथ–साथ भारत तथा विदेश के प्रयोगशाला कर्मियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

वर्ष 2019–20 के दौरान निनिप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों जैसे कि चीन जनवादी गणराज्य के सीमा शल्क का सामान्य प्रशासन (जीएसीसी), स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्ल्यू) जापान, खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एम एफ डी एस) कोरिया के दौरे भी हुए। सभी प्रतिनिधिमंडलों ने निनिप की प्रमाणन प्रणाली और दक्षता की सराहना की है।

इन दौरों के दौरान की चर्चा, इनपुट और सुझाव न केवल फलदार रहे हैं, बल्कि बाजार पहुंच, मूल्य संवर्धन और प्रणाली में सुधार के संदर्भ में निनिप के दायरे को भी व्यापक बनाते हैं।

जैसा कि कहा जाता है "आकाश ही सीमा है", उसी की तर्ज पर हम अपनी सेवाओं के बेंचमार्क को बढ़ाने के लिए और भी अधिक उत्साह और विवेक के साथ 2021–21 में प्रवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम समर्पण, पारदर्शिता और विश्वास के बुनियादी मूल्यों को और मजबूत बनाते हुए विकास के नए मार्ग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं निनिप परिवार की तरफ से, व्यापारिक साझेदारों, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, निर्यात बिरादरी के सदस्यों और अन्य लोग, जिन्होंने अपने देश से सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के निर्यात सुनिश्चित करने में सदा सहयोग दिया हैं, और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने में निनिप की मदद की है, उन सभी को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

आप सभी को शुभकामनाएं !!

जय हिन्द

दिवाकर नाथ मिश्रा
संयुक्त सचिव एवं निदेशक, निनिप

अवलोकन

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) को भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सशक्त विकास को सुनिश्चित करने और इससे जुड़े मामलों के लिए संसदीय अधिनियम, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत अधिनियमित किया गया था। निनिप गुणवत्ता नियंत्रण के अधीनस्थ उत्पादों को अधिसूचित करने और / या निर्यात से पहले निरीक्षण, ऐसे अधिसूचित उत्पादों के गुणवत्ता मानक स्थापित करने और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रकार को निर्दिष्ट करने और/या ऐसे उत्पादों पर लागू होने वाले निरीक्षण के लिए भी केन्द्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है।

निनिप भारत और आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और साथ ही अधिसूचित उत्पादों के लिए सक्षम प्राधिकरण है जिसके द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। निनिप की प्रमुख भूमिका, आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात के लिए नियम उत्पादों को गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन या तो परेषण–वार निरीक्षण या गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के माध्यम से, अपने क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) को अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित किया गया है। निनिअ समस्त भारत में 24 उप–कार्यालयों के नेटवर्क के साथ अत्याधुनिक एनएबीएल प्रत्यायित आईएसओ 17025 प्रयोगशालाओं के साथ मुंबई, कोलकाता, कोच्वी, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।

निनिप विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, दुग्ध उत्पाद, शहद उत्पाद, अंडा उत्पाद, प्रशीतित/शीतित मांस और मांस उत्पाद, ताजा कुक्कुट मांस और उत्पाद, पशु कैसिंग, जिलेटिन, ओसीन और संदलित हड्डियों, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया), बासमती चावल (ईयू) को प्रमाणित करती है और अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें भी आयात प्राधिकरण/खरीदार की आवश्यकतानुसार स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणन प्रणाली जीएचपी/ जीएमपी/एचएसीसीपी को शामिल करने के दृष्टिकोण पर आधारित है और आयातक देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के अनुरूप है। आयात देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, निनिप ने वैश्विक स्वीकृत विकसित की है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, निनिप ने दुनिया भर में व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वास बनाने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को बदल दिया है। खाद्य सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी उन्नयन के साथ आयात करने वाले देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों को शामिल करने में निनिप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

विश्व व्यापार संगठन समझौतों के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं और बढ़ती मांगों के साथ वैश्विक व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है । वैश्विक खाद्य व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए गैर-प्रशुल्क उपायों द्वारा पारित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वच्छता और पादपस्वच्छता (एसपीएस) पहल तथा एक परिवेश को बनाने की आवश्यकता है। निनिप नेटवर्क को प्राप्त करने और समकक्षता एवं मान्यता के लिए हर संभव अवसर का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयातक देशों के प्रतिनिधिमंडल निनिप द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक नियंत्रण और जोखिम नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन करते हैं। भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण (वाफ्रा) के प्रतिनिधिमंडल; पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) और इस्लामी विकास विभाग मलेशिया (जेएकेआईएम), मलेशिया; पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) के सीमा शुल्क का सामान्य प्रशासन; स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्लू) जापान; खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया ने इस वर्ष का दौरा किया है और निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन में निनिप के आधिकारिक नियंत्रण का आकलन किया है।

निनिप, निर्यातकों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने में तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानक सेटिंग प्रक्रिया में, सक्रिय रूप से शामिल है, और यह सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक प्रदान करता है कि निर्यातकों के हितों की रक्षा अच्छी तरह से हो। निनिप ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है।

नागरिक चार्टर

हमारा –दृष्टिकोण

- एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुगम बनाना और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने तथा गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक मान्यता अर्जित करना।

हमारा लक्ष्य

- विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन आधारित संरचना तैयार करना;
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक भागीदारों के नियामक अधिकारियों में विश्वास पैदा करना;
- चुने हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
- समतुल्यता समझौतों के माध्यम से भारत के व्यापारिक भागीदारों से निनिप निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना; अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने और भारतीय हित को दर्शाना;
- अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता में वृद्धि करना; क्षमता निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ समन्वयित होना.

हमारी मान्यताएं

- हम ईमानदारी और विवेकशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ और जनता के साथ हमारे व्यवहार में शिष्टाचार और समझ के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारी शक्ति

- गुणवत्ता नियंत्रण, लदान पूर्व निरीक्षक और दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मॉनिटरिंग में पांच दशकों से अधिक का अनुभव;
- परीक्षण, ऑडिटिंग और प्रमाणन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम, कुशल, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यातित अधिसूचित उत्पादों के परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए निनिप नेटवर्क पर अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ फेली हुई है;
- निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) को अपने क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से एक मजबूत नेटवर्क से समस्त भारत में अपने क्षेत्राधिकार के सभी प्रमुख बंदरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा उत्पादन केन्द्रों में कार्यालय है;
- समझौता ज्ञापन, समतुल्यता समझौतों आदि के माध्यम से वैश्विक मान्यता के साथ भारत के हित और अधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय के किसी भी विरोधाभास के बिना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत वैधानिक शक्तियों द्वारा समर्थित संगठन।

संगठन चार्ट

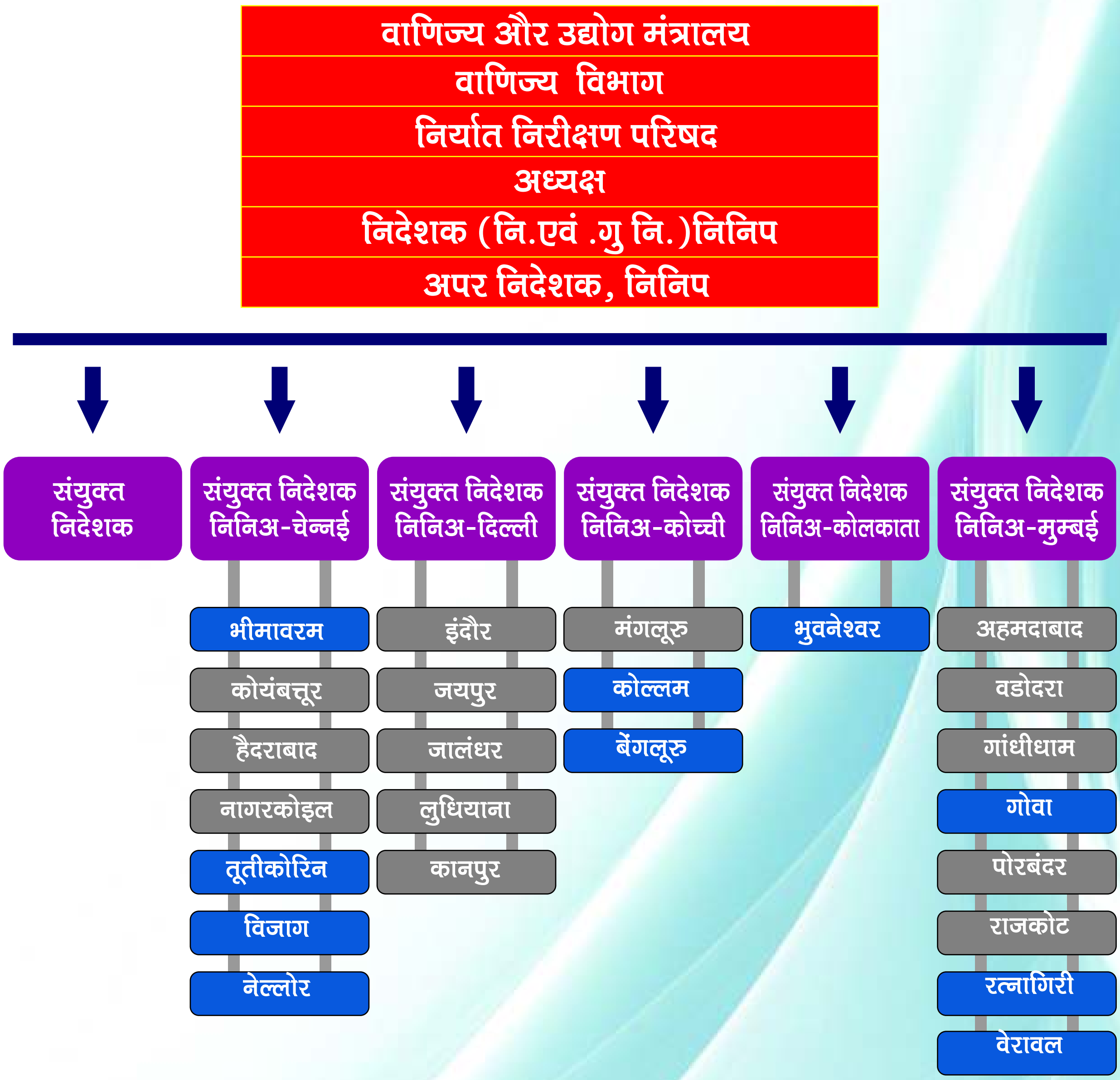

टिप्पणी

- प्रयोगशाला सुविधा के साथ उप–कार्यालयों को नीले रंग तथा प्रयोगशाला सुविधा के बिना उप–कार्यालयों को स्लेटी/ग्रे रंग से इंगित किया गया है।
- नि.नि.अ. के डेस्क कार्यालय केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में हैं।

निनिप की प्रमुख गतिविधियाँ:-

- आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों का अनुमोदन;
- निर्धारित विनिर्देश के अनुसार निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, परेषणवार निरीक्षण (सी डब्ल्यू आई) के आधार पर, पोत लदान, पूर्व निरीक्षण और प्रमाणीकरण;
- विभिन्न अधिमान्य टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए अधिमान्य मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी कर;
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, जैसे की स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, गैर- जीएमओ प्रमाण पत्र आदि जारी करना;
- निरीक्षण अभिकरणों एवं प्रयोगशालाओं की मान्यता;
- आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं;
- प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं और खाद्य उत्पादों की आयात खेप से तैयार नमूनों के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग;
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना की निगरानी और भारत के व्यापार पर उनका प्रभाव।

परिषद सदस्य

अधिसूचना के अनुसार एस.ओ. 488 (अ) दिनांक 01 फरवरी, 2018, केन्द्र सरकार ने, निर्यात निरीक्षण परिषद् को पुनर्गठित किया, जैसा कि नीचे वर्णित हैः–

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	
(1)	**धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (च) के तहत नामांकित सदस्य** (2)	
1.	संयुक्त सचिव (निर्यात निरीक्षण), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
3.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
4.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
5.	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता	सदस्य पदेन
	धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (१) के तहत नामित अन्य सदस्य	
6.	निदेशक (निर्यात निरीक्षण), वाणिज्य विभाग, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
8.	अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
9.	अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि	सदस्य
10.	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड, कोच्चि	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, मांस और मांस उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव, पौध संरक्षण, कृषि मंत्रालय	सदस्य
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएल हाउस, प्लॉट 45, गुरूग्राम, हरियाणा	सदस्य
14.	सलाहकार (मानदंड), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली	सदस्य

15.	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	सदस्य
16.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ, नई दिल्ली	सदस्य
17.	कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान प्लॉट 97, सेक्टर–56, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	सदस्य
18.	नामित सदस्य, मैसर्स जीओ–केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 21, विशाल बाघेश्वरी प्लॉट, दूसरा तल, पोरबंदर, गुजरात	सदस्य
19.	नामित सदस्य, मैसर्स इंस्पेक्टरेट ग्रिफ़िथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नं 23 चेंगलवाराया नेकर मलागाई, चौथा तल, राजाजी सलाई, पैरीज, चैन्नई के नामित सदस्य	सदस्य
20.	नामित सदस्य, मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं 64, जीआईडीसी मेन रोड, धरमपुर, पोरबंदर गुजरात के नामित सदस्य	सदस्य

अधिसूचित उत्पादों की सूची

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 भारत से व्यापार की सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं के आधार पर, निर्यात के लिए अपने मानक के साथ-साथ उत्पादों को अधिसूचित करने के लिए, परिषद की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न उत्पादों को नीचे दी गई तालिका (ए) में दर्शाया गया है:

तालिका : (ए): निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित उत्पाद

अधिसूचित उत्पाद	राजपत्र आदेश (शों) / अधिसूचना (ओं) / आदेश (शों)
पशु केसिंग	आदेश एसओ 2947 दिनांक 03.11.1997 और बाद में अधिसूचना एस. ओ.2948 दिनांक 03.11.1997, बाद में संशोधन (ओं) अधिसूचना एस.ओ .1315 (ई) दिनांक 08.6.2012. नोटिफिकेशन एस.ओ. 6332 (ई) दिनांक 28.11.2018 ।
बासमती चावल	आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23.01.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 68 (ई) दिनांक 23.01.2003 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना एस.ओ. 1139 दिनांक 15.5.2004, अधिसूचना एस.ओ. 716 दिनांक 05.3.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 791 (ई) दिनांक 24.5.2006, एसओ 136 (ई) दिनांक 13.01.2016 अधिसूचना एस.ओ. 6337 (ई) दिनांक 28.11.2018 ।
काली मिर्च	आदेश एस.ओ.245 दिनांक 07.3.1988 और अधिसूचना एस.ओ. 1311 दिनांक 22.4.1991. अधिसूचना एस.ओ. 633 (ई) दिनांक 28.11.2018.
संदलित हड्डी, ओसीन और जिलेटिन	आदेश एस.ओ. 725 (ई) दिनांक 03.4.2012 और अधिसूचना एस.ओ. 726 (ई) दिनांक 03.4. 2012.
अंडा उत्पाद	आदेश एस.ओ.2077 दिनांक 04.08.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 और आदेश S.O.1442 (ई) दिनांक 19.12.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 1443 (ई) दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना एस.ओ.721 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1516 दिनांक 16.06.2008, अधिसूचना एस.ओ. 1952 (ई) दिनांक 22.8.2012 अधिसूचना एस.ओ. 6340 (ई) दिनांक 28.11.2018,

पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण	आदेश S.O 3523 (E) और अधिसूचना S.O. 3524 दोनों दिनांक 28 नवंबर, 2013. अधिसूचना एस.ओ. 6339 (ई) दिनांक 28.11.2018 ।
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	आदेश 729 (ई) दिनांक 21.8.1995 आदेश एस.ओ. 792 (ई) दिनांक 17.8.2001, आदेश एस.ओ. 722 (ई) दिनांक 10.7.2002, आदेश एस.ओ. 464 (ई) दिनांक 24.4.2003, आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक
	23.10.2003 और बाद में आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 31.7.2006 द्वारा संशोधन (ओं) के और सिद्धांत अधिसूचना एस.ओ. 730 (ई) दिनांक 21.8.1995 और बाद में अधिसूचना एस.ओ.415 (ई) दिनांक 11.4.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1029 (ई) दिनांक 24.9.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1034 (ई) दिनांक 9.9.2003 और अधिसूचना S.O.717 दिनांक 25.2.2005, अधिसूचना एस.ओ. 612 दिनांक 15.02.2007, अधिसूचना एस.ओ. 1519 (ई) दिनांक 16.6.2008, अधिसूचना एस.ओ. 2714 (ई) दिनांक 28.10,2009, अधिसूचना एस.ओ.143 (ई) दिनांक 21.01.2011 और अधिसूचना एस.ओ. 497 (ई) दिनांक 10.3.2011, अधिसूचना एस.ओ. 6341 (ई) दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन ।
ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद	आदेश एस.ओ. 1377 (ई) दिनांक 30.12.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 1378 (ई) दिनांक 30.12.2002 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना एस.ओ. 719 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1517 दिनांक 16.6.2008.
फल और सब्जी उत्पाद	आदेश एस.ओ. 3352 (ई) और एस ओ 3353 (ई) दोनों दिनांक 28.10.2016. अधिसूचना एस.ओ. 6338 (ई) दिनांक 28.11.2018.
शहद	आदेश क्रमांक एस.ओ. 276 (ई) दिनांक 04.03.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 277 (ई) दिनांक 04.03.2002 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 1444 दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना एस.ओ. 1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना एस.ओ. 1581 दिनांक 16.06.2008 अधिसूचना एस.ओ. 6336 (ई) दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन.

दुग्ध उत्पाद	आदेश 2719 दिनांक 28.11.2000 और अधिसूचना एस.ओ. 2720 दिनांक 28.11.2000 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 3719 दिनांक 12.11.2002, अधिसूचना एस.ओ. 999 (ई) दिनांक 13.9.2004, अधिसूचना S.O.1397 दिनांक 24.4.2007, अधिसूचना एसओ 712 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1515 दिनांक 16.06.2008 एवं अधिसूचना एस.ओ. 6334 दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन.
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	वाणिज्य विभाग का पत्र दिनांक 16 मई 2013
कच्चा मांस (शीतित / प्रशीतित)	आदेश एस.ओ. 203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना एस.ओ. 204 दिनांक 15.01.1993 और बाद में अधिसूचना एस.ओ .205 दिनांक 25.01.1993, अधिसूचना एस ओ.1989 दिनांक 03.9.1993 और एस ओ 2221 दिनांक 04.10.1993, अधिसूचना एस.ओ. 6335 (ई) दिनांक 28.11.2018 द्वारा संशोधन.
गैर-बासमती चावल	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 29/2015-2020 दिनांक 04.11.2019.

विभिन्न देशों के साथ निनिप प्रमाणन के समझौते / मान्यताएं

निनिप की स्थापना के बाद से आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निनिप की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाने और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ आयातक देशों के प्राधिकारियों में विश्वास उत्पन्न करने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निनिप प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / आपसी मान्यता समझौते (एम आर ए) / समतुल्यता समझौते / मान्यताएं / सहयोग व्यवस्थाएं प्राप्त करने का प्रयास जारी रखती है।

यह व्यवस्थाएं आयातक देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा निनिप के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है और एकाधिक बॉर्डर निरीक्षण से बचने में सुविधा प्रदान करती हैं।

मौजूदा समतुल्यता समझौतों / मान्यताएं / प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सहयोग का विवरण सूचीबद्ध है.

तालिका (बी): समतुल्यता समझौते / मान्यताएं / सहयोग व्यवस्था

देश	अन्तर्निहित उत्पाद	समझौते / मान्यता का वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसएफडीए)	काली मिर्च, खाद्य उत्पादों से जुड़े विनियामक, खाद्य उत्पादों से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र. गोपनीयता प्रतिबद्धता।	1988 2015 2016
यूरोपीय आयोग	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, बासमती चावल, पशु केसिंग, शहद, संदलित हड्डियां, ओसीन और जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली, और मूंगफली उत्पाद, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, (सभी रूपों में शिमला मिर्च और करी पत्ते)	1997 के बाद
कोरिया	जमे हुए समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड मसाले के सामान, प्रोसेस्ड नट्स, चाय, शहद, जैम, संरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा	2004
तुर्की	खाद्य उत्पाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्री और स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्री लंका	श्रीलंका के आयात निरीक्षण योजना के तहत 85 उत्पाद अर्थात् दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, डिब्बाबंद पानी, संरक्षित भोजन, प्रसाधन, साइकिल टायर और ट्यूब, स्टील सेक्शन और तार, बिजली के सामान और पीवीसी केबल और डोरियां आदि।	2005

सिंगापुर	खाद्य और कृषि (अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स.	2005
जापान	पोल्ट्री और समुद्री उत्पाद	2005
कस्टम यूनियन	मछली और मत्स्य उत्पाद दुग्ध उत्पाद	2009 2016
सऊदी अरब	मछली और मत्स्य उत्पाद	2009
चीन	मछली और मत्स्य उत्पाद फ़ीड और फ़ीड सामग्री रेपसीड भोजन मछली भोजन और मछली का तेल चिली खर्च	2012 2013 2015 2018 2019
भूटान	खाद्य और कृषि उत्पाद	2013
नीदरलैंड	सामान्य खाद्य सुरक्षा	2019

निनिप ने अपने संसाधनों और सेवा की गुणवत्ता को विशिष्ट उद्देश्य के साथ बदल दिया है ताकि व्यापार वस्तुओं और डिजिटल इंडिया को आसानी से पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल को पूरा करने के लिए खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए बढ़े हुए अवसर प्रदान किया जा सकें। निनिप अन्य प्रचारक बोर्डों, निर्यातकों, आयातक देशों के प्राधिकारियों और उद्योग संघ, आधिकारिक संरचना के निर्माण में वाणिज्य मंडलों, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता जैसे अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। निनिप विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की क्षमता विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप), भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय, सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों के साथ राष्ट्र को सेवा का 05वाँ दशक सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। चालू वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां, मजबूत नेतृत्व का श्रेय, प्रतिबद्ध और प्रेरित कर्मचारी और सभी संबंधित हितधारकों के समर्थन के साझा प्रयास हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• सीमा शुल्क पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) और निर्यात निरीक्षण परिषद के सामान्य प्रशासनों के बीच भारतीय स्पेंट मिर्च के आयात पर सेनेटरी और फाइटोसैनेटरी विनियमों का एक प्रोटोकॉल 08 मई 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था।

2.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

क) भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण (बाफरा) का निनिप में दौरा.

निनिप और वाफरा के बीच तीसरी संयुक्त समीक्षा बैठक (जेआरएम), भूटान 16 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के आधार पर, निनिअ ने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों (एचसी) की स्कैन की गई प्रति को बाफरा भूटान के नोडल संपर्क बिंदुओं के साथ साझा करना शुरू कर दिया है।

16.04.2019 को बाफरा और निनिप के बीच संयुक्त समीक्षा बैठन के बाद ग्रूप फोटो।

ख) पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) और इस्लामिक विकास विभाग (जेएकेआईएम), मलेशिया का दौरा

भारतीय जिलेटिन और डेयरी निर्यात इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल अर्थात् पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) और इस्लामिक डेवलपमेंट मलेशिया (जेएकेआईएम) विभाग ने 23-26 अप्रैल 2019 के दौरान निनिअ का दौरा किया।

ग) स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्लू) से जापानी प्रतिनिधिमंडल.

निनिप ने सुसंस्कृत श्रिम्प (ब्लैक टाइगर) में स्वच्छता नियंत्रण के निरीक्षण के लिए 1- 6 मार्च 2020 के दौरान स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्लू) से जापानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की सुविधा प्रदान की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की, और पाया कि निनिप का जापान को निर्यात होने वाले ब्लैक टाइगर श्रिम्प के बारे में बेहतर नियंत्रण है। परिणामस्वरूप, जापान ने भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए निरीक्षण आदेश को हटा दिया है, जिससे आयात निरीक्षण नमूने की आवृत्ति 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम हो गई है, जो जापानी बंदरगाहों पर खेपों की शीघ्र निकासी की सुविधा प्रदान करेगा।

1-6 मार्च 2020 के दौरान स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्लू) से जापानी प्रतिनिधिमंडल का दौरा.

घ) चीन के कस्टम पीपुल्स रिपब्लिक (जीएसीसी) प्रतिनिधिमंडल के सामान्य प्रशासन का दौरा.

सीमा शुल्क पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) के सामान्य प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल 16-23 अक्टूबर 2019 के दौरान इंदौर में भारतीय सोयाबीन अनाज प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के लिए भारत आया था; और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सोयाबीन अनाज के बाजार पहुंच के लिए मुंबई में पोर्ट और संगरोध सुविधाएं।

जीएसीसी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा ।

ङ) खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया.

खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर- 03 अक्टूबर, 2019 के दौरान मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रतिष्ठान के ऑनसाइट निरीक्षण के लिए भारत का दौरा किया।

खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया की निनिप में बैठक।

च) बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का दौरा.

बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल ने 19 जुलाई 2019 को निनिप का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ-जीएसपी के आरईएक्स सिस्टम पर बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था।

निनिप में बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का दौरा

2.3 राष्ट्रीय दौरे

क) निदेशक, निनिप का निनिअ- कोच्चि का दौरा

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक, निनिप का निनिअ-कोच्चि में.

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) निनिप और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव ने 25.01. 2020 को निनिअ- कोच्चि का दौरा किया, जहां उन्होंने निनिअ- कोच्चि के कर्मचारियों के साथ बातचीत की और निनिअ- कोच्चि की प्रयोगशाला शाखा का भी दौरा किया।

2.4 क्षमता निर्माण

मानव संसाधन निनिप के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सभी संबंधित हितधारकों के कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध आवधिक क्षमता निर्माण पहल हैं। निनिप /निनिअ अधिकारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण / कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को चालू विकास के बारे में जानने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निनिप / निनिअ द्वारा रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, निनिप / निनिअ अधिकारियों को अन्य हितधारकों द्वारा समन्वित विभिन्न कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए, निनिप समय-समय पर कई पहल करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके हितधारक और निर्यातक बिरादरी नियामक आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। समस्त भारत में 50 से अधिक विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। उपरोक्त के अलावा, निनिप, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव" के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है।

क) निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्ति (पीसीक्यूआई) और लीड इंस्ट्रक्टर (एलआई) पाठ्यक्रम:

पीसीक्यूआई /एलआई प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत में खाद्य सुरक्षा निवारक नियंत्रण गठबंधन (एफएसपीसीए) निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्ति (पीसीक्यूआई) और लीड प्रशिक्षक (एलआई) प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के साथ संयोजन में निनिप की इस पहल के तहत, 2019 के दौरान चार कार्यक्रम कोलकाता (1-5 अप्रैल), चेन्नई (8-12 अप्रैल) और मुंबई (6-10 और 13-17) में आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य एक कैडर को प्रशिक्षित करना है। भारत में लीड प्रशिक्षक, एफडीए खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफएसएमए) आवश्यकताओं से संबंधित मानकीकृत पाठ्यक्रम को विकसित करने और वितरित करने के मिशन के साथ निनिप और निनिअ के 22 अधिकारियों के एक पूल को लीड इंस्ट्रक्टर (एलआई) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और अब वे पीसीक्यूआई पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में कुशल हैं।

ख) समुद्री क्षेत्र के कार्यक्रमों में कौशल वृद्धिः

निनिअ- मुंबई में एसईएमएस प्रशिक्षण कार्यक्रम का वेलेडिकटरी सत्र.

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पांच कार्यक्रमों के सिलसिले में, निनिप ने 10 फरवरी, से 14 फरवरी 2020 के दौरान निनिअ- मुंबई में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के मत्स्य विभाग द्वारा आधिकारिक नियंत्रण द्वारा समुद्री निर्यात (एसईएमएस) में एक और कौशल संवर्धन का आयोजन किया। वर्ष 2020 के अतीत में निनिप ने चेन्नई, कोच्चि, विजयवाड़ा, मैंगलोर और वेरावल में पांच कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि राज्य के मत्स्य अधिकारियों को प्राथमिक उत्पादन स्तर पर ही बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपनाई जा सके। अब तक, कुल 90 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है ।

2.5 कोडेक्स गतिविधियाँ:

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की आवश्यकताओं में वैश्विक बदलाव के बारे में और अपने जनादेश से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से दूर करने के अपने प्रयासों के रूप में, निनिप, ने वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स बैठकों में भाग लिया है:-

- मकाओ एसएआर, पी.आर.चीन में कीटनाशक अवशेषों (सीसीपीआर) पर कोडेक्स समिति का 7-13 अप्रैल 2019 के दौरान 51 वां सत्र, ।
- 21 जून, 2019 को नई दिल्ली, भारत में कोडेक्स ट्रस्ट फंड -2 (सीटीएफ 2) के तहत संयुक्त भूटान-भारत-नेपाल (बीआईएन) परियोजना की स्थापना।
- 11-12 अगस्त, 2019 और 14-16 अगस्त, 2019 के दौरान धुलीखेल, नेपाल और पारो, भूटान में सीटीएफ-2 संयुक्त बिन परियोजना के तहत नेपाल और भूटान के अधिकारियों के लिए “खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यशाला” के लिए विशेषज्ञ के रूप में क्रमशः भागीदारी।
- राष्ट्रीय स्तर पर कोडेक्स कार्य को मजबूत करने और शीर्ष स्तर के निर्णय निर्माताओं में प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों / अवसरों पर चर्चा करने के लिए एफएसएसएआई में 31 अगस्त 2019 को उच्च स्तरीय बैठक।
- 23-27 सितंबर 2019 के दौरान गोवा, भारत में एशिया (सीसीएएसआईए) के लिए एफएओ /डब्लूएचओ समन्वय समिति का 21 वां सत्र।
- 14-16 अक्टूबर 2019 के दौरान नई दिल्ली, भारत में यूएस-सीसीएएसआईए, वार्तालाप 2019.

- एफएसएसएआई / कोडेक्स-इंडिया द्वारा आईआईटीआर, लखनऊ, भारत में 21-24 अक्टूबर 2019 को सीटीएफ- 2 जॉइंट बीआईएन प्रोजेक्ट के तहत आयोजित "केमिकल रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर फूड सेफ्टी" पर कार्यशाला।

उपरोक्त के अलावा, निनिप / निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न कोडेक्स समितियों से संबंधित 9 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजी) में भाग लिया। निनिप ने राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली पर सर्वेक्षण के लिए एफएसएसएआई / कोडेक्स-इंडिया को भी इनपुट प्रदान किए.

सीटीएफ–2 संयुक्त बी.आई.एन. परियोजना के तहत अगस्त 2019 में नेपाल और भूटान में प्रशिक्षण कार्यशालाएं.

सितंबर 2019 के दौरान गोवा, भारत में सीसीएएसआईए का 21 वां सत्र.

(क) अप्रैल 2019 के दौरान मकाओ एमएआर, पी.आर.चीन में सीसीपीआर में 51 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरान प्रतिभागी.

(ख) सितम्बर 2019 के दौरान गोवा भारत में सी.सी. एशिया कमेटी के 21 वें सत्र के दौरान प्रतिभागी

14-16 अक्टूबर 2019 के दौरान नई दिल्ली, भारत में यूएस-सीसीएएसआईए बार्तालाप 2019.

2.6 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानक कॉन्क्लेव।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निनिप ने 15-16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में थीम "ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए मानक" के साथ 6 वें राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव के आयोजन में सीआईआई और वाणिज्य विभाग के साथ भागीदारी की है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के आयोजनों में भाग लेना निर्यातकों के साथ जुड़ने का राष्ट्रीय अवसर प्रदान करता है और राष्ट्रीय मानक सेटिंग कार्यक्रमों में भी भाग लेता है ।

जनवरी 2020 में नई दिल्ली में 06 (छटवी) राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव में निनिप की भागीदारी।

2.7 मेले और प्रदर्शनियाँ

क)सीआईआई-केरल फूड समिट में निनिप की भागीदारी।

सीआईआई-केरल फूड समिट 2019 में निनिप की भागीदारी।

निनिप ने कोच्चि, केरल में 17-18 दिसंबर 2019 के दौरान सीआईआई-केरल खाद्य शिखर सम्मेलन-सम्मेलन और प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण में भाग लिया। निर्यातकों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा निनिप के स्टाल की सराहना की गई। श्री रामेश्वर तेली, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार के निनिअ-कोच्चि के ब्रोशर का अनावरण किया।

ख)भारत में निनिप की भागीदारी इंटरनेशनल सीफूड शो (आ निनिअसएस) -2020

इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो - 2020 ।

निनिप ने एमपीईडीए और एसईएआई द्वारा संयुक्त रूप से 07 से 09 फरवरी 2020 तक आयोजित आ निनिअसएस 2020 में भाग लिया। कार्यक्रम के लिए ज्ञान भागीदार होने के साथ ही निनिप ने भी अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए एक स्टाल लगाया, और एक तकनीकी सत्र में भाग लिया। श्री आरिफ मोहम्मद खान, केरल के माननीय राज्यपाल और श्री रामेश्वर तेली, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, निनिप के निनिप स्टॉल का दौरा किया और निनिप की गतिविधियों और निर्यात व्यापार को प्रदान की गई सेवा के बारे में जानकारी दी।

सम्पूर्ण भारत और अन्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्टाल का दौरा किया गया और उसकी सराहना की गई। श्री निनिअ-कोच्चि के उप निदेशक श्री जयपालन जी. को भी निनिप की ओर से गोल्ड प्रायोजक श्री रामेश्वर तेली, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के लिए स्मृति चिन्ह दिया गया।

2.8 अन्य घटनाएँ और गतिविधियाँ

वर्ष 2019-20 निनिप के लिए एक शानदार वर्ष था, जिसमें कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी कार्यक्रमों को सभी कर्मचारियों की महान भावना और पूर्ण भागीदारी में मनाया गया। ईवेंट / गतिविधियाँ केवल निनिप /निनिअ कार्यालय परिसर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी और अन्य हितधारकों की भागीदारी को भी चिह्नित किया। निनिप /निनिअ ने वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन किया और इन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका (सी): नेशनल इवेंट्स 2019-20.

वर्ष 2019-20 में आयोजित राष्ट्रीय इवेंट्स			
क्र.स.	**गतिविधि**	**गतिविधि का विवरण**	**फोटो**
1.	विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।	7 मई 2019 को "विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस" के अवसर पर शपथ ली गई। जागरूकता फैलाने के लिए पैम्फलेट्स वितरित किए गए और निर्दिष्ट पोस्टर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।	
2.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	प्रतिज्ञा 31 मई 2019 को "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" के दौरान ली गई थी। बोर्ड के प्रदर्शन के साथ-साथ जागरूकता पर्चे का वितरण किया गया।	

3.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2019 को निनिप /निनिअ में मनाया गया। योग सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव के लिए योग के महत्व और लाभों पर बातचीत की गई। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्र के दौरान योग का प्रदर्शन किया।	
4.	हिंदी पखवाड़ा	दिनांक 13-27 सितंबर, 2019 तक निनिप/निनिअ में “हिंदी दिवस/ पखवाड़ा” मनाया गया था। हिंदी कार्यशालाओं के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। शबदावली प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबंन्ध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।	
5.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2019 के दौरान निनिप /निनिअ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।	

6.	राष्ट्रीय एकता दिवस / राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर, 2019 को "राष्ट्रीय एकता दिवस / राष्ट्रीय एकता दिवस" के उत्सव के दौरान निनिअ में एक प्रतिज्ञा ली गई थी।	
7.	स्वच्छ्ता पखवाड़ा	स्वच्छ भारत सप्ताह 01-15 नवंबर 2019 के दौरान निनिप / निनिअ में देखा गया था। सप्ताह के दौरान गतिविधियों, स्वच्छ्ता प्रतिज्ञा, बैनर प्रदर्शित करना, जागरूकता के लिए पत्ता पत्रक, कार्यालय परिसर की सफाई, स्वछ्ता जागरूकता पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श, कार्मिक स्वच्छता दिवस, का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दर्शन की प्राप्ति के एक भाग के रूप में, निनिअ कोच्चि ने कार्यालय परिसर से परे अन्य स्थानों जैसे मछली लैंडिंग और	

		नीलामी केंद्रों में व्यापार की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वच्छ गतिविधियों को बढ़ाया। मत्स्य पालन हार्बर मुनंबम की स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए, निनिअ-कोच्चि ने सीफूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन (एसईएआई), केरल क्षेत्र और एनईटीएफआईएस - एमपीईडीए के सहयोग से 09 नवंबर, 2019 को बंदरगाह पर स्वच्छ गतिविधियां कीं।	
8.	सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और झंडा दिवस	19-25 नवंबर 2019 से सभी निनिअ में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया और 25 नवंबर 2019 को झंडा दिवस मनाया गया।	

निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं

निनिप में, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं, परेषण वार निरीक्षण और एक प्रणाली दृष्टिकोण, यह नीचे विस्तृत हैं:-

क) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी)

एचएसीसीपी / जीएमपी / जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें प्राथमिक उत्पादन नियंत्रणों को पूरा करने और आयात करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान में, इस तरह के सिस्टम को कई खाद्य उत्पादों में बढ़ावा और कार्यान्वित किया जा रहा है। मछली और मत्स्य उत्पादों, पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों, कुचल हड्डी, ऑसिन और जिलेटिन के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों को केवल इस प्रणाली के तहत कवर किए गए अनुमोदित प्रतिष्ठानों से निर्यात किया जा सकता है। अन्य खाद्य उत्पादों, जैसे, काली मिर्च, बासमती चावल, शहद, आदि में भी इस प्रणाली को आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के आधार पर अपनाया जा रहा है।

एफएसएमएससी आधारित प्रमाणीकरण में, प्रसंस्करणकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए इच्छित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण के सभी चरणों में प्रसंसकृत किया जाए, और उचित स्वच्छता की स्थिति के तहत परिवहन किया जाए ताकि नियमों के तहत निर्धारित स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, संयंत्रों को योजना और कार्यान्वयन के लिए खुद की जाँच प्रणाली आवश्यक हैं तथा आवश्यक अभिलेख रखने की आवश्यकता होती है। निनिअ को अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा अनुपालन को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।

ख) परेषण वार निरीक्षण प्रणाली (सी डब्ल्यू आई)

कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत, निर्यात खेप का निनिअ द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। नमूने - नमूने की योजना के अनुसार तैयार किए जाते हैं, और उत्पादों की अनुरूपता को निर्धारित मानकों को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण को कुछ अधिसूचित वस्तुओं बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, खाद्य पदार्थ और पूर्व मिश्रण, फल उत्पाद इत्यादि के लिए भी दिया जाता है, सीडब्ल्यूआई को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत भी पेश किया जाता है।

तालिका (डी): निनिप / निनिअ द्वारा 31-03-2020 तक अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या

स्वीकृत इकाईयों की संख्या						
एफएसएमएससी के अन्तर्गत	**निनिअ-चेन्नई**	**निनिअ-दिल्ली**	**निनिअ-कोच्ची**	**निनिअ-मुंबई**	**निनिअ-कोलकाता**	**कुल**
दुग्ध उत्पाद	25	69	6	0	53	**153**
शहद	0	18	0	0	0	**18**
अंडा उत्पाद	3	1	2	0	1	**7**
ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद	5	1	2	0	6	**14**
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	234	0	227	117	231	**809**
काली मिर्च	0	0	12	0	8	**20**
पशु केसिंग	0	1	0	0	2	**3**
पोषण भोज्य एवं पूर्ण मिश्रण	4	6	2	0	7	**19**
बासमती चावल	0	25	0	0	1	**26**
फल एवं सब्जी उत्पाद	23	4	0	1	36	**64**
रेपसीड खाद्य	0	3	0	0	3	**6**
स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना	15	10	10	0	51	**86**
सोयाबीन खाद्य	0	1	0	0	0	**1**
कुल	**309**	**139**	**261**	**118**	**399**	**1226**

तालिका (ई): निर्यात प्रमाणीकरण

वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रमाणपत्र					
	निनिअ- चेन्नई	निनिअ- दिल्ली	निनिअ- कोच्ची	निनिअ- कोलकाता	निनिअ- मुम्बई
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	29,818	6,170	11,271	11,282	25,448
परेषण-वार निरीक्षण के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीडब्लूआई)	2,460	562	472	342	10,016
गैर जीएमओ प्रमाण पत्र	256	2,990	36	0	4,297
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (वीसीएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	696	3,865	755	0	8,954
तुर्की योजना के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र	132	291	71	2	704
प्रामाणिकता प्रमाण पत्र	0	584	5	0	0

3.1 मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

ताजा, जमे हुए और प्रसंस्कृत मछली और मत्स्य उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम, 1995 के निर्यात के तहत, राजपत्र अधिसूचना संख्या 730 (ई) दिनांक 21 अगस्त 1995 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, अनिवार्य पूर्व-शिपमेंट मछली और मत्स्य उत्पाद का प्रमाणन किया जा रहा है। निर्यात के लिए 2019-20 के दौरान अनुमोदित 308 मछली और मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रतिष्ठान हैं।

3.2 फल और सब्जी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

फल और सब्जियों के उत्पादों के निर्यात से संबंधित आदेश एस.ओ. नंबर 3352 (ई) और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3353 (ई) दोनों दिनांकित 28.10.2016, भारत के राजपत्र में दिनांक 31.10.2016 को प्रकाशित किए गए हैं। नए आदेश ने मूल आदेश एस.ओ. 1420 दिनांक 13.05.1978 को अधिक्रमण किया है और फलों और सब्जियों के उत्पादों (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) के नियमों 2016 को अधिसूचना एस.ओ. 3353 (ई) द्वारा फलों के उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1978 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त आदेश यह सूचित करता है कि फल और सब्जी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण के अधीन होंगे या उन मामलों में निर्यात करने से पहले जहां आयात करने वाले देशों को इस तरह के निर्यात प्रमाणन की आवश्यकता होती है और शुल्क भी कम कर दिया गया है। निपिन अपने निनिअ के माध्यम से इस योजना को लागू कर रही है और 31 मार्च, 2020 के दौरान निनिप के द्वारा निनिअ के योजना कार्यान्वयन हेतू कुल 20 प्रतिष्ठानों को अनुमोदित/नवीनीकृत किया गया है।

3.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 2013 में यूरोपीय संघ और मलेशिया को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3.4 अंडे उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप के ऑर्डर एस.ओ 2077 दिनांक 04.08.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 के संदर्भ में अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए योजना को लागू कर रहा है प्रतिष्ठानों को स्वीकृति और निगरानी निनिअ द्वारा की जाती है। अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य ईयू, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन आदि हैं। निनिप ने इंडोनेसिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आदि जैसे कई अन्य देशों में निर्यात के लिए परिचालन संबंधी मुद्दों का पता लगाने / परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भी पहल की है। दिनांक 31.03.2020 को, अंडे उत्पादों के लिए कुल दो प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी गई है।

3.5 ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों का निर्यात भारत सरकार के आदेश और अधिसूचना एस.ओ. 1377 (ई) और एस ओ 1378 (ई) दोनों दिनांक 30.12.2002 द्वारा (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया। वर्ष 2019–20 निनिअ द्वारा कुल 05 इकाइयों को निनिअ चेन्नई से और प्रत्येक एक निनिअ–मुंबई और निनिअ–कोलकाता से अनुमोदित / संशोधित किया गया है।

3.6 दुग्ध उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

निनिप, दूग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस योजना को आदेश 2719 दिनांक 28.11.2000 और अधिसूचना एस.ओ. 2720 दिनांक 28.11.2000 और समय-समय पर संशोधित किया जाता है । भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में दूध पाउडर, कैसिइन और उसके डेरिवेटिव, पनीर, मक्खन, डिब्बाबंद मिठाइयां, फ्रोजन पनीर, घी आदि शामिल हैं। निनिप ने रूस, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया और मैक्सिको को निर्यात के लिए बाजार पहुंच का मुद्दा उठाया है।

3.7 बासमती चावल के लिए प्रमाणन योजना

बासमती चावल के मूल आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23 जनवरी 2003 में संशोधन एस.ओ. 136 (ई) दिनांक 13 जनवरी 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया । वर्ष 2019-20 में अनुमोदित बासमती इकाइयों की कुल संख्या 06 है जोकि निनिअ-दिल्ली तथा एक निनिअ-मुंबई के कार्यालयलीन नियंत्रण में है ।

3.8 शहद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप शहद के निर्यात प्रमाणन के लिए एक योजना संचालित कर रहा है। इस योजना को अधिसूचित किया गया था आदेश क्रमांक एस.ओ. 276 (ई) दिनांक 04.03. 2002 और अधिसूचना एस.ओ. 277 (ई) दिनांक 04 मार्च, 2002 और बाद में समय-समय पर संशोधन। एफएसएमएससी के अंतर्गत निनिप द्वारा अनुमोदित बारह शहद प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। वर्तमान में, भारत से शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य गैर यूरोपीय संघ के गंतव्यों तक आसानी से हो रहा है। निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुमोदन की वैधता को एक वर्ष से दो वर्ष तक संशोधित किया गया है।

3.9 कच्चे मांस के लिए प्रमाणन योजना (शीतित / प्रशीतित)

कच्चे मांस का निर्यात (शीतित / प्रशीतित) आदेश / अधिसूचना संख्या एसओ: 203 और एसओ: 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया है और निनिअ को निर्यात उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाले अभिकरणों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया । कच्चे मांस का निर्यात (शीतित / प्रशीतित) (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए संशोधित किया गया है, जिसे अधिसूचना एस.ओ. 3023 (ई) और एसओ 3024 (ई) दोनों 28 दिसंबर 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया । निनिप मूल्यांकन टीम में भाग लेने के साथ-साथ योजना को कारगर बनाने के लिए इनपुट प्रदान करके हितधारकों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

3.10 निर्यात के लिए पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज और विटामिन की खुराक, बाइंडर, ज़ू, तकनीकी भोज्य आदि शामिल हैं जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों और यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाते हैं। पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण का निर्यात आदेश और अधिसूचना एस.ओ. संख्या 3523 (ई) और

एस.ओ. 3524 (ई) द्वारा तथा 28 नवम्बर, 2013 के बाद समय-समय पर संशोधित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया ।

3.11 संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात के लिए प्रमाणन योजना

संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात की उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उत्पाद को 3 अप्रैल 2012 के आदेश और अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसे संदलित हड्डियों, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनिटरिंग) नियम, 2012 कहा गया। अधिसूचना के अनुसार, निनिप को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3.12 निर्यात के लिए पशु आवरण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) दिनांक 8 जून 2012 द्वारा पशु आवरण के निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया । पशु आवरण का प्रमुख निर्यात यूरोपीय संघ के देशों में होता है। वर्तमान में निर्यात उद्देश्य के लिए केवल 03 अनुमोदित प्रतिष्ठान हैं। निर्यातक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3.13 स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की योजना।

कई आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारी / खरीदार कुछ खाद्य, फ़ीड और खाद्य संपर्क सामग्री के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / निर्यात योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं जो कि निनिप के अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं। नियामक अधिकारियों के आयात की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और भारत से निर्यात की सुविधा के लिए, निनिअ द्वारा आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में खेप के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है, जो कि आयात करने वाले देशों / खरीदारों की आवश्यकताओं / प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों के नियामक अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। योजना निर्यातक को नमूना तैयार करने और उसे जांचने के लिए अधिकृत करती है जो निर्यात के लिए अग्रणी समय को कम करता है।

मूलस्थान प्रमाणपत्र

वर्ष 2017-18 में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम (आरईएक्स सिस्टम) की शुरूआत ने 2018-19 एवं 2019-2020 में सभी निनिअ और उप कार्यालयों में आरईएक्स पंजीकरण प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को देखा गया । आरईएक्स आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा स्व-प्रमाणन के सिद्धांत पर आधारित है जो मूल पर खुद को तथाकथित बयान देगा। आरईएक्स प्रणाली को जीएसपी के नियमों में संशोधन (ईयू) द्वारा 1063/2010 दिनांक 18.11.2010 में जीएसपी के मूल नियमों में सुधार के संदर्भ में पेश किया गया था। सुधार के अन्य तत्वों में सुधार हुआ है। 1 जनवरी 2011 से उनका प्रभाव, आरईएक्स प्रणाली के आवेदन को 1 जनवरी 2017 से स्थगित कर दिया गया था, ताकि जीएसपी लाभार्थी देशों को तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। निर्यात निरीक्षण परिषद के आरईएक्स सिस्टम में निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा नामित 16 अन्य संगठनों में सक्षम प्राधिकरण में से एक है। सुचारू कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में निर्यातकों या आर्थिक ऑपरेटरों के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, निनिअ ने नीचे दी गई तालिका (जी) में विस्तृत प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न एफटीए के तहत कुल 5,18,883 वरीयता प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

तालिका (एफ) वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र

जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्रों का विवरण							
क्र. सं.	योजना का नाम	निनिअ-चेन्नई	निनिअ-दिल्ली	निनिअ-कोच्ची	निनिअ-कोलकाता	निनिअ-मुम्बई	कुल
		निनिप सीओओ मॉड्यूल के माध्यम से	निनिप सीओओ मॉड्यूल के माध्यम से	निनिप सीओओ मॉड्यूल के माध्यम से	निनिप सीओओ मॉड्यूल के माध्यम से	निनिप सीओओ मॉड्यूल के माध्यम से	
1	जीएसपी	26,725	24,073	24,366	7,203	56,039	1,38,406
2	जीएसटीपी	2,111	2,222	1,050	67	8,010	13,460
3	साप्टा	209	438	3,682	18	5,415	9,762
4	आईएसएफटीए	3,193	3,654	1,060	447	7,451	15,805
5	आईटीएफटीए	81	66	136	0	686	969
6	आईएससीईसीए (सिंगापुर)	0	2	91	0	75	168
7	साफ्टा	3,308	12,033	1,516	14,930	11,140	42,927
8	एपीटीए	8,040	3,536	2,555	2,685	14,343	31,159
9	आईसी पीटीए (चिली)	806	1,289	1,646	238	2,968	6,947
10	आईएमपीटीए (मर्कोसुर)	136	105	61	0	161	463
12	एआईएफटीए	14,626	34,707	25,506	4,289	62,895	1,42,023
11	आईएनकेसीपीए	17,565	10,127	6,767	1,151	21,704	57,314
13	आईएमसीईसीए	491	853	474	38	1,839	3,695
14	आईजेसीईपीए	5,839	15,114	4,053	4,658	12,913	42,577
15	बीए	0	0	123	0	0	123
	कुल	**83,130**	**1,08,219**	**73,086**	**35,724**	**2,05,639**	**5,05,798**

जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र							
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**निनिअ-चेन्नई**	**निनिअ-दिल्ली**	**निनिअ-कोच्ची**	**निनिअ-कोलकाता**	**निनिअ-मुम्बई**	**कुल**
		आम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से	आम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से	आम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से	आम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से	आम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से	
1	जीएसपी	0	0	0	0	0	0
2	जीएसटीपी	0	0	0	0	0	0
3	साप्टा	2	15	0	0	20	37
4	आईएसएफटीए	0	0	0	0	0	0
5	आईटीएफटीए	0	0	0	0	0	0
6	आईएससीईसीए (सिंगापुर)	0	0	0	0	0	0
7	साफ्टा	562	3,639	123	1,217	2,185	7,726
8	एपीटीए	0	0	0	0	0	0
9	आईसी पीटीए (चिली)	530	1,167	288	172	2,112	4,269
10	आईएमपीटीए (मर्कोसुर)	0	0	0	0	0	0
12	एआईएफटीए	0	0	0	0	0	0
11	आईएनकेसीपीए	351	230	127	19	326	1,053
13	आईएमसीईसीए	0	0	0	0	0	0
14	आईजेसीईपीए	0	0	0	0	0	0
15	बीए	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1,445**	**5,051**	**538**	**1,408**	**4,643**	**13,085**

विभिन्न 15 अधिमान्य प्रशुल्क समझौता (पीटीए)/ निःशुल्क व्यापार समझौता (एफटीए) जिसके तहत मूल स्थान प्रमाण पत्र वर्तमान में जारी किए जाते हैं इस प्रकार हैं:-

4.1 अधिमान्य की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी)

सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएँ (जीएसपी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सामान्य नियमों से छूट की एक औपचारिक प्रणाली है, जिसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत (एमएफएन) के रूप में माना जाता है। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,38,406 जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत पोस्ट सत्यापन (पीवी) के लिए अनुरोध 208 प्राप्त हुए हैं।

4.2 व्यापार वरीयताएँ की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

यह समझौता 13 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षरित होने के बाद से चल रहा है और 19 अप्रैल, 1989 से प्रभावी हो गए। समझौते के समर्थन और 77 के समूह के सदस्यों के बीच व्यापार रियायतें प्राप्त करने के बाद चालीस देश सहभागी बन गए हैं। जीएसटीपी टैरिफ, पैरा-टैरिफ, गैर-टैरिफ उपायों, प्रत्यक्ष व्यापार उपायों सहित मध्यम और दीर्घकालिक अनुबंधों और क्षेत्रीय समझौतों के क्षेत्र में व्यवस्था करता है। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 13,460 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.3 एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)

यह समझौता ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार विस्तार की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से और अपने वर्तमान और भविष्य के विकास और व्यापार की जरूरतों के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार उदारीकरण उपायों को अपनाने के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 31,159 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2019-20 में दस पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुये है.

4.4 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (एस ए एफ टी ए / साफ्टा)

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (साफ्टा) की स्थापना इस समझौते के अनुसार रियायतें के आदान प्रदान के माध्यम से बढ़ावा देने और आपसी व्यापार और करार राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देता है । यह करार राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है और इस समझौते के अनुसार व्यापार बाधाओं को दूर करके, मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतियोगिता की शर्तों को बढ़ावा देने, समझौते के कार्यान्वयन और लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण बढ़ाता है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता (साफ्टा) समझौता 1 जनवरी, 2006 को लागू हुआ। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 50,653 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2019-20 में तीन पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

4.5 भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए)

इस समझौते का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के विस्तार और आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करता है। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 15,805 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत 06 पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

4.6 भारत जापान व्यापक भागीदारी समझौता (आईजेसीईपीए)

भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए । इस समझौते के उद्देश्य माल और सेवाओं में व्यापार को उदार और सुविधाजनक बनाना है; निवेश के अवसरों में वृद्धि और निवेश के लिए सुरक्षा को मजबूत करना; बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतियोगिता कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना; कारोबारी माहौल में सुधार; समझौते में सहमत क्षेत्रों में निकट सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना; और इस समझौते के कार्यान्वयन और आवेदन के लिए और विवादों के समाधान के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं बनाने हैं। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 42,577 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2019-20 में तीन पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

4.7 भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (आईकेसीईपीए)

भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 7 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए । इस समझौते के उद्देश्य माल और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना और सुविधा प्रदान करना और निवेश का विस्तार करना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एक सहकारी ढांचा स्थापित करना है; मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढ़ावा देना; व्यापार और निवेश को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शी नियमों का एक ढांचा स्थापित करना है । इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 58,367 प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कुल पोस्ट सत्यापन (पीवी) 43 अनुरोध प्राप्त हुये हैं।

4.8 भारत- मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता (इम्पटा)

भारत मर्कोसुर पीटीए लैटिन अमेरिका के एक व्यापारिक ब्लॉक मर्कोसुर और भारत के बीच 25 जनवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए । मर्कोसुर और भारत गणराज्य के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण के लिए समझौते की रूपरेखा का विस्तार करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाने और पार्टियों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ पारस्परिक तय टैरिफ वरीयताओं देकर व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देना है। इस प्रणाली के तहत 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 463 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.9 चिली के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए)

भारत चिली अधिमान्य प्रशुल्क समझौते पर 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के व्यापार और सामंजस्यपूर्ण विकास के विस्तार को बढ़ावा देना, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना है। इस प्रणाली के

तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 11,216 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.10 भारत-आसियान समझौता

13 अगस्त, 2009 को भारतीय गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर समझौते के तहत माल में व्यापार पर समझौता माल में व्यापार के लिए लागू होगा, और इसके अलावा अन्य सभी मामलों पर रूपरेखा समझौता के साथ विचार किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,42,023 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कुल पोस्ट सत्यापन (पीवी) के लिए 190 अनुरोध प्राप्त हुये हैं।

4.11 भारत अफगानिस्तान मुक्त व्यापार समझौता (आई ए एफ टीए)

इस समझौते के उद्देश्य व्यापार के विस्तार के माध्यम से आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए प्रतियोगिता की उचित स्थिति प्रदान करना है।

4.12 सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (एसएपीटीए/साप्टा)

सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था पर समझौते पर 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। संविदात्मक राज्य इस समझौते के अनुसार रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से, परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एसएपीटीए) की स्थापना करते हैं। । इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 9799 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.13 भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (आईएससीईसीए)

भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का उद्देश्य आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना और बढ़ाना है; माल और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना और बढ़ावा देना, उनके विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और व्यापार और निवेश का विस्तार करना, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना और घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना; क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए, इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 168 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.14 भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

सीईसीए व्यावसायिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों और कुशल व्यक्तियों, क्रॉस-बॉर्डर आपूर्ति और दूरसंचार सेवाओं सहित पर्याप्त क्षेत्रीय कवरेज के साथ, अधिमान्य आधार पर सेवाओं में व्यापार को उदारतापूर्वक बढ़ाएगा। सीईसीए के तहत बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता माल समझौते में आसियान-भारत व्यापार की तुलना में तेजी से समय और घटाई गई बहिष्करण सूची सहित अधिक उदार टैरिफ रियायतों के लिए प्रदान करती है। सीईसीए में बुनियादी ढांचे के विकास, रचनात्मक उद्योगों, पर्यटन,

एसएमई, व्यापार सुविधा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग सम्मलित है। इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 3695 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2019-20 में दो पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

4.15 भारत थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारतीय गणराज्य और थाईलैंड के साम्राज्य की सरकारें अधिक आर्थिक सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगी; उत्तरोत्तर व्यापार में बाधाओं को दूर करने और समाप्त करने के लिए, और पारस्परिक आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक पारदर्शी, उदार और सुविधाजनक निवेश शासन का निर्माण करना; और नए क्षेत्रों का पता लगाने और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना है. इस प्रणाली के तहत, 2019-20 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 969 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। 2019-20 में इस योजना के तहत कोई पोस्ट वेरिफिकेशन (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

5.1 निनिप एवं निनिअ में नए विकास

5.1.1 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) / एनआरएल (एएनआरएल) की सहायक सुविधा के रूप में निनिअ प्रयोगशालाओं की मान्यता.

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन से डॉ. जे.एस. रेड्डी अपर निदेशक, निनिप मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए.

एफएसएसएआई ने तीन निनिअ प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) / एनआरएल की सहायक सुविधा (एएनआरएल) विस्तृत रूप में घोषित किया:-

1. निर्यात निरीक्षण -कोच्चि प्रयोगशाला - जीएमओ (आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव) परीक्षण के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल)।
2. भारी धातु के क्षेत्र में एनआरएल (एएनआरएल) की सहायक सुविधा के रूप में निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोलकाता, प्रयोगशाला।
3. निर्यात निरीक्षण अभिकरण- चेन्नई प्रयोगशाला माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एनआरएल (एएनआरएल) की सहायक सुविधा के रूप में।

डॉ. जे. एस. रेड्डी, अपर निदेशक, निनिप ने 23 अगस्त 2019 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से एनआरएल / एएनआरएल के रूप में निनिअ प्रयोगशालाओं की मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

5.1.2 निनिअ- मुंबई में आईटीसी-एफएसएएन का उद्घाटन।

(ए) सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफएसएसएआई (बी) श्री डी. एन. मिश्रा, संयुक्त सचिव, निदेशक, निनिप, द्वारा आईटीसी-एफएसएएन का उद्घाटन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए।

खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी-एफएसएएन) का उद्घाटन 22 सितंबर 2019 को निनिअ- मुंबई में किया गया। यह प्रशिक्षण केंद्र निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी (जीएफएसपी), विश्व बैंक की एक पहल के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। यह सुविधा खाद्य श्रृंखला में विभिन्न हित धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा संचालकों (एफबीओ), निर्यातकों आदि सहित खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। आईटीसी-एफएसएएन में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सुविधा (एचओटी) भारत और पड़ोसी देशों के प्रयोगशाला कर्मियों को भोजन में अवशेषों और दूषित पदार्थों के विश्लेषण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

5.1.3 केंद्र शासित प्रदेशों में डेस्क कार्यालयों का उद्घाटन।

प्रयोगशाला अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों में डेस्क कार्यालयों का उद्घाटन।

निनिअ का डेस्क कार्यालय क्रमशः 17.9.2019 और 02.10.2019 को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में खोला गया था। अधिकारी जागरूकता पैदा कर रहे हैं और इन दूरस्थ स्थानों से निर्यात को सुविधाजनक बना रहे हैं।

5.1.4 निर्यात में आसानी के लिए डिजिटल पहल

सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिनल (सीओओ) के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म 25 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। इंडो-चिली के साथ शुरू करने के लिए तरजीही व्यापार समझौते को लाइव किया गया था और निनिअ इस मॉड्यूल के माध्यम से भारत-चिली के लिए सीओओ जारी कर रहे हैं। अन्य सीओओ को जल्द से जल्द लाइव किया जाएगा।

5.1.5 यूरोपीय संघ (ईयू) को चावल के निर्यात के लिए निरीक्षण का अनिवार्य निनिप / निनिअ प्रमाणपत्र.

प्री-शिपमेंट निरीक्षण 4 नवंबर, 2019 से प्रभावी कीटनाशक अवशेषों के कारण अस्वीकृति को संबोधित करने के लिए बासमती चावल के अनुरूप यूरोपीय संघ के निर्यात के लिए गैर-बासमती चावल के लिए पेश किया गया है।

5.1.6 भारत कोड पोर्टल पर निनिप नियम

निनिप से संबंधित सभी विनियम भारत कोड पोर्टल (वेबसाइट https://indiacode.nic.in) पर उपलब्ध कराए गए है ।

5.2 निनिप की भागीदारी

5.2.1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तनुवास-2020.

डॉ. जे. एस. रेड्डी, अपर निदेशक, निनिप, को तनुवासा में सम्मानित किया गया।

निनिप ने मद्रास वेटरनरी कॉलेज, चेन्नई (भारत), तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 28, 29 जनवरी, 2020 के दौरान "पशुधन, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा - चुनौतियाँ, (तनुवासा) के अवसर और रणनीतियाँ (आईसीएफएस 2020)" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। डॉ. जे.एस. रेड्डी, अपर निदेशक,निनिप, को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5.2.2 यूएसडीए कार्यशाला.

8-10 जुलाई 2019 से यूएसडीए कार्यशाला में निनिप की भागीदारी

निनिप ने 8-10 जुलाई 2019 को नई दिल्ली, भारत में "खाद्य सुरक्षा नीति, व्यापार मानक और सामंजस्य" पर यूएसडीए कार्यशाला में भाग लिया। निनिप के सहायक निदेशक, श्री प्रमोद सिवाच ने दिन 1 पर निर्धारित "स्टेट-एंड-द करंट ऑन एसपीएस कार्यान्वयन" पर सत्र के दौरान स्पीकर के रूप में भाग लिया और एसपीएस कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया, एसपीएस सामंजस्य के लिए उनके प्रयास, कोडेक्स, आईपीपीसी, ओआईई आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना, सामंजस्य पर देश के अनुभव, चुनौतियों और केस स्टडीज का सामना करना पड़ रहा है।

5.3 प्रयोगशाला की गतिविधियों और उपलब्धियाँ

प्रयोगशालाएँ निनिप के निर्यात नियंत्रण कार्यक्रम की जड़ हैं और नमूनों के परीक्षण को करने के लिए निनिप के पास प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क है। भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई में स्थित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त पाँच खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, जो निर्यात के लिए खाद्य उत्पादों के प्रमाणन में संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) का समर्थन करती हैं। । निनिअ में नियमित सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण के लिए अपने उप कार्यालयों से जुड़े क्षेत्र प्रयोगशालाएं भी हैं। इसके अलावा, एक खाद्य अनाज परीक्षण प्रयोगशाला निनिअ-दिल्ली में स्थित है, जिसे आईएसओ 17025: 2017 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है।

निनिअ प्रयोगशालाओं के अलावा, निनिप की एकीकृत प्रयोगशाला मूल्यांकन योजना (आईएलएएस) के अनुसार, आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं के परीक्षण के उद्देश्य से बाहरी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त स्वीकृत बाहरी प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 31 मार्च, 2020 तक 48 है।

5.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) 2019-20 की प्रमुख गतिविधियाँ / उपलब्धियाँ.

5.4.1 निनिअ - चेन्नई

- निनिअ–चेन्नई प्रयोगशाला ने जर्नल ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जो इस विषय पर 01.12.2019 को प्रकाशित किया गया: प्राकृतिक अर्क के उपयोग से टोमाटो में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक का प्रभावी निष्कासन। प्रयोगशाला ने प्रमुख भूमिका निभाई और इसके अधिकारी इस शोध पत्र को प्रकाशित करने में सह–लेखक थे।

- 2019–20 के दौरान लगभग 12,000 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिससे रिपोर्टिंग परिणामों के लिए टर्नअराउंड समय बना रहा।

- निनिअ–चेन्नई प्रयोगशाला ने आईएसओ / आईईसी 17043:2010 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुपालन में "प्रवीणता परीक्षण प्रदाता" के रूप में मान्यता की स्थिति प्राप्त की, 18 जनवरी 2020 को जैविक क्षेत्र में एनएबीएल द्वारा और मान्यता की निरंतरता बनाए रखी।

- निनिअ–चेन्नई प्रयोगशाला और इसकी पीटी प्रदाता सुविधा 08.08.2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एफएसएसएआई द्वारा राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला को सहायक सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- निनिअ–चेन्नई प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) ने विब्रियो कोलेरी पर पीटी का आयोजन किया है। पीटीपी सफलतापूर्वक मानक और विब्रियो कोलरा के संरक्षण और पीटी उद्देश्य के लिए स्थिरता अध्ययन पूरा कर सकता है। यह पीटी दौर की एक शानदार सफलता थी जिसमें 74 पीटी प्रतिभागियों ने पीटी दौर में भाग लिया था। विब्रियो हैजे पर पीटी का आयोजन नोवल है और भारत में पहली बार निनिअ–चेन्नई पीटीपी द्वारा पूरा किया गया है।

5.4.2 निनिअ- दिल्ली

- निनिअ–दिल्ली प्रयोगशाला ने आईएसओ /आईईसी 17025:2005 के अनुसार एनएबीएल मान्यता का अनुपालन जारी रखा है। एनएबीएल द्वारा संचारित मौजूदा निगरानी के अनुसार डेस्कटॉप निगरानी ऑडिट जुलाई, 2019 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में निनिअ–दिल्ली प्रयोगशाला कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन (सीडब्ल्यूआई) के तहत बासमती चावल के नमूनों का परीक्षण कर रही है, स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के साथ–साथ निनिअ–दिल्ली के निरीक्षण खंड से प्राप्त निगरानी यात्राओं के दौरान लिए गए नमूने, उप कार्यालयों सहित अन्य एजेंसियां मान्यता के दायरे के अनुसार भौतिक पैरामीटर और नमी के लिए निनिप के नियंत्रण में। निनिअ–दिल्ली प्रयोगशाला जारी किए गए सभी परीक्षण रिपोर्टों पर आईएलएसी एमआरए मार्क का उपयोग कर रही है। आईएसओ / आईईसी 17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन किया जाता है।

- प्रयोगशाला ने 2019–20 के दौरान बासमती चावल के 419 नमूनों का परीक्षण किया था।

- प्रयोगशाला ने परीक्षण के परिणाम की वैधता को सुनिश्चित करने और तकनीकी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण जांच के अलावा 2019–2020. की अवधि के दौरान पीटी कार्यक्रम में भाग लिया था, जैसा कि नीचे वर्णित पीटी प्रदाता द्वारा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार आईएसओ / आईईसी 17043:2010. उपरोक्त पीटी प्रदाता द्वारा प्राप्त भागीदारी के प्रमाण पत्र के आधार पर जेड / जेड स्कोर संतोषजनक है।

- "आईएसओ 17025:2005 से आईएसओ 17025:2017" पर संक्रमण प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कैलेंडर में

उल्लिखित अन्य प्रशिक्षण सभी संबंधित कर्मियों के लिए आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन–हाउस प्रशिक्षण उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रदान किया गया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रयोगशाला में जरूरत पड़ने पर नियुक्त किया गया है।

5.4.3 निनिअ-कोच्चि

- प्रयोगशाला को एफएसएसएआई (भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा "राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म (जीएमओ)" के क्षेत्र में 08–08–2019 के तीन वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त है।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने रासायनिक और जैविक में पंद्रह अंतर्राष्ट्रीय प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों में सफल भागीदारी द्वारा परीक्षण में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसमें आणविक जीव विज्ञान परीक्षण क्षेत्र अनुमोदन के दायरे के आधार पर शामिल हैं।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने परीक्षण के नए दायरे को बढ़ाने के साथ वर्ष 2019–20 के दौरान एकीकृत मूल्यांकन (जिसमें निनिप और एफएसएसएआई अनुमोदन शामिल है) के माध्यम से अपनी एनएबीएल मान्यता को सफलतापूर्वक नवीनीकृत किया है।
- डीएसी प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए परियोजना–काली मिर्च, मसालों और सब्जियों में 'कीटनाशक अवशेषों की निगरानी' वर्ष 2019–20 के लिए जारी रखी गई थी।
- निनिअ–कोच्चि प्रयोगशाला ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान निनिप द्वारा सौंपे गए सभी निनिअ के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद के समन्वय और उचित रूप से पूरा करने के लिए सभी प्रया किए हैं।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने 04.03.2020 पर जापान के प्रतिनिधिमंडल के 31.05.2019 को यूएसएफडीए के प्रतिनिधिमंडल और 24.09.2019 को कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को निनिअ–कोच्चि और प्रयोगशाला में समन्वित और संगठित किया है।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने 10–13 दिसंबर, 2019 के दौरान निनिअ–कोच्चि में एफएसएसएआई और निनिप द्वारा संयुक्त रूप से "ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टोट) प्रोग्राम ऑन माइकोटॉक्सिन" के विश्लेषण का समन्वय किया है।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने मछली प्रसंस्करण उद्योग के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद के माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन किया है और वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 62 प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षित किया है।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने निनिअ–कोच्चि में 07–08 मार्च 2020 के दौरान आईएसओ 17025:2017 के अनुसार आंतरिक ऑडिट पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया।
- निनिअ–कोच्चि लैब ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के संगठनों / निकायों जैसे आईसीडीएस रायपुर, छत्तीसगढ़ के साथ अनुबंधों को नवीनीकृत किया है; नौसैनिक बेस कोचीन और भारतीय खाद्य निगम विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए परीक्षण सेवाओं का विस्तार करने के लिए, जिसमें खाद्यान्न, खाने के लिए तैयार भोजन आदि शामिल है।

5.4.4 निनिअ - कोलकाता

- निनिअ–कोलकाता को सब्जी के नमूनों में दूषित पदार्थों को इकट्ठा करने और परीक्षण करने के लिए सौंपा गया है। पूर्वी क्षेत्र के कुल 990 में 15 स्थानों से 12 राज्य शामिल हैं। 14 धातु संदूषकों, जैसे लीड, कैडमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकेल, आर्सेनिक, मर्करी, एल्युमिनियम, सैलेनियम, कोबाल्ट, एंटीमनी, आयरन, कॉपर और 14 धातुओं की उत्पत्ति के लिए एक अध्ययन करने के लिए 14 धातु दूषित पदार्थों के नमूने का विश्लेषण किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में दूषित पदार्थों पर वैज्ञानिक पैनक की सिफारिश के अनुसार सब्जियों में जस्ता, निनिअ–कोलकाता प्रयोगशाला ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और एफएसएसएआई को परिणाम और रिपोर्ट सौंपी।

- निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोलकाता प्रयोगशाला को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अनआरएल (एएनआरएल) की सहायक सुविधा के रूप में (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियमन, 238 अगस्त 2019 को आदेश संख्या 12013/02/2017–क्यूए (वाय.–1) समर्थन सुविधा में खाद्य श्रेणियों में भारी धातु परीक्षण के क्षेत्र में पीटीपी के रूप में मान्यता दी गई है।

- प्रयोगशाला को डीएसी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से सब्जी के नमूनों में कीटनाशकों व अवशेषों के नमूने और विश्लेषण के लिए सौंपा गया है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक कुल 1841 नमूनों का परीक्षण किया गया।

- 72 मापदंडों के लिए 14 पीटी कार्यक्रमों में भाग लिया।

- मानकों के लिए हांगकांग की सरकारी प्रयोगशाला (जीएलएचके) द्वारा आयोजित चूर्ण वाले चावल में विषाक्त धातु/धातु के मसाले के लिए एलएबीएल, नई दिल्ली के माध्यम से पीटी प्रोग्राम एपीएमपीएपीएलएसी संयुक्त परीक्षण कार्यक्रम (एपीएलसीटी110) में भाग लिया।

- अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक निनिअ–कोलकाता प्रयोगशाला ने गढ़वाले गेहूं के आटे और गढ़वाले चावल के आटे में जस्ता (जीएल) के लिए कई अंतर प्रयोगशाला तुलनात्मक (आईएलसी) कार्यक्रम (आईएल सी 2019 / 06 और 07) का आयोजन किया। 18 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। नमी के लिए आईएलसी कार्यक्रम, पानी में घुलनशील पदार्थ, क्लोराइड सामग्री, एनएसीआई के अलावा पानी में घुलनशील पदार्थ, आयोडीन सामग्री, सीसा (पीबी), आर्सेनिक (एएस) और आयरन (एफई) आयोडीन युक्त नमक में जबकि 20 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। 27 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट गुरूत्व के लिए आईएलसी कार्यक्रम, हनी में कुल चीनी, ऐश, अम्लता (फार्मिक एसिड के रूप में व्यक्त), फ्रुक्टोज ग्लूकोज अनुपाल, सुक्रोज, नमी, सीसा (पीबी) और कैडमियम (सीडी)। 19 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। चाय के नमूने में कैफीन, कुल ऐश, क्रूड फाइबर, पानी निकालने, क्षारीय जल घुलनशील राख (के2ओ के रूप में) के लिए आईएलसी कार्यक्रम।

- निनिअ – कोलकाता प्रयोगशाला को एफएसएसएआई और निपिन द्वारा एओएसी 2015.06 विधि और एफडीए (आईसीपी एमएस) विधि के अध्ययन और कार्य क्षमता के लिए सौंपा गया था। तदनुसार यह प्रयोगशाला अध्ययन पूरा हो गया, और पाया कि एओएसी (2018.06) गढ़वाले गेहूं के आटे और चावल के आटे में जस्ता के आकलन के लिए संतोषजनक है।

- प्रवीणता परीक्षण प्रदाता मूल्यांकन ऑडिट (आईएसओ / आईईसी 17043:2010) और पेय पदार्थों, फलों और सब्जियों और इसके उत्पादों और अनाज और दलहन उत्पादों, जड़ी–बूटियों, मसालों और मसालों, अखरोट और अखरोट उत्पादों में तीन वस्तुओं भारी धातुओं और स्कोप का विस्तार। 2019–20 के दौरान 28–29 सितंबर को चाय, कॉफी, चीनी और चीनी उत्पाद।
- अप्रैल–2019 में चार पीटी राउंड सफलतापूर्वक आयोजित, बीवी–0519 एचएम (पेय–फलों के रस में भारी धातु और खनिज), जून–2019 में एफए–0719 एचएम (खाद्य और कृषि उत्पादों में भारी धातु और खनिज – अनाज आधारित उत्पाद) एफवी–0919 एचएम (2019–20 के दौरान 2019–20 के दौरान, सितंबर 2019 और एफएफ–12019 एचएम (मछली आधारित सामग्री में भारी धातु और खनिज)।
- निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोलकाता उप कार्यालय भुवनेश्वर (प्रयोगशाला) आईएसओ / आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला ने अपनी सुविधा में 5 और 6 फरवरी 2020 के दौरान एलिसा तकनीक द्वारा मछली और मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की स्क्रीनिंग पर प्रौद्योगिकीविद् के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया।

5.4.5 निनिअ- मुंबई

- निर्यात व्यापार की सुविधा के लिए निनिअ मुंबई प्रयोगशाला में एक खाद्य प्रोफाइलर के रूप में एनएमआर तकनीक द्वारा हनी नमूनों की भौगोलिक उत्पत्ति और प्रामाणिकता का निर्धारण करने लिए लिए विश्लेषण के लिए सुविधा विकसित और स्थापित की।
- वर्ष 2019–20 के दौरान सफलतापूर्वक आईएसओ–17043:2010 के अनुसार पीटी प्रदाता के रूप में प्रत्यायन के नवीकरण को बनाए रखाः एफ एंड एफपी मैट्रिक्स में गुंजाइश के साथ एंटीबायोटिक के लिए 04 पीटी कार्यक्रम का आयोजन किया।
- यूरोपीय संघ की आवश्यकताओं के अनुसार हनी एंड मिल्क मैट्रिक्स में एंटीबायोटिक्स के नए आरएमपी यौगिकों का विकास किया गया है, आईएसओ–17025:2017 के अनुसार एनएबीएल दायरे के तहत विकसित, मान्य और कवर किया गया है।
- सह–पीआई के रूप में वर्ष 2019–2020 के लिए पश्चिमी क्षेत्र (06 स्थानों) से विभिन्न सब्जियों के नमूनों में एफएसएसएआई प्रायोजित परियोजना "भारी धातुओं के विश्लेषण पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- वर्ष 2019–2020 के लिए एमपीआरएनएल–आईएआरआई–डीएसी परियोजना के तहत सब्जियां, चावल और मसालों के नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष विश्लेषण परियोजना को पूरा किया।
- मान्यता प्राप्त क्षेत्र के अनुसार वर्ष 2019–20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पीटी कार्यक्रम (रासायनिक, अवशेष, सूक्ष्म, आणविक) में भाग लिया। लैब ने आईएसओ–17025:2017 के अनुपालन के लिए संतोषजनक जेड–स्कोर प्राप्त किया है।
- चावल, चाय, कॉफी और मसाले, चावल, एफ एंड वी, ऑक्रैटॉक्सिन (Ochratoxin) जैसे विभिन्न खाद्य मैट्रीस में कीटनाशक अवशेषों का दायरा बढ़ाया और आईएसओ–17025:2017 के अनुसार एनएबीएल दायरे में शामिल किया गया।
- मछली और मछली उत्पादों में क्रस्टेशियन और सेफेलोपोड्स (ताजा, जमे हुए, सूखे और ठंडा) सहित रोगजनकों/वायरस के रोगाणु की पहचान और पहचान। आईएसओ–17025:2017 के अनुसार एनएबीएल दायरे के तहत कवर किया गया।
- प्रजातियों के विशिष्ट डीएनए मार्करों का उपयोग करके मांस और मांस उत्पादों में मांस प्रजातियों के परीक्षण का प्रमाणीकरण।

- फीड नमूनों में जुगाली करने वाले मांस के निशान का पता लगाना, डीएनए सीक्वेंसिंग विश्लेषण–माइटोकॉन्ड्रियल 12एस राइबोसोमल आरएनए (आरआरएनए) जीन का उपयोग करके अज्ञात मांस (ताजा और जमे हुए) की पहचान, स्वचालित केशिका वैद्युतकण संचालन (क्वांटिटेटिव) का उपयाग करके चावल माइक्रोसैटेलाइट मार्कर आधारित टुकड़ा विश्लेषण के माध्यम से आधारभूत का प्रमाणीकरण। आधारित विश्लेषण विधि और गुणात्मक परीक्षण (35एस प्रमोटर, एफएमवी प्रमोटर और एनओएस टर्मिनेटर लक्षित स्क्रीनिंग का उपयोग करके गैर–जीएमओ उत्पाद का प्रमाणीकरण और आईएसओ–12025:2017 के अनुसार एनएबीएल दायरे में शामिल किया गया है।

5.5 निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता

भारत सरकार ने निनिप निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना 2012 के अनुसार निनिप की सिफारिश पर निजी निरीक्षण एजेंसियों को मान्यता दी है, प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ "ए" श्रेणी के अंतर्गत, धारा 7 के तहत (गुणवत्ता एवं नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963, अधिसूचित खनिजों और अयस्कों के पूर्व शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणन के लिए निर्या का 1) यह योजना व्यापार करने में आसानी के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप है और रणनीतिक सीनों पर निरीक्षण और परीक्षण के लिए उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करके निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान करती है।

5.6 ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली

निनिप अधिसूचित खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। गैर–अधिसूचित खाद्य वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जहाँ भी आयात करने वाले देश प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ई–प्रमाणन के माध्यम से 2019–20 के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या तालिका (एच) में दिए गए ब्रेक–अप के अनुसार 99,296 हैं।

तालिका (एच) : ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली 2019-20 के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र

क्र.स.	प्रमाणपत्र प्रारूप	प्रमाणपत्रों की संख्या
1	मात्स्यिकी सामान्य प्रारूप (गैर-ईयू)	33,340
2	अन्य-उत्पाद स्वैच्छिक	22,995
3	मात्स्यिकी यूरोपीय संघ	11,141
4	अन्य-उत्पाद गैर-जीएमओ	6846
5	दूध गैर यूरोपीय संघ	3212
6	मात्स्यिकी चीन	15,573

7	अन्य उत्पाद तुर्की	1331
8	मात्स्यिकी रूस	1104
9	मूंगफली उत्पाद यूरोपीय संघ	938
10	मूंगफली उत्पाद मलेशिया	810
11	अंडा गैर यूरोपीय संघ	1016
12	मात्स्यिकी जीसीसी देशों	269
13	मात्स्यिकी ईयू प्रारूप-गैर ईयू देश	626
14	मात्स्यिकी इज़राइल	37
15	अंडा यूरोपीय संघ	47
16	पशु केसिंग यूरोपीय संघ	11
	कुल	**99,296**

5.7 गैर जीएमओ प्रमाण पत्र जारी करना

निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा कृषि और खाद्य वस्तुओं के लिए गैर जीएमओ प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष में विभिन्न कृषि और खाद्य जिंसों के लिए कुल 6,846 गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। निनिअ कोच्चि और निनिअ- मुंबई में गैर-जीएमओ के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

5.8 प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र

यूरोपीय आयोग ने निनिप /निनिअ को काउंसिल रेगुलेशन (ईसी) नंबर 797/2006 के अनुसार यूरोपीय संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी है। तदनुसार, निनिअ यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए बासमती चावल के लिए प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए निनिअ के द्वारा बासमती चावल के लिए प्रामाणिकता के 589 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

5.9 परिणाम की निगरानी योजना

यूरोपीय संघ अवशेष निगरानी योजनाएं (आरएमपी), जो यूरोपीय संसद और 15 मार्च 2017 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2017/625 में उल्लिखित अवशेषों और पदार्थों के समूहों की निगरानी की गारंटी देती है, निर्यात के लिए आवश्यक पूर्व में से भोजन की उत्पत्ति के लिए एक है, तदनुसार, निनिप पशु मूल के विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए ईसी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न अवशेष निगरानी योजनाओं को लागू कर रहा है। ईयू विनियमन के अनुसार, निनिप ने वर्ष 2019-20 के लिए अंडा उत्पादों, हनी, दूध उत्पादों और ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पादों के लिए आरएमपी तैयार और प्रस्तुत किया।

2019-20 के दौरान, 8,764 नमूनों का परीक्षण आरएमपी और राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के लिए किया गया:-

तालिक (आई): अवशेष मॉनिटरिंग योजना 2019-20 के तहत परीक्षण किए गए नमूने:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) / अवशेष निगरानी योजना (आरएमपी) डेटा	
उत्पाद	**2019-20 में एनआरसीपी/आरएमपी के तहत परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या**
जलकृषि उत्पाद	7,392
अंडा उत्पाद	200
शहद	336
कुक्कुट मांस उत्पाद	536
दुग्ध उत्पाद	300
कुल	**8,764**

5.10. अन्य गतिविधियां:

5.10.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचना की निगरानी पर परियोजना:

निनिप "विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा जारी किए गए टीबीटी अधिसूचनाओं की निगरानी के लिए प्रणाली पर परियोजना" को लागू कर रहा है। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टें व्यापार नीति विभाग, वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गईं और इन्हें निनिप की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

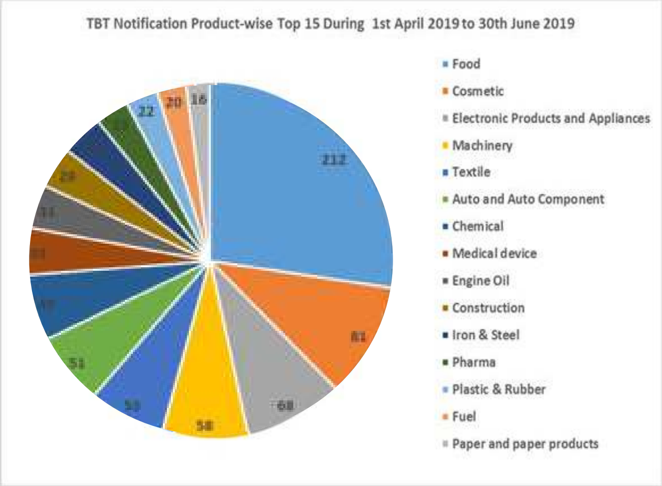

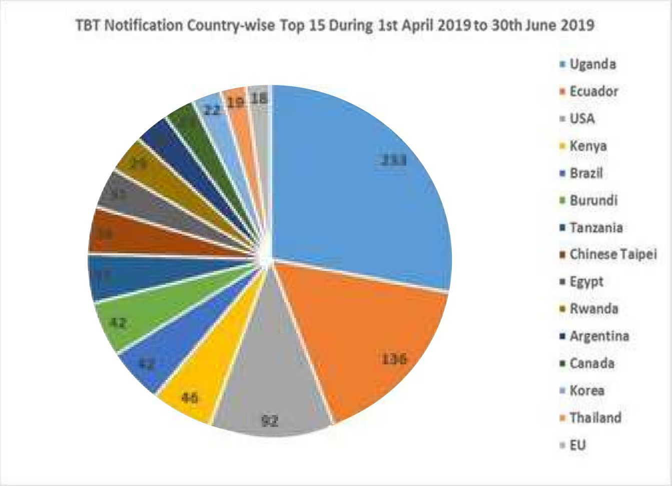

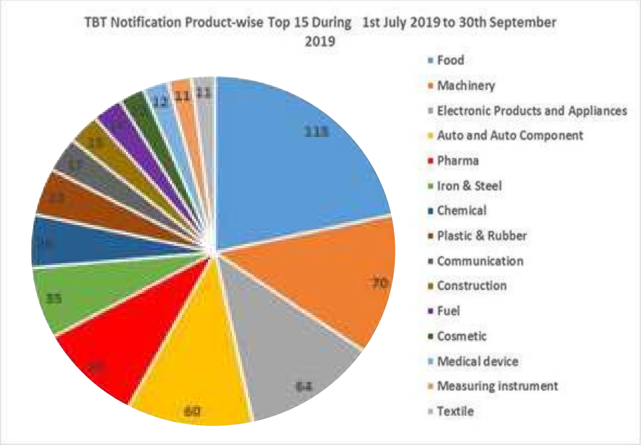

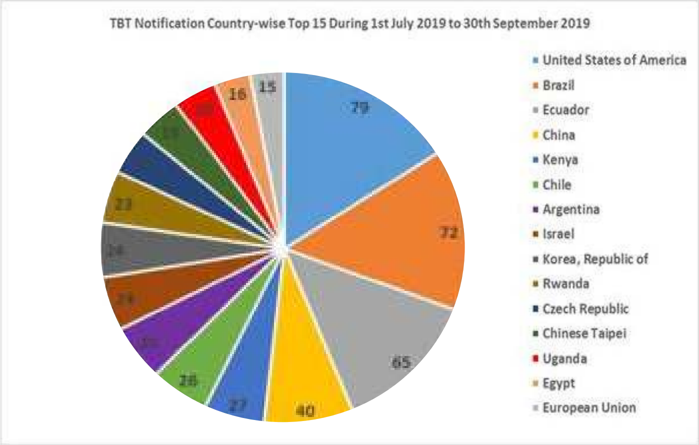

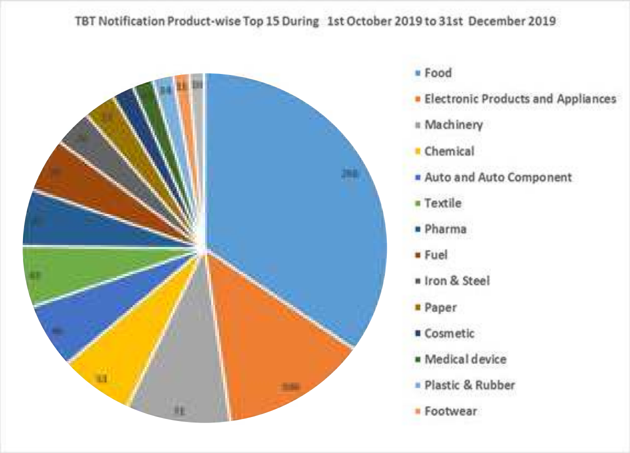

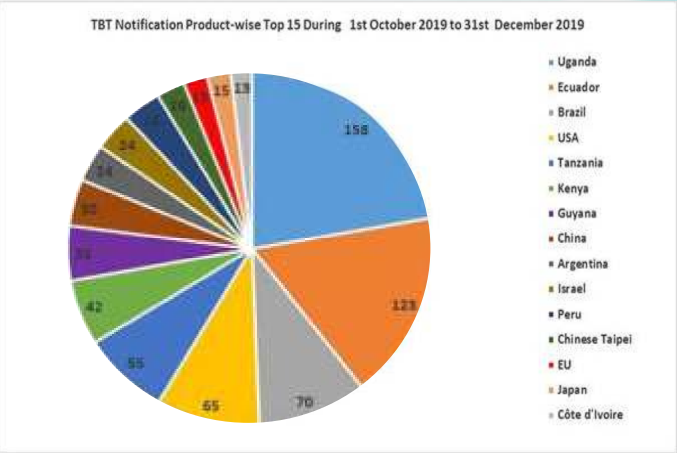

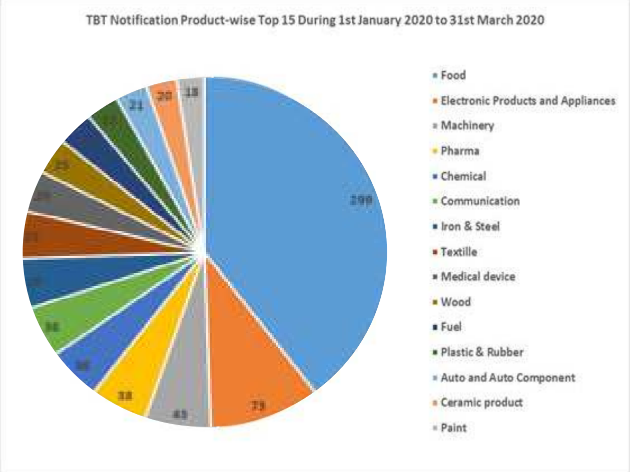

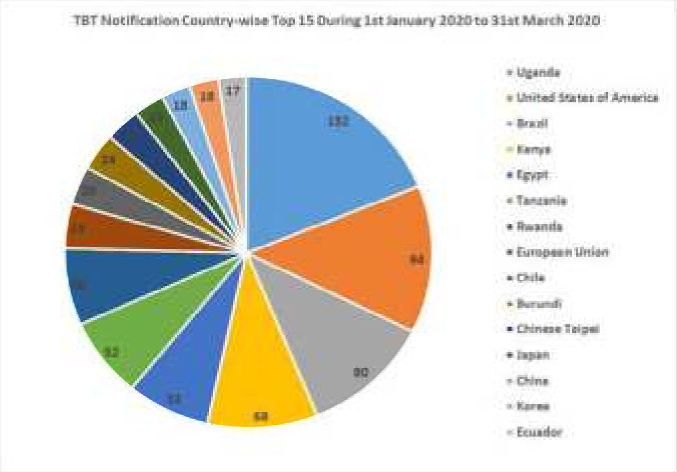

भारत द्वारा 58 अधिसूचनाओं सहित 2019-20 के दौरान विभिन्न डब्ल्यूटीओ-सदस्य देशों द्वारा कुल 3,596 सूचनाएं जारी की गईं। देश-वार और उत्पाद-वार के संदर्भ में इन सूचनाओं का त्रैमासिक वितरण उपरोक्त चार्ट में दिया गया है। इन सूचनाओं का विश्लेषण भारतीय उद्योग / व्यापार पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था और संबंधित हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए टिप्पणियों की मांग की गई थी कि इन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की कोई समस्या नहीं है। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर, जहाँ भी लागू हो, भारत की टिप्पणी निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) द्वारा संबंधित जाँच बिंदुओं पर भेजी गई थी।

5.10.2 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) और उसके क्षेत्र संगठन, निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) आरटीआई अधिनियम 2005 की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निनिप / निनिअ में प्राप्त आवेदनों और प्रथम अपील का सारांश 2019-20 सीईसी से प्राप्त सुनवाई के नोटिस के साथ नीचे उल्लिखित किया गया है:

2019-20 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन

2019–20 में प्राप्त आरटीआई आवेदन एवं प्रारंभिक शेष	आरटीआई आवेदन की संख्या जिनके उत्तर दिए गए	31.03.2020 तक अंतशेष
163	148	15

2019-20 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त पहली अपील

2019–20 में प्राप्त अपील एवं प्रारंभिक शेष	अपील की संख्या जिनके उत्तर दिए गए	31.03.2020 तक अपील का अंतशेष
22	22	0

2019-20 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दूसरी अपील

सीआईसी से प्राप्त सुनवाई की सूचनाओं की संख्या	सीपीआईओ/एफएए, निनिप द्वारा उपस्थिति की संख्या
03	03

5.10.3. सतर्कता गतिविधियाँ

इस अवधि के दौरान प्राप्त नौ शिकायतों को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही 03 मामलों में संपन्न की गई और 02 अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत की गई। अनुशासन प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ दायर दो अपीलों की जांच की गई और उनका निपटान किया गया। विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता मंजूरी के लिए कुल 71 प्रस्ताव सौंपे गए थे। निवारक सतर्कता गतिविधियों के हिस्से के रूप में तीन निरीक्षण / आश्चर्य जाँच किए गए। 07 मुद्दों पर जांच-सह-तथ्यात्मक रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को सौंपी गई। संगठन के लिए संदेहपूर्ण वफ़ादारी (ओडीआई) के साथ सहमत सूची और अधिकारियों की सूची तैयार की गई। व्यवस्था सुधार के लिए पांच सुझाव दिए गए थे।

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) ने अपनी निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) के साथ 28 अक्टूबर- 02 नवंबर 2019 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का निरीक्षण किया, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या.05 / 08/19 दिनांक 02.08.2019 में दिए गए निर्देशों के अनुसार था। । वर्ष के लिए विषय **"अखंडता - जीवन का एक तरीका (ईमानदारी - एकजीवनशैली)"** था। निर्यात निरीक्षण अभिकरण -चेन्नई ने केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित किया। छात्रों ने सत्यनिष्ठा का संकल्प लिया और निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और वॉकथॉन जैसी विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लिया। कुछ तस्वीरें हैं:

निनिअ-मुंबई मुख्यालय में इंटीग्रिटी शपथ लेते कर्मचारी.

निनिअ–चेन्नई में वर्ष 2019 के दौरान केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट निबंध लेखन में भाग लेते हुए.

वर्ष 2019 के दौरान निनिअ–चेन्नई द्वारा आयोजित वॉक ऐथान

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

निर्यात निरीक्षण परिषद कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी का सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। वर्ष के प्रमुख आकर्षण नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

• सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी में जारी किए गए थे।

• राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में जारी किए गए प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया गया।

• निर्यात निरीक्षण परिषद और अभिकरणों ने राजभाषा नियमों के तहत प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं / विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित कीं।

• हिंदी में मूल कार्य के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं।

• निनिप और निनिअ सभी तिमाही में हिंदी रिपोर्टों के प्रगतिशील उपयोग को आधिकारिक भाषा विभाग में ऑन-लाइन प्रेषित किया गया।

• निनिप और निनिअ के प्रवेश पर साइन बोर्ड पर हिंदी में एक नूतन शब्द प्रतिदिन लिखा जाता है।

• 13 सितंबर से 27 सितम्बर 2019 में, निनिप और निनिअ में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर, कर्मचारियों के लिए शबदावली प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबन्ध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

• कार्यालयों के अधिकांश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक नियमों, 1976, उप-नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किए जाते हैं और मंत्रालय स्तर पर शेष कार्यालयों को सूचित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

• निर्यात निरीक्षण परिषद ने राजभाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी पत्रिका ***"मंथन"*** का द्विवार्षिक प्रकाशन किया।

कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण

1. कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों के उपयोग ने निनिप को अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने और लेनदेन के समय और श्रमशक्ति की लागत को कम करने में सक्षम बनाया है। संगठन में सूचान प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग का श्रेय दिया गया है और वित्तीय रिपोर्ट बनाते समय कंप्यूटर सिस्टम को लागू करने के लाभों से जोड़ा गया है उदाहरण - एम.आई.एस. रिपोर्ट।

2. सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग समय-समय पर जरूरतों और पहलों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

3. निनिप अपनी वेबसाइट www.eicindia.gov.in रखती है, जिस पर वास्तविक समय के आधार पर इसकी नीति और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट सूचनात्मक और इंटरैक्टिव दोनों है और वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों की ऑन-लाइन फाइलिंग की जा सकती है। वेबसाइट के माध्यम से मूलस्थान प्रमाणपत्र और ई-स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जैसी ऑनलाइन सेवाएं दी जाती हैं। वेबसाइट पर एक ज्ञान भंडार भाग है जो सभी कानूनी ढांचे का विवरण और निनिप की विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के बारे में जानकारी देता है।

4. सीओओ मॉड्यूल के तहत, लगभग 99% निर्यातक सभी अधिमान्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रमाणन के लिए आवेदन करते हैं। निनिप ने भी मूलस्थान प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्यात इनवॉइस, लागत ब्रेकअप शीट आदि जैसे सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा शामिल की है। निनिप को भारत में मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करने वाले सभी प्राधिकरणों के लिए (अधिमान्य और गैर-अधिमान्य दोनों) आम मंच के विकास की जिम्मेदारी दी गई है।

5. निनिप द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के प्रयोग और निपटान के लिए ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली बनाई रखी है ।

6. निनिप से संबंधित सभी विनियम भारत कोड पोर्टल (वेबसाइट https://indiacode.nic.in) पर उपलब्ध कराए गए हैं।

जनशक्ति सुद्ढ़ीकरण

निनिप अपनी स्थापना के बाद से, विश्व भर में खाद्य सुरक्षा में गतिशीलता और संगठन के जनादेश से संबंधित अन्य प्रमुख पहलुओं पर उन्हें अद्यतन रखने के लिए अपनी जनशक्ति के क्षमता निर्माण पर जोर दिया है।

प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए कौशल प्राप्त करने, मौजूदा लोगों को तेज करने, बेहतर प्रदर्शन करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर नेतृत्तव होने की अनुमति देता है। निनिप यह समझता है कि चूंकि एक संगठन कुल कर्मचारी जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं, संगठनों को अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी अपने चरम पर हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 में निनिप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए निनिप से अधिकारियों को नामित किया गया।

तालिका (२) : अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारीगण

क्रम संख्या.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	दिनांक और दिनों की संख्या
1.	1	15 वीं अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी फॉर बायोसैफिली रिसर्च (आईएसबीआर) संगोष्ठी 2019	टैरागोना, स्पेन	जैव सुरक्षा अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी (आईएसबीआर)	1- 04 अप्रैल 2019, 04 दिन
2.	1	कीटनाशक अवशेषों पर कोडेक्स समिति का 51 वां सत्र (सीसीपीआर)	मकाओ एसएआर पी.आर. चीन	कोडेक्स	07-13 अप्रैल 2019, 04 दिन
3.	1	उन्नत एचएसीसीपी (सामान्य स्वच्छता आवश्यकताओं और नियंत्रण का ऑडिट करना) एफबीओ द्वारा विकसित एचएसीसीपी सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रियाएं	होटल रेडिसन ब्लू, विनियस, लिथुआनिया बीटीएसएफईयू	बीटीएसएफ, ईयू	20-24 मई 2019, 05 दिन

4.	1	भौगोलिक संकेत (जीआईएस) पर बीटीएसएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण सत्र 06, पाठ्यक्रम 4 - कृषि-खाद्य, शराब और स्प्रिट पेय में बाजार नियंत्रण पर क्रॉस-क्षेत्रीय प्रशिक्षण	प्राग, चेक गणराज्य	यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा महानिदेशक (डीजी एसएएनटीई), उपभोक्ता, स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य कार्यकारी एजेंसी (सीएचएएफईए)	21-24 मई 2019, 04 दिन
5.	1	नमूनाकरण और विश्लेषण की विधि पर कोडेक्स समिति का 40 वां सत्र (सीसीएमएएस)	बुडापेस्ट, हंगरी	हंगरी कोडेक्स संपर्क बिंदु, हंगरी	26 - 31 मई 2019, 06 दिन
6.	1	अगली पीढ़ी की अनुक्रमण (एनएसजी) कार्यशाला और 12वीं वैश्विक माइक्रोबियल पहचानकर्ता (जीएमआई) बैठक	नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एनटीयू), सिंगापुर	एफएओ और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी सेंटर (एनएएफटीईसी), सिंगापुर	10-11 जून 2019 और 12-14 जून 2019, 05 दिन
7.	1	आईएसओ विधि विकास	मिलान, इटली	आईएसओ तकनीकी समिति 34/उप समिति 9	09-12 जुलाई 2019, 04 दिन
8.	1	खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कार्यशालाएं	धूलिकेल, नेपाल और पारो भूटान	डीएफटीक्यूसी नेपाल और बाफरा भूटान	11-12 अगस्त 2019 और 14-16 अगस्त 2019, 04 दिन

9.	1	नेपाल में आयातित भारतीय सब्जियों और फलों के कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण"	काठमांडू, नेपाल	एनपीपीओ, नेपाल	16 अगस्त 2019, 01 दिन
10.	1	भौगोलिक संकेत (जीआई) पर बीटीएसएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण सत्र 09, पाठ्यक्रम 1 - शराब क्षेत्र में जीआई के नियंत्रण पर प्रशिक्षण	बोर्डो, फ्रांस	बीटीएसएफ	8-11 अक्टूबर, 2019, 04 दिन
11.	1	बीटीएसएफ प्रशिक्षण सत्र 03, कोर्स 2 ए - पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों (वीएमपी) के अवशेष	पोर्टो / विला डो कोनडे, पुर्तगाल	बीटीएसएफ	11-22 नवंबर, 2019, 12 दिन
12.	1	बीटीएसएफ प्रशिक्षण सत्र 04, पाठ्यक्रम 1 - मायकोटॉक्सिन	रोम, इटली	बीटीएसएफ	2-13 दिसंबर, 2019, 12 दिन
13.	1	सिद्धांतों और खाद्य सुरक्षा जोखिम विश्लेषण के तरीकों पर बीटीएसएफ प्रशिक्षण	बैंकाक, थाईलैंड	बीटीएसएफ	16-19 दिसंबर, 2019; 04 दिन

तालिका (के) : राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए अधिकारी

क्रम सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	अवधि
राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी: 2019-20					
1	निनिप और निनिअ से 22 अधिकारी	एफएसएमए, एफएसपीसीए निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्ति (पीसीक्यूआई) और लीड प्रशिक्षक (एलआई) मानव भोजन के लिए प्रशिक्षण	कोलकाता /चेन्नई /मुंबई	भारतीय खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान (आईएफएसएच। और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) के साथ मिलकर एफएसपीसीए	01-05 अप्रैल 2019, कोलकाता 08-12 अप्रैल .2019, चेन्नई 06-10 मई 2019, मुंबई (प्रत्येक 05 दिन)
2	04 निनिप और निनिअ से अधिकारी	ट्रेड कंट्रोल एंड एक्सपर्ट सिस्टम (टीआरएसीईएस) नई तकनीकों (एनटी) के उपयोग पर बीटीएसएफ क्षेत्रीय कार्यशाला	बंगलौर	बीटीएसएफ, यूरोपीय संघ	03- 06 दिसंबर 2019, 4 दिन
3	निनिप और निनिअ से 05 अधिकारी	एंटीमाइक्रोबियल रेजिसिटेंस पर बीटीएसएफ क्षेत्रीय कार्यशाला, 04 दिन	नई दिल्ली	यूरोपीय संघ	18-21 फरवरी 2020, 5 दिन
निनिअ-चेन्नई					
1	1	फलों के उत्पादों के निर्यात के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर क्षमता निर्माण	तिरुपति	एपीडा, हैदराबाद	15 फरवरी 2020, 01 दिन
2	1	सी फूड सेक्टर में समकालीन चैंलेज	नागपट्टिनम	तमिलनाडु डॉ. जे. जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय, नागपट्टनम	29 फरवरी 2020, 01 दिन

3	1	प्राथमिक उत्पादन लिंक पर प्रशिक्षण: हितधारकों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता	नागरकोइल	निनिप,निनिअ चेन्नई उप कार्यालय- नागरकोइल	14 मार्च 2020, 01 दिन
4	1	सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण प्रशिक्षण	चेन्नई	निनिअ-चेन्नई	16-20 मार्च 2020, 05 दिन
निनिअ- कोच्चि					
1	1	मछली उत्पादों पर माइक्रोबियल जोखिम मूल्यांकन पर दूसरा लघु अवधि मिशन (एसटीएम) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोच्चि	एफएसएसएआई,	27 - 31 मई 2019, 05 दिन
2	1	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता परीक्षण संगोष्ठी 2019	बंगलौर	एजीलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	3-4 जून, 2019 02 दिन
3	1	मसालों के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों पर संगोष्ठी	कोच्चि	एजीलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	19 सितंबर 2019, 01 दिन
4	1	निर्यात व्यापार के लिए अवशेषों और दूषित विश्लेषण के लिए विधि सत्यापन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	मुंबई	निनिप	18 -21 नबंवर 2019, 02 दिन
5	1	3 भोजन में अल्पावधि जोखिम का आकलन	सोनीपत	एफएसएसएआई,	11 -15 नबंवर 2019, 05 दिन
6	1	माईकोटॉक्सिन के विश्लेषण पर प्रशिक्षकों (टीओटी) कार्यक्रम का प्रशिक्षण	कोच्चि	एफएसएसएआई, एवं निनिप	10-13 दिसंबर 2019 04 दिन
7	1	उन्नत माइक्रोबायोलॉजी पर हाथ से प्रशिक्षण	सीआईएफटी, कोचीन	एफएसएसएआई	

8	1	एओएसी इंटरनेशनल के भारत खंड का 7 वां वार्षिक सम्मेलन	नई दिल्ली	आधिकारिक विश्लेषणात्मक सहयोग एसोसिएशन (एओएसी इंटरनेशनल)	28-29 फरवरी 2020 दो दिन
9	1	निर्यात व्यापार के लिए अवशेषों और दूषित विश्लेषण के लिए विधि सत्यापन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	आईटीसीएफएस एएन-, मुंबई	निनिप	09-13 दिसंबर 2019 05 दिन
10	1	एकीकृत मूल्यांकन प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम)	नई दिल्ली	एनएबीएल	12-13 जुलाई 2019, 02 दिन
11	1	एकीकृत मूल्यांकन प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम)	चैन्नई	एनएबीएल	19-20 जुलाई 2019, 02 दिन
12	1	समुद्री मत्स्य सुधार परियोजना	मंगलौर, मालपे	मत्स्य विभाग, कर्नाटक सरकार, मत्स्य पालन के संयुक्त निदेशक, मत्स्य पालन हारबर्स, मालपे	25 जुलाई 2019, 28 अगस्त 2019, 01 दिन
13	1	सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रशिक्षण	चैन्नई	विदेश व्यापार महानिदेशालय	14 सितम्बर, 2019 01 दिन
14	1	कर्नाटक में समुद्री मत्स्य प्रबंधन का शोधन	उड़पी	एमपीईडीए	03 जनवरी 2020, 01 दिन
15	1	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद का नमूना	मुंबई	आईटीसी-एफएसएएन	20 एवं 21 जनवरी 2020, 02 दिन

निनिअ-कोलकाता					
1	2	अच्छा खाद्य प्रयोगशाला आचरण (जीएफएलपी)	कोलकाता	एफएसएसएआई, नई दिल्ली	15-17 अक्टूबर, 2019, 03 दिन
2	4	एकीकृत मूल्यांकन पर जागरूकता कार्यक्रम	कोलकाता	एनएबीएल	21 दिसम्बर 2019, 01 दिन
3	1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के जूनियर और मध्य स्तर के सतर्कता अधिकारी के लिए सतर्कता पाठ्यक्रम	गाजियाबाद	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद	24-28 फरवरी 2020, 05 दिन
निनिअ-मुंबई					
1	1	मछली और मत्स्य उत्पाद के पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग पर राष्ट्रीय नीति	वेरावल	एनएफडीबी वित्त पोषित कार्यक्रम सीआईएफटी द्वारा आयोजित	25 जनवरी 2020, 01 दिन
2	1	एलपीएसी- डीएसटी वित्त पोषित परियोजना की स्थानीय कार्यक्रम सलाहकार समिति "वेरावल की सीधी आदिवासी महिलाओं और खारवा मछुआरों की आजीविका में वृद्धि	वेरावल	सीआईएफटी - वेरावल द्वारा आयोजित आईसीएआर वित्त पोषित कार्यक्रम	10 दिसम्बर 2019, 01 दिन

3	1	सीआईटी-वेरावल द्वारा आयोजित होटल ग्रैंड दक्ष में "टेक फिश 2019" राष्ट्रीय वैज्ञानिक और हिंदी संगोष्ठी	वेरावल	सीआईएफटी - वेरावल	25 जून 2019 ,01 दिन
4	1	समुद्री भोजन का सूक्ष्मजीवविज्ञानी गुणवत्ता विश्लेषण	वेरावल	सीआईएफटी - वेरावल	30 अगस्त 2019, 01 दिन
5	1	"मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में प्रगति"	वेरावल	आईसीएआर वित्त पोषित प्रशिक्षण कॉलेज ऑफ फिशरीज द्वारा आयोजित	20- 24 जनवरी 2020, 02 दिन
6	2	निनिप और निनिअ की भूमिका	हुबली और विजयपुरा, कर्नाटक	विश्वेश्वरैया व्यापार संवर्धन परिषद, धारवाड़	27 जुलाई 2019 & 09 नबंवर 2019 (1 घंटे का प्रस्तुतीकरण)
7	1	मछली से निपटने के लिए स्वच्छता की आवश्यकताएं	पणजी	मत्स्य निदेशालय, गोवा	13 फरवरी 2020 (1 घंटे का प्रस्तुतीकरण)
8	1	"खाद्य सुरक्षा के लिए रासायनिक जोखिम विश्लेषण रूपरेखा"	लखनऊ	डब्ल्यूएचओ, एफएसएसएआई, आईआईटीआर लखनऊ	21-24 अक्टूबर 2020, 03 दिन
9	1	कृषि निर्यात को वित्तपोषित करने पर सम्मेलन - "जोखिम, जोखिम शमन - कृषि निर्यात में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना"	पुणे	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे	04 अक्टूबर 2019 (अन्य विशेषज्ञों के साथ एक सत्र)

10	1	आपकी प्रयोगशाला में प्रवीणता परीक्षण (पीटी) का प्रभावी रूप से उपयोग करने पर संगोष्ठी	मुंबई	एलजीसी प्रवीणता परीक्षण और क्रोमटोपक विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटेशन (।) प्रा। लिमिटेड	27 सितम्बर 2019, 01 दिन
11	1	मछली पर माइक्रोबायोलॉजिकल जोखिम मूल्यांकन पर 2 एसटीएम	कोच्चि	एफएसएसएआई	27- 31 मई 2019, 5 दिन
12	1	फूड हाइजीन, सेफ्टी मैनेजमेंट और अन्य सिस्टम सेक्शनल कमेटी की 15 वीं बैठक एफएडी- 15	नई दिल्ली	भारतीय मानक ब्यूरो	18 जुलाई 2019, 01 दिन
13	1	माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट पर 3 एसटीएम	हरियाणा	एफएसएसएआई	11-15 नवंबर, 5 दिन
14	1	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के लिए नमूना प्रशिक्षण	पुणे	राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला अंगूर के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	29 जनवरी 2020, 01 दिन

तालिका (आई): निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम

क्र. सं.	आउटरीच कार्यक्रम	दिनांक	स्थान
1	बासमती चावल योजना के तहत नए प्रतिष्ठानों के लिए कार्यकारी निर्देश पर जागरूकता	29.01.2020	नई दिल्ली
2	सीओओ जारी करने के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण	27.09.2019	जालंधर
3	सीओओ के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.09.2019	कानपुर
4	डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.09.2019.	जयपुर
5	सामान्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म	26.09.2019.	लुधियाना
6	ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण	सितम्बर-2019	इंदौर
7	एलिसा तकनीक पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिन	30.8.2019 एवं 31.08.2019 दो दिन का कार्यक्रम	भीमावरम
8	एलिसा तकनीकों पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 एवं 23 फरवरी, 2020	तूतीकोरन

9	टेक्नोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन "माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, गोई नोटिफिकेशन, निनिप एक्स. मछली और मत्स्य उत्पादों के आयात करने वाले देशों के निर्देश और विनियम". (3 कार्यक्रम)	09 से 13 दिसंबर 2019 (5 दिन); 16 से 20 दिसंबर 2019 (5 दिन), 16 से 20 मार्च 2020 (5 दिन)	चेन्नई
10	एक्वाकल्चर उत्पादों के लिए एलिसा स्क्रीनिंग तकनीक का उपयोग कर एंटीबायोटिक्स का विश्लेषण	06.03.2020 एवं 07.03.2020	**वैज़ाग**
11	एलिसा तकनीक - प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.03.2020 एवं 07.03.2020	नैल्लोर
12	सीओओ और आरईएक्स के लिए सीओओ, कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जागरूकता कार्यक्रम	13.3.2020	चैन्नई
13	एक दिन का प्रशिक्षण "प्राथमिक उत्पादन (एक्वाकल्चर फार्म, हैचरी, फीड मिल, सप्लायर, लैंडिंग साइट और फिशिंग वेसल) के अनुमोदन के लिए आवश्यकताएँ हैचरी, फीड मिल, सी फूड सप्लायर, एक्वा किसान के हितधारकों के लिए - निनिअ-चेन्नई, उप कार्यालय- नागरकोइल द्वारा आयोजित	14.03.2020	नागरकोइल

14	मछली और मत्स्य उत्पादों के माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम - जीओआई अधिसूचना, निनिप के कार्यकारी निर्देश और मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए आयात करने वाले देशों के विनियम सहित।	17-21 जून 2019	कोच्चि
15	मछली और मत्स्य उत्पादों के माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम - जीओआई अधिसूचना, निनिप के कार्यकारी निर्देश और मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए आयात करने वाले देशों के विनियम सहित।	20-24 जून, 2020	कोच्चि
16	सी फूड एचएसीसीपी और आयातक देशों की आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.11.2019 से 08.11.2019	कदावनथरा
17	एलिसा टेस्ट किट का उपयोग करके एक्वाकल्चर श्रिम्प्स में एंटीबायोटिक अवशेषों की स्क्रीनिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.01.2020	कोच्चि
18	भारत से किंगडम सऊदी अरब (केएसए) के लिए चिंराट और खेत मछलियों का इंटरएक्टिव सत्र-सेल्फ ऑडिट निर्यात - के बारे में संशोधित प्रारूप	05.07.2019	मंगलौर

19	टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम 1. ई-हेल्थ मॉड्यूल में प्राथमिक प्रस्तुतियों की सूची। 2. अनुमोदन / परिशिष्ट के अनुमोदन / नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना। निरीक्षण मॉड्यूल के माध्यम से सुविधाओं / गतिविधियों / एमई. 3. आयात करने वाले देशों की आवश्यकताएं (चीन / कोरिया / वियतनाम)। 4. यूएसएफडीए फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स के खतरों और नियंत्रण में संशोधन। 5. ई-स्वास्थ्य अनुप्रयोगों (ईयू / नॉन ईयू) से संबंधित सहायक दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। 6. सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन ऑफ़ ओरिजिन के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।	23 नवम्बर 2019	मंगलौर
20	निम्नलिखित विषयों पर प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों के साथ इंटरएक्टिव सत्र - 1. निरीक्षण मॉड्यूल से संबंधित मुद्दे। 2. यूरोपीय संघ, वियतनाम और चीन की आधिकारिक वेबसाइटों में प्रतिष्ठानों की सूची बनाना।	31.01.2020	मंगलौर
21	आंतरिक लेखा परीक्षा और मध्यवर्ती जांच आईएसओ / आईईसी 17025: 2017 के अनुसार	08.03.2020	कोच्चि

22	प्रौद्योगिकीविदों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम / एलिसा तकनीकों द्वारा एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग पर और विभिन्न एफ एंड एफपीओ परीक्षाओं के कुल 24 उम्मीदवारों ने भाग लिया	21.01.2020 से 22.01.2020	कोलकाता
23	माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न एफ एंड एफपी प्रतिष्ठानों के कुल 12 उम्मीदवारों ने भाग लिया	03.02.2020 से 07.02.2020	कोलकाता
24	माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न एफ एंड एफपी प्रतिष्ठानों के कुल 11 उम्मीदवारों ने भाग लिया	10.02.2020 से 14.02.2020	कोलकाता
25	टेक्नोलॉजिस्ट / निर्यातकों के लिए परीक्षण आवश्यकताओं पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न एफ एंड एफपी प्रतिष्ठानों के कुल 27 उम्मीदवारों ने भाग लिया	28.02.2020 से 29.02.2020	कोलकाता
26	एक दिन आउटरीच प्रोग्राम (सीओओ, आरईएक्स और आम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जागरूकता कार्यक्रम)	07.03.2020	कोलकाता

27	मत्स्य उत्पादों के लिए भारत सरकार का आदेश और अधिसूचना	30.08.2019	वेरावल
28	सीओओ के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण	19.12.2019	वेरावल
29	एलिसा तकनीक द्वारा मछली और मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों (क्लोरैमफेनिकॉल) की स्क्रीनिंग पर प्रौद्योगिकीविद के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	31.10.2019	मुंबई
30	प्रशिक्षण पर हाथ - एफ एंड एफपी उत्पादों में प्रौद्योगिकीविद् के लिए एलिसा तकनीक का उपयोग करके भोजन में नाइट्रोफ्यूरन विश्लेषण	05.03.2020 से 06.03.2020	मुंबई
31	आरईएक्स प्रणाली और सीओओ योजना पर निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम	24.04.2019 25.09.2019	मुंबई
32	निनिअ अधिकारियों के साथ इंटरएक्टिव सत्र विशेष रूप से कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और आरओओ विभिन्न अधिमान्य सीओओ योजना और रेक्स प्रक्रिया के तहत	13.06.2019	मुंबई

33	निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम विभिन्न अधिमान्य व्यापार समझौतों के तहत आरओओ का पता लगाने के लिए और भारतीय व्यापार पोर्टल का अवलोकन	26.06.2019	मुंबई
34	निर्यातकों के लिए आउटरीच प्रोग्राम विभिन्न प्रीपेंशियल सीओओ स्कीम और आरईएक्स प्रक्रिया के तहत कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म और आरओओ पर	24.07.2019 एवं 28.10.2019	मुंबई
35	सामान्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर निर्यातकों / प्रमाणित अधिकारियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम	31.08.2019	मुंबई
36	विभिन्न अधिमान्य सीओओ योजना के तहत सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और RoO पर निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम	27.11.2019 एवं 26.02.2020	मुंबई
37	आईएसओ विधि के अनुसार माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण	01.04.2020 से 05.04.2020; 17.06.2020 से 21.06.2020; 23.09.2020 से 27.09.2020 तक	मुंबई
38	प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के सऊदी अरब के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकताएं; ऑनलाइन ट्रैसेबिलिटी मॉड्यूल पर पंजीकरण पर प्रदर्शन	16.06.2019	मुंबई

निनिअ का नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन

निर्यात के लिए उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, परीक्षण और प्रमाणन कार्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्ची में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) द्वारा किए जाते हैं, जो कि निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होते हैं । निनिअ के पास भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों में प्रयोगशालाओं सहित 24 उप कार्यालयों का एक नेटवर्क है। निनिअ अपने योग्य और अनुभवी कर्मियों के माध्यम से पिछले पांच दशकों से देश के निर्यात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

10.1 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण - चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के भीतर के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके साथ भीमवरम, कोयम्बटूर, हैदराबाद, नागरकोइल, नेल्लोर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में 07 उप कार्यालयों के नेटवर्क है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण - चेन्नई ऐसी प्रमुख गतिविधियों को संभाल रहा है जैसे:-

- मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों, दूध उत्पादों, फल उत्पादों, काली मिर्च, पोषण बोज्य एवं पूर्व मिश्रण आदि के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों का आधिकारिक नियंत्रण।
- सूखे मत्स्य, शहद, काली मिर्च, मूंगफली और मूंगफली उत्पादों आदि के निर्यात के लिए परेषण-वार निरीक्षण
- स्वैच्छिक योजना के साथ-साथ तुर्की योजना के तहत इकाइयों का प्रमाणन।
- आरईएक्स के तहत सीओओ जारी करने और जीएसपी, एसएपीटीए, आईएसएफटीए, आईटीएफटीए इत्यादि जैसे विभिन्न एफटीए का प्रावधान।
- चेन्नई और उप-कार्यालयों में निनिअ प्रयोगशालाओं में विभिन्न उत्पादों का परीक्षण।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल प्रयोगशाला के रूप में आयातित खाद्य उत्पादों का परीक्षण।

तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण (सीएए) ने एक्वा इनपुट के पंजीकरण से पहले निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने के लिए विभिन्न एक्वाकल्चर इनपुट उत्पादों के परीक्षण के लिए निनिअ-चेन्नई प्रयोगशाला को मान्यता दी है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत औषधि नियंत्रण प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार ने मछली और मत्स्य क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जलीय कृषि आदानों के परीक्षण के लिए निनिअ-चेन्नई प्रयोगशाला की सिफारिश की है, विशेष रूप से धारा 20 (1) और धारा 20 (3) के तहत आवश्यक निषिद्ध पदार्थों के परीक्षण के लिए है ।

10.2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण / दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, जे एंड के, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के राज्यों को कवर करने वाले देश के पूरे उत्तरी और मध्य क्षेत्र पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करती है और उत्तरी में जालंधर, लुधियाना में इसके कार्यालय हैं। क्षेत्र; उत्तर मध्य क्षेत्र में कानपुर; उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जयपुर; मध्य क्षेत्र में इंदौर। निनिअ फीड एडिटिव्स और प्रीमियर के अलावा बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, पशु आवरणों की स्वीकृत इकाइयों पर नियामक नियंत्रण में शामिल है। बासमती चावल परीक्षण के लिए निनिअ-दिल्ली की प्रयोगशाला आईएसओ 17025: 2017 प्रमाणित है।

10.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण- कोच्ची

निनिअ-कोच्ची द्वारा संचालित प्रमुख उत्पादों में मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद और काली मिर्च शामिल हैं। निनिअ-कोच्ची स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, काली मिर्च, और अन्य खाद्य उत्पादों जैसे मसाले आदि के अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। निनिअ-कोच्ची गैर जीएमओ के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सुविधा है, जिसके आधार पर सभी निनिअ द्वारा गैर जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफआईएसएआई) द्वारा तैयार किए गए नमूनों के परीक्षण करने के लिए निनिअ-कोच्ची को अधिकृत किया गया है।

10.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण - कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण- कोलकाता, स्वैच्छिक योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों और खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन प्रदान करती है। यह वरीयता और मुक्त व्यापार समझौतों के अनुसार मूल के अधिमान्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

10.5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण- मुंबई

निनिअ-मुंबई, के अधिकार क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में स्थित उप कार्यालयों के साथ रत्नागिरी, गोवा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम, पोरबंदर और वेरावल में स्थित है।

विभिन्न अधिमान्य टैरिफ योजना के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा, निनिअ-मुंबई प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, मछली और मत्स्य उत्पाद, कुचले हुए हड्डियों, ऑस्सीन और जिलेटिन, पशु आवरण, काली मिर्च, फ़ीड सहित विभिन्न निर्यात वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करता है। एडिटिव्स और प्री-मिक्सचर, और अन्य खाद्य उत्पाद आदि। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए आनलाईन विवरण प्रस्तुत करने पर निर्यातकों को जोर दिया जाता है।

कार्यालयों के पते एवं संपर्क विवरण

निनिप एवं निनिअ के पते और संपर्क विवरण

I. निर्यात निरीक्षण परिषद

(वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,
दूसरी मंजिल, बी–प्लेट, ब्लॉक–1, वाणिज्यिक परिसर
पूवी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
दूरभाष : +91 - 11 - 20815386/87/88
ईमेल : eic@eicindia.gov.in

II. निर्यात निरीक्षण अभिकरण एवं उनके उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण - मुंबई (मुख्यालय)
ई–3, एम,आई.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400093, महाराष्ट्र
दूरभाष : +91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113
फैक्स : +91-22-23683927
ईमेल : eia-mumbai@eicindia.gov.in

उप कार्यालय:-

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालय: अहमदाबाद
305, मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (न्यू क्लॉथ मार्केट के सम्मुख)
रायपुर, अहमदाबाद–380002.
दूरभाष : +91-79-2216 2398 फैक्स : +91-79-2216 2398
ईमेल : eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालय: गांधीधाम
कमरा नंबर एफ–01, एफ–02, पुराने प्रशासनिक कार्यालय,
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, गुजरात–370230
दूरभाष : +91-2836-253036 फैक्स : +91-2836-220 836
ईमेल : eia-gandhidham@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालय: गोवा
वाई–15, 5वीं मंजिल, बिल्डिंग ए–1, जयराम परिसर,
रूआ डे ओरेम, माला पणजी, गोवा–403001
दूरभाष : +91- 832-2222380 फैक्स : +91-832-2222 380
ईमेल : eia-goa@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालय: पोरबंदर
4, भोजेश्वर प्लॉट, पोरबंदर, पोरबंदर, गुजरात–360575
दूरभाष : +91-286-2246 376 फैक्स : +91-286-2246 376
ईमेल : eia-porbandar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालयः राजकोट

शरद विला, 25, न्यू जगनाथ प्लॉट,
राजकोट, गुजरात–360001
दूरभाष : +91-281-2463 620 फैक्स : +91-281-2463 620
ईमेल : eia-rajkot@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालयः रत्नागिरि

साहिल मैनशन, शिवाजी नगर, मारूति मंदिर,
रत्नागिरी, महाराष्ट्र–415612
दूरभाष : +91-235-2222589 फैक्स : +91-235-2222589
ईमेल : eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालयः वेरावल

1 तल, जयकिशन परिसर, 80 फुट रोड,
न्यू चंद्रमौलेश्वर मंदिर, वेरावल, गुजरात–362265
दूरभाष : +91-2876-220610 फैक्स : +91-2876-220610
ईमेल : eia-veraval@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, उप-कार्यालयः बड़ौदा

कुबेर भवन, रूक सं–824,8 –'आई ब्लॉक', 8वीं मंजिल
कोथी के पास, बड़ौदा, गुजरात–390001
दूरभाष : +91-265-2415706 फैक्स : +91-265-2415706
ईमेल : eia-baroda@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची (मुख्यालय)

27 / 1767 ए, शिपयार्ड क्वार्टर्स रोड,
पनम्पिल्ली नगर (दक्षिण), कोच्ची, केरल–682036
दूरभाष : + 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949
फैक्स : + 91-484-2316948
ईमेल : eia-kochi@eicindia.gov.in

उप कार्यालयः-

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची, उप कार्यालयः बेंगलुरु

दूसरी मंजिल, जीवन समीप भवन नंबर–1 / 1
दूसरा मुख्य, सांपीज रोड, मल्लेस्वरम,
बेंगलुरू–560003, कर्नाटक
दूरभाष : + 91-80-23444931 / 23567556
ईमेल : eia-bangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची, उप कार्यालय: कोल्लम
शायनिश परिसर, तीसरी मंजिल,
चामक्कटा, कोल्लम, केरल–691001,
दूरभाष : +91-474-2749087 फैक्स : +91-474-2749087
ईमेल : eia-quilon@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची, उप कार्यालय: मंगलूरु
स्कूल बुक बिल्डिंग, 3 मंजिल, टेम्पिल स्क्वायर,
कार स्ट्रीट, मंगलूरू, कर्नाटका–575001,
दूरभाष : +91-824-2496813 फैक्स : +91-824-2496 813
ईमेल : eia-mangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता (मुख्यालय)
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 14/1, बी एजरा स्ट्रीट
कोलकाता–700001, पश्चिम बंगाल
दूरभाष : +91-33-22355004 / 22352651 / 22352652 फैक्स : +91-33-22354562
ईमेल : eia-kolkata@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता - प्रयोगशाला
स्पेस 101, (प्रथम तल), साउथएंड कॉन्क्लेव,
1581, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता–700107, पश्चिम बंगाल
ईमेल : eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

उप कार्यालय:-

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता, उप कार्यालय: भुवनेश्वर
आईडीसीओ प्लॉट नंबर 45 / ए / 1,
चंदका औद्योगिक एस्टेट–पटिया
भुवनेश्वर–7510024, ओडिशा
दूरभाष : 91-674-2975868
ईमेल : eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण - दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली (मुख्यालय)
ठककर बप्पा स्मारक सदन, दूसरी मंजिल,
डॉ आंबेडकर मार्ग, (लिंक रोड)
(झंडेवालान मेट्रो स्थेशन के पीछे), दिल्ली–110055
दूरभाष : +91-11-23626320/21/22/23/24/25/26/27
फैक्स : +91-11-23626328
ईमेल : eia-delhi@eicindia.gov.in

उप कार्यालयः-

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, उप कार्यालयः इंदौर
303, कैप्टन. सी.एस. नायडू आर्केड 10/2,
ओल्ड पलेशिया, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001
दूरभाष : +91-731-2566057
ईमेल : eia-indore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, उप कार्यालयः जयपुर
201–202, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4, संसार चंद्र रोड,
जयपुर, जयपुर, राजस्थान–302001
दूरभाष : +91-141-2366 973 फैक्स : +91-141 - 2366 973
ईमेल : eia-jaipur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, उप कार्यालयः जालंधर
320, डब्ल्यू जी टी रोड, बस्ती अड्डा
जालंधर, जालंधर, पंजाब–144001
दूरभाष : +91-181-2403424 फैक्स : +91-181-2403 424
ईमेल : eia-jalandhar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, उप कार्यालयः कानपुर
एमडी प्लाजा, 38/105, मेस्टन रोड (दूसरी मंजिल)
बड़ा चौराहा के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208001
दूरभाष : +91-512-2369 927 फैक्स : +91-512-2369 927
ईमेल : eia-kanpur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, उप कार्यालयः लुधियाना
पहली मंजिल, एस सी ओ 17 (एनआरआई पुलिस स्टेशन के पास)
सेक्टर–39, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब–141010
दूरभाष : 0161 - 2410 083 फैक्स : 0161 - 2410 083
ईमेल : eia-ludhiana@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण - चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई (मुख्यालय)
6. मंजिल सी.एम.डी.ए. टॉवर–2, संख्या–01,
गांधी इरविन रोड, एग्मोर, चेन्नई, तमिलनाडु–600008
दूरभाष : +91-44-28552841 / 42
फैक्स : +91-44-28552840
ईमेल : eia-chennai@eicindia.gov.in

उप कार्यालयः-

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः भीमावरम
दरवाजा सं. : 7–150, दूसरी मंजिल, वेंकट राजू नगर,
चिन्नामिराम, जुवलापालम रोड, पश्चिम गोदावरी जिले,
भीमावरम, आंध्र प्रदेश–534204
दूरभाष : +91-8816-229075 फैक्स : +91-8816-229075
ईमेल : eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः कोयंबतूर
1 तल, उत्तर विंग, जवान भवन, सं. 27,
ट्रैवलर्स बंगला रोड, कोयंबतूर, तमिलनाडु–641018,
दूरभाष : +91-422-2393365 फैक्स : +91-422-2233365
ईमेल : eia-coimbatore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः हैदराबाद
नं 903, 9 वीं मंजिल, राघव रत्न टावर्स,
चिराग अली लेन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500018,
दूरभाष : +91-40-23712224 फैक्स : +91-40-23202224
ईमेल : eia-hyderabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः नागरकोइल
75–ए, कोर्ट रोड, शंकर बिल्डिंग,
नागरकोइल, तमिलनाडु–629001
दूरभाष : +91-465-232704 फैक्स : +91-4652-2327 04
ईमेल : eia-nagercoil@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः तूतीकोरिन
नं 271, ऐश्वर्या टावर्स, शिवंतकुलम रोड,
तूतीकोरिन, तमिलनाडृ–628003
दूरभाष : +91-461-232061 फैक्स : +91-461-2339182
ईमेल : eia-tuticorin@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः विशाखापट्टनम
डी.सं. 43–18–10/4, टी.एस.एन. कॉलोनी
3 तल, हीरो होंडा शो रूम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश–530016
दूरभाष : +91-891-2747141 फैक्स : +91-891 - 2747141
ईमेल : eia-vizag@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई, उप कार्यालयः नेल्लूर
3 तल, दक्षिण विंग, जी.के., इंपीरियल टावर्स,
दरवाजा सं.–23, प्लॉट सं. 468, किंग्स कोर्ट,
मागुन्टा लेआउट, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश–524003,
दूरभाष : +91-861-359900 / +91-861-2354400
ईमेल : eia-nellore@eicindia.gov.in

Annual Report 2019 - 2020

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Including Export Inspection Agencies)

Delhi/ Mumbai/Kolkata/Chennai/Kochi

(ENGLISH)

INDEX

Details	Page Number
From Director's Desk	
Chapter 1 Overview	**1**
Chapter 2 A Glance of activities and achievements	**11**
Chapter 3 Inspection and Certification Services	**23**
Chapter 4 Certificate of Origin	**30**
Chapter 5 Other Major Activities	**37**
Chapter 6 Progressive use of Hindi - The Official Language	**52**
Chapter 7 Computerization and Modernization	**53**
Chapter 8 Strengthening Manpower	**54**
Chapter 9 Network of Export Inspection Agencies	**65**

From Director's Desk

It gives me a great pleasure to present the Annual Report of the Export Inspection Council (EIC) for the year 2019-20. The EIC has ended yet another successful year, full of challenges, with satisfactory results. The year 2019-20, has been a demonstration of the EIC's capacity to ascertain the export of the quality product from India by ensuring the quality control of the exported commodities through a credible and efficient inspection and certification system and on the other hand by facilitating the export trade. With every passing year, the EIC has succeeded in establishing its credibility not only among the India's export fraternity but across the globe, as one of the best trade facilitators and service providers. The everlasting zeal of its employees and support staff to deliver better & better has immensely helped EIC in setting up a global benchmark.

During 2019-20, the EIC has explored various initiatives and projects to cater to the need of the country. Working on the principal of innovation and continual improvement, the EIC has opened up new desk offices in the Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep islands. The idea behind opening these desk offices is to evoke awareness and further facilitating the exports from these remote locations. The Export Inspection Council continues to explore all domains and possibilities to render world class services to the people with the support of it's field organisations, Export Inspection Agencies (EIAs). The EIC's certification for export is being recognized by many trading partners including European Union, USA, Custom Union, China, South Africa, Saudi Arabia, Bhutan, Turkey, Korea, Japan and Srilanka.

The capacity building and honing the skills of the employees is a key to success for any organization. The EIC believes in the same and continues to upgrade the knowledge of its officials through International and National trainings programmes and by conducting Outreach programmes for the exporters. These trainings and outreach programmes, have helped EIC to be at-par in context to the worldwide advancements in food and food technology. One such initiative is opening of the International Training Centre for Food Safety & Applied Nutrition (ITC-FSAN) at EIA Mumbai in 2019-20. This facility aims at providing training to Food Business Operators (FBO) and exporters, as well as Hands On Training experience for laboratory personnel from India and abroad.

The year 2019-20 also witnessed the visit of various International delegations at EIC like General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW) Japan, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, among many others. All delegations have appreciated EIC's certification system and professionalism. The discussions, inputs and suggestions, during these visits have not only been productive but also broadens the scope of EIC in terms of market access, value addition and system improvement.

As they say that "Sky Is The Limit" and on the lines of the same we commit to enter 2020-21, with even more passion and prudence in order to raise the benchmark of our services. We will endeavour to set new vectors of growth while building strong envelope around our core values of dedication, transparency and trust. I would also like to convey my gratitude to the EIC family, trading partners, national/international stakeholders, members from export fraternity and others, for there everlasting cooperation to ensure that safe and quality produce is delivered from the country, which has helped the EIC in strengthening India's image on global platform.

Best wishes to all of you!!

Jai Hind

Diwakar Nath Misra

Joint Secretary & Director, EIC

Overview

The Export Inspection Council (EIC) was established by Government of India under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to ensure sound development of export trade of India through Quality Control and pre-shipment Inspection and for matters connected thereof. The EIC is an advisory body to the Central Government for notification of commodities which will be subjected to quality control and/ or inspection prior to export, establish standards of quality for such notified commodities, and also to specify the type of quality control and/or inspection to be applied to such commodities.

The EIC is the official export certification body of India as well as Competent Authority for the notified commodities. The major role of EIC is to ensure the Quality and Safety of products exported to meet the requirements of the importing countries. This assurance is provided through Consignment-Wise Inspection (CWI) system and/or Food Safety Management System based Certification (FSMSC) through its field agencies. The Exports Inspection Agencies (EIAs) established under Section 7 of the Act are located at Mumbai, Kolkata, Kochi, Chennai and Delhi with a network of 24 sub-offices having by state – of - the art laboratories which are accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL) as per ISO 17025, all over India.

The EIC provides mandatory certification for various food products, namely, Fish & Fishery products, Milk Products, Egg Products, Frozen/Chilled Meat and Meat Products, Fresh Poultry and Poultry Meat Products, Animal Casings, Crushed Bones, Ossein and Gelatin, Feed additives and Pre-mixture, Peanut & Peanut products (EU & Malaysia), Basmati Rice (EU) and Honey. The other food items that are not notified under the Act, are also being certified on voluntary basis. Exports certification is carried out through the EIAs and is based on a system approach including GHP/GMP/HACCP as well as specific requirements of the importing countries. With more than fifty years of experience in the field of inspection, testing and certification of food products as per importing country requirements, the EIC has been recognised globally.

In this era of changing dynamics of food safety regulations and certification, the EIC has transformed its role and functions to build up the confidence among the trading partners across the

globe. The EIC has been instrumental in involving the stakeholders including exporter fraternity to meet the changing requirements of the importing countries with rising food safety concerns and technological upgradation.

The global trade of food is increasing significantly with the increasing international consumers and growing demands following the World Trade Organization (WTO) Agreements. There is a need to create awareness about the Sanitary and Phytosanitary (SPS) challenges and develop mechanisms to overcome these challenges posed by non-tariff measures in global food trade. The EIC has been playing a pivotal role in exploiting all possible opportunities for equivalence and recognition. The delegations from importing countries evaluate the official control and risk management mechanism. The delegations from Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA); Department of Veterinary Services (DVS) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) ,Malaysia; General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC); Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW) Japan; Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea have visited this year and assessed the official control of EIC in inspection , testing, and certification.

The EIC always actively involved in standard setting process at national and international levels and provide feedback to ensure the interest of exporters are well protected. The EIC has adopted Quality Management System and is ISO 9001:2015 certified to ensure realization of its objectives.

Citizen's Charter

Vision

- To facilitate worldwide access for Indian exports through a credible and efficient inspection and certification system and earn global recognition as India's premier organization for certifying quality and safety to meet international norms;

Mission

- To create an export inspection & certification infrastructure within the country, based on International Standards for Certification Authority in consonance with WTO requirements;

- To instil confidence in importers as well as regulatory authorities of India's trading partners about quality and safety of Indian products;
- To provide state-of-art testing facilities;
- To obtain recognition for EIC's Export Certification System from India's trading partners through Equivalence Agreements; to participate in international forum and protect Indian interest;
- To enhance capability of manpower through training to meet international requirements and keep abreast with latest technological advancements.

Values

- We are committed to act with integrity, judiciousness, transparency, accountability, courtesy and understanding in our dealings with the public.

Strength

- Experience of more than five decades in quality control, pre-shipment inspection and monitoring of commodities exported to all parts of the globe;
- Competent, skilled, qualified and trained manpower to perform inspection, testing and certification duties;
- State-of-Art NABL accredited laboratories spread over EIC network for testing and quality assurance of notified commodities in compliance to International standards;
- A strong network of Export Inspection Agencies (EIAs), with jurisdiction all over India, strategically located at all major ports, important industrial and production centres;
- An organization backed by statutory powers under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 without any conflict of interest and official export certification body of India with global recognition through MOUs, Equivalence agreements etc.

Organization Chart

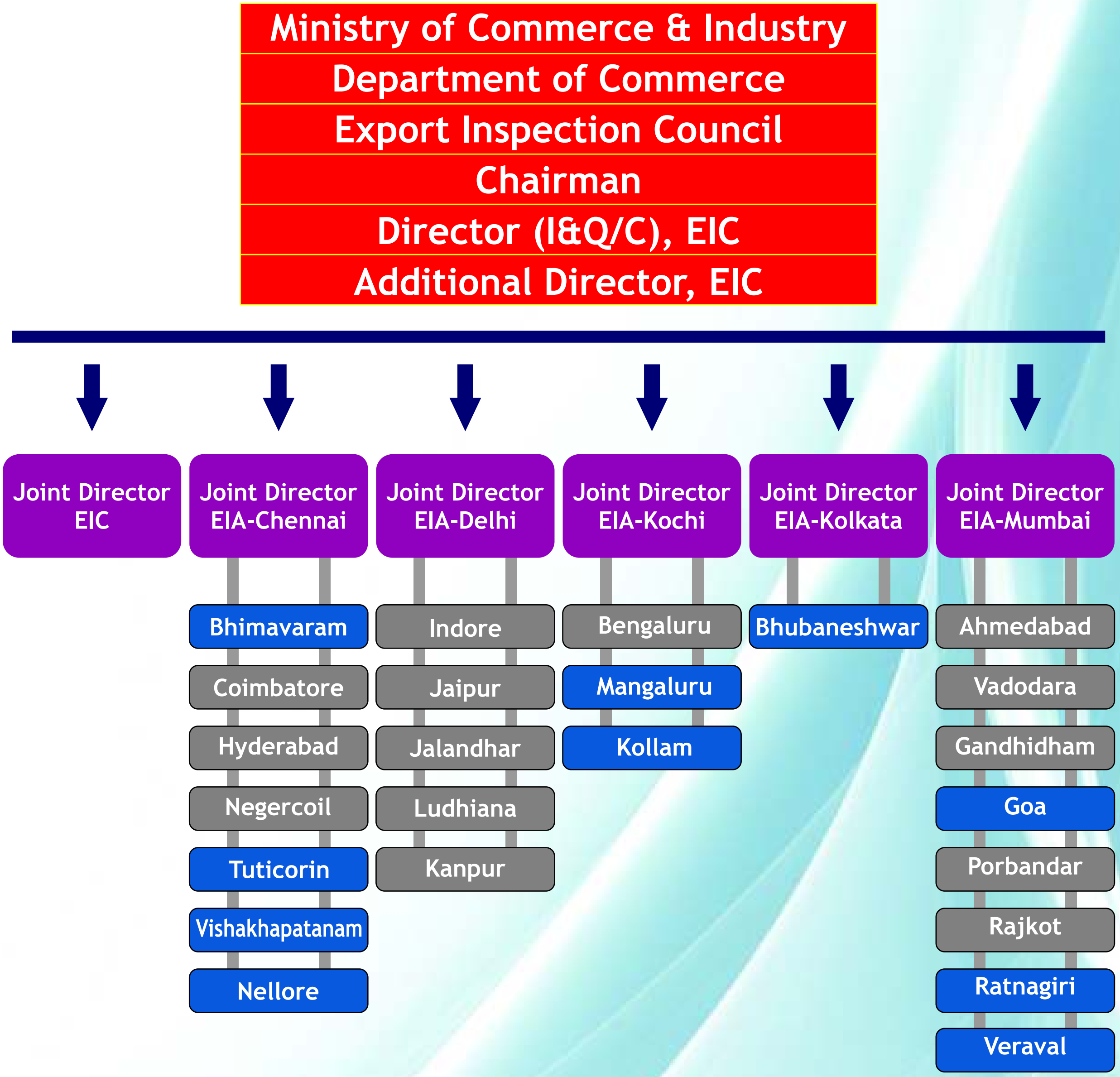

Note:

- Sub-Offices indicated with Blue have laboratory facility and Grey without lab facility.
- Desk offices of EIAs are at the Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep islands.

The Major Activities of the EIC

- Approval of processing establishments based on Food Safety Management System to ensure safety and quality of commodities meant for export as per importing countries standards;
- Pre-shipment inspection and certification based on Consignment Wise Inspection (CWI) to assure quality of export commodities as per laid down specification;
- Issuance of Preferential Certificate of Origin for export products under various preferential tariff schemes;
- Issuance of different types of certificates, namely, Health Certificate , Authenticity Certificate, Non- GMO Certificate, etc. under various export certification schemes;
- Recognition of Inspection Agencies and Laboratories;
- Residue Monitoring Plans as per importing countries requirements;
- Collaboration with FSSAI for laboratory testing services and testing of samples drawn from import consignments of food products;
- Training and capacity building of industry and other stake holders in areas of Quality and Food Safety Management System;
- Monitoring TBT Notification by WTO member countries and their impact on India's Trade.

Council Members

As per the notification S.O. 488(E) dated 01 February, 2018, the Central Government reconstituted, the Export Inspection Council, as mentioned below:

Sl.No.	Name And Designation	
1	Joint Secretary (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India New Delhi.	Chairman
2	Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council New Delhi	Member Secretary
3	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member Ex-officio
4	Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, New Delhi	Member Ex-officio
5	Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata	Member Ex-officio
Other Members		
6	Director (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India New Delhi.	Member
7	Joint Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.	Member
8	Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi	Member
9	Chairman, Marine Product Export Development Authority, Kochi	Member
10	Chairman, Spices Board, Kochi	Member
11	Joint Secretary, Ministry of Food Processing dealing with meat and meat products	Member
12	Joint Secretary, Plant Protection, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare	Member
13	Chief Executive Officer, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL House, Plot 45, Gurugram, Haryana	Member
14	Advisor (Standards), Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi	Member
15	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Member
16	President, All India Rice Exporters Association, New Delhi	Member
17	Vice Chancellor, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot 97, Sector 56, Kundli, Sonepat, Haryana	Member
18	Nominee Member, from M/s Geo-Chem Laboratories Private Limited, 21, Vishal, Wageshwari Plot, 2nd Floor, Porbandar, Gujrat	Member
19	Nominee member from M/s Inspectorate Griffith India Pvt. Ltd. No. 23 Chengalvaraya Naicker Maligai,4th Floor Rajaji Salai, Parrys, Chennai	Member
20	Nominee member, from M/s SGS India Private Limited, Plot No. 64, GIDC Main Road, Dharampur, Porbandar Gujrat	Member

List of Notified Commodities

The Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 empowers the Central Government, on the advice of the Council, to notify commodities along with their standards for export, based on the requirements to safeguard trade from India. The various commodities notified under the Act are placed in Table (a) below:

Table (a) : Commodities Notified Under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963

Notified Commodities	Gazette Order(s) / Notification(s)/ Order (s)
Animal Casings	Order S.O.2947 dated 03.11.1997 and Notification S. O. 2948 dated 03.11.1997 subsequent amendment(s) vide Notification S.O.1315 (E) dated 08.6.2012.Notification S.O. 6332(E) dated 28.11.2018.
Basmati Rice	Order S.O. 67 (E) dated 23.01.2003 and Notification S.O. 68(E) dated 23.01.2003 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1139 dated 15.5.2004, Notification S.O. 716 dated 05.3.2005 and Notification S.O. 791 (E) dated 24.5.2006. SO 136 (E) dated 13.01.2016. Notification S.O. 6337(E) dated 28.11.2018.
Black Pepper	Order S.O. 245 dated 07.3.1988 and Notification S.O. 1311 dated 22.4.1991. Notification S.O. 6333(E) dated 28.11.2018.
Crushed Bone, Ossein & Gelatine	Order S.O. 725 (E) dated 03.4.2012 &Notification S.O. 726 (E) dated 03.4. 2012.
Egg Products	Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated 04.08.1997 and subsequent amendment(s) vide Order S.O.1442(E) dated 19.12.2003 and Notification S.O. 1443(E) dated 19.12.2003, Notification S.O.721 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1516 dated 16.06.2008. Notification S.O. 1952(E) dated 22.8.2012. Notification S.O. 6340(E) dated 28.11.2018.
Feed additives & Pre mixture	Order S.O 3523(E) and Notification S.O. 3524 both dated 28 November, 2013. Notification S.O. 6339(E) dated 28.11.2018.
Fish & Fishery Products	Order 729 (E) dated 21.8.1995 subsequent amendment(s) vide Order S.O. 792 (E) dated 17.8.2001,Order S.O.722 (E) dated 10.7.2002,Order S.O. 464 (E) dated 24.4.2003,Order S.O. 1227 (E) dated 23.10.2003 and Order S.O. 1227 (E) dated 31.7.2006 and Principle Notification S.O. 730 (E) dated 21.8.1995 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 415 (E) dated 11.4.2002,Notification S.O.1029(E) dated 24.9.2002, Notification S.O.1034 (E) dated 9.9.2003, and Notification S.O.717 dated 25.02.2005, Notification S.O. 612 dated 15.02.2007, Notification S.O.1519 (E) dated 16.6.2008, Notification S.O.2714(E) dated 28.10,2009,Notification S.O. 143 (E) dated 21.01.2011 and Notification S.O. 497 (E) dated 10.3.2011. Notification S.O. 6341(E) dated 28.11.2018.

Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products	Order S.O. 1377(E) dated 30.12.2002 and Notification S.O. 1378(E) dated 30.12.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 719 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1517 dated 16.6.2008.
Fruit & Vegetable Products	Order S.O. 3352(E) and S.O 3353(E) both dated 28.10.2016. Notification S.O. 6338(E) dated 28.11.2018.
Honey	Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03.2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04.03.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1444 dated 19.12.2003, Notification S.O. 1245 dated 14.05.2004 and Notification S.O. 1581 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6336(E) dated 28.11.2018.
Milk Products	Order 2719 dated 28.11.2000 and Notification S.O. 2720 dated 28.11.2000 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 3719 dated 12.11.2002, Notification S.O. 999 (E) dated 13.9.2004, Notification S.O.1397 dated 24.4.2007, Notification S.O. 712 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1515 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6334(E) dated 28.11.2018.
Peanut & Peanut Products	DoC letter dated 16 May 2013
Raw Meat (Chilled / frozen)	Order S.O. 203 dated 15.01.1993 and Notification S.O. 204 dated 15.01.1993 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O.205 dated 25.01.1993, Notification S.O.1989 dated 03.9.1993 and S.O 2221 dated 04.10.1993. Notification S.O. 6335(E) dated 28.11.2018.
Non-Basmati Rice	DGFT Notification No.29/2015-2020 dated 04.11.2019.

Agreements/Recognitions of EIC Certification with Various Countries

The EIC, since its establishment is playing a crucial role in promoting trade through its quality control & inspection activities by ensuring compliance with the requirements of importing countries. The quality assurance activities of EIC help to facilitate world wide access for Indian exports and instil confidence in importers as well as importing countries authorities about quality and safety of Indian products. In line with the national and international needs, EIC continues to strive to have Memorandum of Understandings (MoUs)/ Mutual Recognition Agreements (MRAs)/ Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation Arrangements with the major trading partners. These arrangements facilitate acknowledgement of EIC's Certification System by regulatory authorities of importing countries and avoid multiple border inspections.

The details of the existing Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation with major trading partners is listed

Table (b): Equivalence Agreements / Recognition / Cooperation Arrangements

Country	Products Covered	Year of Agreement/ Recognition
USA(USFDA)	Black Pepper Cooperative engagement in regulatory, Scientific and technical areas associated with food products. Confidentiality Commitment.	1988 2015 2016
European Commission	Fish & Fishery Products, Basmati Rice, Animal Casing, Honey, Crushed bones, ossein & gelatin, egg products, peanut and peanut products, feed additive and pre-mixture, Spices (capsicum & curry leaves in all forms)	1997 onwards
Korea	Frozen marine products, processed spice goods, processed nuts, tea, honey, jam, preserved goods, sauce, sugar syrup, edible oil and fats	2004
Turkey	Food products, food packaging materials and stainless steel utensils	2004
Sri Lanka	85 products under the Import Inspection Scheme of Sri Lanka namely milk products, edible oils, packaged water, preserved food, toiletries, bicycle tyres & tubes, steel section & wires, electric goods & PVC cables & cords etc.	2005

Singapore	Food & agriculture (egg products, dairy products, drinking water), Electric & electronic products, Telecommunication equipment and Drugs & Pharmaceuticals	2005
Japan	Poultry & marine products	2005
Custom Union	Fish & Fishery Products Dairy Products	2009 2016
Saudi Arabia	Fish & Fishery Products	2009
China	Fish & Fishery Products Feed and feed ingredients Rapeseed meal Fish Meal and Fish Oil Chili spent	2012 2013 2015 2018 2019
Bhutan	Food And Agricultural Products	2013
Netherlands	General Food Safety	2019

The EIC has transformed its resources and service quality with specific aim to fulfil the initiatives taken by Government of India on ease of doing business and digital India with core objective to provide increased opportunity for export of food commodities vis-a -vis International needs. The EIC is actively collaborating with other stakeholders, like, promotional boards, exporters, importing countries authorities, industry associations, chambers of commerce in building infrastructure, skill upgradation, technical competence and analytical capability. The EIC is proactively involved in developing its own competence to meet any future challenges related to SPS measures imposed by different countries.

A Glance of Activities and Achievements

The Export Inspection Council (EIC), an advisory body to the Government of India, has successfully provided more than five decades of service to the nation. The major achievements are a shared effort of strong leadership, committed and motivated employees and support of all relevant stakeholders.

2.1 International Cooperation

- A protocol of Sanitary and Phytosanitary Regulations on importing Indian Spent Chilli, between General Administrations of Customs People Republic of China (GACC) and Export Inspection Council, was signed on 08th May 2019.

2.2 Visit of International Delegation

a) Visit of Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) to EIC

3rd Joint Review Meeting (JRM) between EIC and BAFRA, Bhutan was held on 16th April 2019 at New Delhi, India. Based on the decision taken during meeting, the EIAs have started sharing the scanned copy of Health Certificates (HCs) with Nodal Contact Points of BAFRA Bhutan.

Group Photo after Joint Review Meeting between BAFRA and EIC on 16.04.2019

b) Visit of Department of Veterinary Services (DVS) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), Malaysia

The Malaysian Delegation namely, Department of Veterinary Services (DVS) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) visited EIAs during 23-26 April 2019, to inspect Indian Gelatine and Dairy export units.

c) Japanese Delegation from Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW)

The EIC facilitated the visit of Japanese Delegation from Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW) during 1- 6 March 2020 for inspection of Hygiene Control in cultured shrimps (Black Tiger). The delegation expressed their satisfaction and found that EIC has better control on the black tiger shrimps exported to Japan. As a result, Japan has lifted inspection order for Indian Black Tiger shrimps thereby reducing import inspection sampling frequency to 30 per cent from 100 per cent which will facilitate early clearance of consignments at Japanese ports.

Visit of Japanese Delegation from Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW) during 1- 6 March 2020

d) General Administrations of Customs People Republic of China (GACC) Delegation Visiti

The delegation of General Administrations of Customs People Republic of China (GACC) visited India during 16-23 October 2019 to inspect the Indian Soybean grain processing establishments at Indore; and Port and Quarantine facilities at Mumbai for market access of Soybean grains to People's Republic of China.

The GACC delegation visit to India.

e) Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea

The delegation from Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, visited India for onsite inspection of Fishery Products processing establishment during 23rd September - 03rd October, 2019.

Opening Meeting of the Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, at EIC .

f) Visit of Bangladesh Delegation

The Bangladesh Delegation visited the EIC on 19th July 2019. During their visit an interactive session with Bangladesh delegation on REX System of EU-GSP was conducted.

Bangladesh Delegation Visit to EIC

2.3 National Visits

a)Visit of Director, EIC, to EIA Kochi

Shri Diwakar Nath Misra, Director, EIC at EIA Kochi.

Shri Diwakar Nath Misra, Director (l&QC) EIC and Joint Secretary, Ministry Of Commerce & Industry, New Delhi, visited EIA Kochi on 25.01.2020 where he interacted with the EIA Kochi employees and also visited the laboratory wing of EIA Kochi.

2.4 Capacity Building

Human resources is one of the biggest strength for EIC. There are well planned periodic capacity building initiatives to develop the skills and knowledge of all concerned stakeholders. EIC / EIA officers are deputed for trainings/ workshops and seminars at national and international level. Refresher programs are conducted by EIC/ EIAs under various schemes to familiarise the officers and staff about on-going developments. In addition, EIC/ EIA officers are deputed as resource persons in various programs coordinated by other stakeholders.

In order to achieve compliance with the requirements of international authorities, EIC take several initiatives from time to time to ensure that its stakeholders and exporter fraternity is well acquainted about the regulatory needs. More than 50 different outreach programmes have been conducted across India. In addition to above, EIC is one of the important stakeholders of the "Standards Conclave" organised jointly by Ministry of Commerce and Confederation of Indian Industries (CII).

a) Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) and Lead Instructor (LI) Courses:

PCQI/LI Training programme

The EIC in conjunction with United States Food and Drug Administration (USFDA) to conduct Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) and Lead Instructor (LI) Training in India. Under this initiative, four programmes were conducted at Kolkata (April 1-5), Chennai (April 8-12) and Mumbai (May 6-10 & 13-17) during 2019. The aim of these courses is to train a cadre of Lead Instructors in India, with a mission of developing and delivering standardized curricula related to FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) requirements. A pool of 22 officers from EIC and EIAs have been trained as Lead Instructor (LI) and are now proficient to train individuals for PCQI courses.

b) Skill Enhancement in Marine Sector Programmes:

Valedictory session of the SEMS Training programme at EIA Mumbai.

In continuation to the five programs conducted during 2018-19, the EIC conducted another Skill Enhancement in the Marine Sector (SEMS) programmes for sustainable export opportunities by Enhanced Official control by State and UTs Fisheries Departments, at EIA Mumbai during 10-14 February, 2020. In past the EIC has conducted five programs at Chennai, Kochi, Vijayawada, Mangalore and Veraval to groom the State fisheries officials to adopt better quality control systems at the primary produce stage itself. Till date, total 90 State /UT officials have been trained through these programmes.

2.5 Codex Activities :

The EIC, as a part of its endeavour to abreast itself about the global changes in food safety and quality requirements and to effectively address the issues concerning its mandate, has participated in the following Codex meetings/activities during the year 2019-20:

- 51st Session of Codex Committee on Pesticides Residues (CCPR) at Macao SAR, P.R.China during 7-13 April 2019.
- Inception Workshop of Joint Bhutan-India-Nepal (BIN) Project under Codex Trust Fund-2 (CTF2) at New Delhi, India on 21 June 2019.
- Participation as Expert for "Training Workshop on Food Import and Export Inspection and Certification System" for Nepal and Bhutan Officials under CTF2 Joint BIN Project at Dhulikhel, Nepal and Paro, Bhutan during 11-12 August, 2019 and 14-16 August,2019 respectively.
- High Level Meeting on 31st August 2019 in FSSAI to discuss the challenges/opportunities for strengthening Codex work at National level and ensure commitment at top level decision makers.
- 21st Session of FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA) at Goa, India during 23-27 September 2019.
- US-CCASIA Colloquium 2019 at New Delhi, India during 14-16 October 2019.

- Workshop on “Chemical Risk Analysis Framework for Food Safety” organized by FSSAI/Codex-India at IITR, Lucknow, India during 21-24 October 2019 under CTF2 Joint BIN Project.

In addition to the above, officers from EIC/EIAs participated in 9 electronic working groups (eWGs) pertaining to various Codex committees. The EIC also provided inputs to FSSAI/Codex-India for the survey on National Food Control System.

Training Workshops at Nepal and Bhutan in August 2019 under CTF2 Joint BIN Project

(a)Indian delegation at 51st Session at CCPR at Macao SAR, P.R.China during April 2019

(b) Participants during 21st Session of CCASIA at Goa, India during September 2019

US-CCASIA Colloquium 2019 at New Delhi, India during 14-16 October 2019.

2.6 National and Regional Standards Conclaves.

During the year 2019-20, the EIC has partnered with CII and Department of Commerce in organizing **6th National Standards Conclave** with the theme **"Standards for Trade Facilitation"** on 15-16 January, 2020 at New Delhi. Participation in such events at National and Regional levels provides the EIC opportunity to get connected with the exporters and also to participate in the national standard setting programs.

EIC Participation in 6th National Standards Conclave at New Delhi in January 2020

2.7 Fairs and Exhibitions

a) Participation of EIC at CII-Kerala Food Summit.

Participation of EIC in CII-Kerala Food Summit 2019.

The EIC participated in 2nd edition of CII-Kerala Food Summit- Conference and Exposition, during 17-18 December 2019 at Kochi, Kerala. The stall of EIC was appreciated by the exporters and delegations. Sh. Rameswar Teli, Hon'ble Minister of State for Food Processing Industries, Govt. of India, unveiled the brochure of EIA-Kochi.

b) Participation of EIC in India International Seafood Show (IISS) - 2020

India International Seafood Show-2020.

The EIC participated IISS 2020 organized from 07th to 09th February 2020 organized jointly by MPEDA and SEAI. EIC being the knowledge partner for the program also put up a stall to showcase its activities and participated in a Technical Session. Shri Arif Mohammad Khan, Hon'ble Governor of Kerala and Shri. Rameshwar Teli, Hon'ble Minister for State, Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India, visited EIC stall of EIC and were briefed about the activities of EIC and the service provided to export trade.

The stall was visited and appreciated by delegates from all over India and from other countries. Shri. Jayapalan G, Deputy Director, EIA-Kochi also received a memento on behalf of EIC for Gold

sponsor from Shri. Rameshwar Teli, Hon'ble Minister for State, Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India.

2.8 Other Events and Activities

The year 2019-20 was an eventful year for EIC wherein numbers of National events were organized. All the events were celebrated in great spirit and full involvement of all employees. The events and activities were not limited to EIC/EIA office premises but also marked the involvement of schools, colleges, societies and other stakeholders. The EIC/EIAs observed several important activities during the year and brief details of these activities are given below:

Table (c) National Events 2019-20

NATIONAL EVENTS OBSERVED 2019-20			
S.No.	**Activity**	**Description of Activity**	**Photographs**
1.	World Food Safety Day.	Pledge was taken on occasion of “World Food Safety Day” on 7 May 2019. Pamphlets were distributed to evoke awareness and the specified poster was displayed on notice board.	
2.	World No Tobacco Day ” 31 May 2019	Pledge was taken on 31 May 2019 during “World No Tobacco Day”. Distribution of awareness pamphlets was done along with display of board.	

3.	International Yoga day	The International Yoga Day was celebrated at EIC/EIAs on 21 June, 2019 . Yoga sessions were organized wherein talks were delivered on the importance and benefits of Yoga for Health, Happiness and Harmony. All officers and staffs performed yoga during the session.	
4.	Hindi Pakhwada	The "Hindi Diwas/Pakhwada" was observed from 13-27 September, 2019 across EIC and EIAs. External experts were invited for hindi workshops. Various hindi competitions like *Shabdawali Pratiyogita, Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippani* & *Nibandh Pratiyogita* were conducted.	
5.	Vigilance Awareness Week	Vigilance Awareness Week was observed at EIC/EIAs during 28 October to 02 November, 2019.	
6.	*Rastriya Ekta Diwas*/National Unity Day	A Pledge was taken at EIAs during the celebration of "*Rastriya Ekta Diwas*/National Unity Day", on 31 October, 2019.	

7.	*Swachhta Pakhwada*	The *Swachhta Week* was observed in EIC/EIAs during 01-15 November 2019. During the week activities like, Swachhta pledge, display of banners, outreach leaflet for awareness, cleaning of the office premises, deliberation with stake-holders on Swachhata awareness, personnel Hygiene Day, were organized. As part of the realization of the Hon'ble Prime Minister's vision of a *Swachh Bharat*, EIA Kochi extended Swachhta activities beyond the office premises to other area such as fish landing and auctioning centers along with active participation of the trade. In order to improve the hygiene and sanitary conditions of Fishing Harbour Munambam, EIA- Kochi carried out the Swachhta activities at the harbour on 09 November, 2019 in collaboration with Seafood Exporter's Association (SEAI), Kerala Region and NETFISH – MPEDA.	
8.	Communal Harmony Week and Flag day	Communal Harmony Week was observed across all EIAs from 19-25 November 2019 and Flag day was celebrated on 25th November 2019.	

Inspection and Certification Services

The EIC primarily follows two types of approaches for inspection and certification in respect of commodities under its mandate i.e. System based Inspection and Consignment-wise Inspection, which are elaborated below;-

a) Food Safety Management System based Certification (FSMSC).

The processing establishments conforming to Food Safety Management Systems based on HACCP/GMP/GHP are approved under Food Safety Management Systems based Certification. In addition, they also required to meet the primary production controls and finished product requirements specified by the importing countries. Currently, such systems are being promoted and implemented in many food products. In the case of fish & fishery products, poultry meat & poultry meat products, egg products, Crushed bone, ossein and gelatine, Government of India has made it mandatory that these products can be exported only from approved establishments covered under this system. In other food products, such as, black pepper, basmati rice, honey, etc. this system is also being adopted based on the requirements of the importing country.

In FSMSC based certification , the primary responsibility of the processors is to ensure that the products intended for exports are handled/processed, at all stages of production, stored and transported under proper hygienic conditions so as to meet the food safety requirements laid down under the rules and that the product conforms to the specification stated in the Order. To fulfil this responsibility, the establishments are required to plan and implement own system of checks and keep necessary records. The EIAs are required to verify compliance by the processing establishments as per the notification requirements.

b) Consignment Wise Inspection (CWI) System:

Under the Consignment Wise Inspection System, export consignment is inspected and tested by the EIAs. Samples are drawn as per statistical sampling plans, and tested to verify the conformity of products to the prescribed standards. This type of inspection is also offered for some notified commodities, e.g. Basmati Rice, Milk Products, Honey, Feed additives & Pre-mixtures, Fruit Products. The CWI is also offered under Voluntary Certification Scheme.

Table (d): The number of establishments approved by EIC/EI As on 31.03.2020

Number of Units Approved						
Under FSMSC	**EIA CHENNAI**	**EIA DELHI**	**EIA KOCHI**	**EIA KOLKATA**	**EIA MUMBAI**	**TOTAL**
Milk Products	25	69	6	0	53	**153**
Honey	0	18	0	0	0	**18**
Egg Product	3	1	2	0	1	**7**
Fresh Poultry Meat & Poultry Meat Products	5	1	2	0	6	**14**
Fish & Fishery Products	234	0	227	117	231	**809**
Black Pepper	0	0	12	0	8	**20**
Animal Casings	0	1	0	0	2	**3**
Feed Additives & Pre Mixtures	4	6	2	0	7	**19**
Basmati Rice	0	25	0	0	1	**26**
Fruit Products	23	4	0	1	36	**64**
Rape Seed Meal	0	3	0	0	3	**6**
Voluntary Scheme	15	10	10	0	51	**86**
Soybean Meal	0	1	0	0	0	**1**
Total	**309**	**139**	**261**	**118**	**399**	**1226**

Table (e) : Export Certification

Details of Export Certification Under Different Schemes During 2019-20					
	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI
Health Certificate under Food Safety Management System (FSMS)	29,818	6,170	11,271	11,282	25,448
Health Certificate under Consignment Wise Inspection (CWI) System	2,460	562	472	342	10,016
Non-GMO Certificates	256	2,990	36	0	4,297
Health Certificate under Food Safety Management System (VCS)	696	3,865	755	0	8,954
Certificates issued under Turkey Scheme	132	291	71	2	704
Authenticity Certificates	0	584	5	0	0

3.1 Certification Scheme for Fish and Fishery Products

Under the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, vide Gazette Notification No. 730 (E) dated 21 August 1995, as amended from time to time, compulsory pre-shipment certification of Fish and Fishery Products is being carried out. There are 308 approved fish and fishery products processing establishments approved during 2019-20 for export.

3.2 Certification Scheme for Fruit & Vegetable Products

Order S.O. No. 3352 (E) and Notification No. S.O. 3353 (E) both dated 28.10.2016 related to export of fruit & vegetables products have been published in Gazette of India on 31.10.2016. The new order has superseded the Principal Order S.O.1420 dated 13.05.1978 and Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules 2016 have been notified by notification S.O.3353 (E) in supersession of the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules 1978. The above order notifies that fruit and vegetable products shall be subject to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such export certification. The EIC through its EIAs is implementing the scheme and there are total 20 approved establishments under the scheme as on 31 March, 2020.

3.3 Certification Scheme for Issuance of Health Certificate for Peanut & Peanut Products

The EIC has been entrusted with the responsibility of issuing health certificates for peanut and peanut products meant for export to EU and Malaysia in 2013.

3.4 Certification Scheme for Egg Product

The EIC is implementing the scheme for export of egg products in terms of Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated 04.08.1997. The establishments are approved and monitored by EIAs. The major destination for the export of egg products are EU, Australia, Japan,

Custom Union etc. EIC has also taken up the initiatives to explore market access/ resolve operational issues for export to several other countries, like, Indonesia, Malaysia, Australia, South Africa, etc. As on 31.03.2020, a total of two establishments have been approved for egg products.

3.5 Certification Scheme for Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products

The export of fresh poultry meat and poultry meat products was brought under purview of The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide GOI Order and Notification S.O. 1377(E) and S.O 1378(E) both dated 30.12.2002, and further as amended from time to time. In 2019-20, a total seven units have been approved by EIAs with five from EIA- Chennai and one each from EIA Mumbai and EIA-Kolkata.

3.6 Certification Scheme for Milk Products

The EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of milk products. This scheme was notified vide Order 2719 dated 28.11.2000 and Notification S.O. 2720 dated 28.11.2000 and further as amended from time to time. The major products exported from India includes milk powders, casein & its derivatives, cheese, butter, canned sweets, frozen paneer, ghee etc. EIC has taken up the market access issue for export to Russia, Malaysia, China, Indonesia and Mexico.

3.7 Certification Scheme for Basmati Rice

The amendment to Principal order S.O. 67 (E) dated 23 January, 2003 of basmati rice was published vide S.O. 136(E) dated 13 January, 2016. Total six number of Basmati Rice Units were approved in 2019-20, with five under the official control of EIA Delhi and one under EIA Mumbai.

3.8 Certification Scheme for Honey

The EIC is operating a scheme for export certification of honey. This scheme was notified vide Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03. 2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04 March, 2002 and subsequent amendments from time to time. There are twelve honey processing units approved by EIC under FSMSC. Currently, the export of honey from India is going on smoothly to USA, European Union and other non EU destinations. Validity of approval has been revised from one year to two years to facilitate the export trade.

3.9 Certification Scheme for Raw Meat (Chilled / Frozen)

Export of Raw meat (chilled/ frozen) is notified vide Order / Notification No. S.O. 203 & S.O. 204 dated 15 January, 1993 and EIAs were notified as one of the agencies to issue health certificate for export purpose. The Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, have been amended for quality control and certification procedure under food safety management system based certification, which was published vide Notification S.O.3023 (E) and S.O.3024 (E) both dated 28th December, 2012. EIC has been extending technical support to stakeholders by participating in the assessment team.

3.10 Certification Scheme for Feed Additives and Premistures for Export

EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of feed additives & pre mixtures. The major products exported include mineral and vitamin supplements, binders, zoo technical additives etc. which are primarily exported to EU countries. The export of Feed Additives and Pre-mixtures is brought under the purview of export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide order No. S.O. 3523 (E) and notification Vide no. S.O. 3524 (E) dated 28 November, 2013 as amended from time to time.

3.11 Certification Scheme for Crushed Bones, Ossein & Gelatine for Export

For maintaining the highest quality of export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine, the commodity was notified vide Order and Notification both dated 3 April 2012 called The Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rule, 2012. As per the Notification, EIC is recognised as the Central Competent Authority.

3.12 Certification Scheme for Animal Casings for Export

The EIC is designated as the Competent Authority for export of Animal Casings vide Notification S.O.1315 (E) dated 8th June 2012. The major export of animal casings takes place to EU countries. Three establishments were approved for export purpose. The exporters can apply online for obtaining health certificates.

3.13 Issuance of Health Certification for Export of Food Products Under Voluntary Certification Scheme

Regulatory authorities/ buyers of several importing countries insist for health certificate/ certificate of export worthiness for export of certain food, feed and food contact materials which are not notified under EIC's Act. Considering this requirement of importing regulatory authorities and to facilitate the exports from India, health certificates are issued by EIAs as per the requirement of importing countries. The salient features of the scheme include issuance of Health Certificate for consignments which conforms to the requirements of the regulatory authorities' of importing countries / buyers' requirements/ relevant National standards as applicable. The scheme authorizes exporter himself to draw the sample and get it tested which reduces the lead time for export.

Certificate of Origin

The introduction of the Registered Exporter system (the REX system) in 2017-18 saw the smooth implementation of the REX registration system, at all EIAs and sub offices in 2018-19 and 2019-20. The REX is based on the principle of self-certification by economic operators who will make *statements on origin*. The REX system was introduced in the GSP rules of origin by the amending Regulation (EU) No 1063/2010 dated 18.11.2010 in the context of the reform of the GSP rules of origin in 2010. While the other elements of the reform have taken their effect from 1 January 2011, the application of the REX system was deferred to 1 January 2017, to give enough time to the GSP beneficiary countries to be ready. Export Inspection Council is one of the Competent Authority among the 16 other organizations designated by Department of Commerce to register the exporters in REX system. Trainings and awareness programmes were organised during the year for the exporters or economic operators all over India for smooth implementation. Further, the EIAs issued total 5,18,883, Preferential Certificates of Origin under various FTAs as per laid down procedures and guidelines, as detailed in the table.

Table (f) : Certificates of Origin Issued During the Year 2019-20

Certificates of Origin Issued During The Year 2019-20							
S.NO.	SCHEME	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL
		Through EIC CoO Module	Through EIC CoO Module	Through EIC CoO Module	Through EIC CoO Module	Through EIC CoO Module	
1	GSP	26,725	24,073	24,366	7,203	56,039	1,38,406
2	GSTP	2,111	2,222	1,050	67	8,010	13,460
3	SAPTA	209	438	3,682	18	5,415	9,762
4	ISFTA	3,193	3,654	1,060	447	7,451	15,805
5	ITFTA	81	66	136	0	686	969
6	ISCECA(Singapore)	0	2	91	0	75	168
7	SAFTA	3,308	12,033	1,516	14,930	11,140	42,927
8	APTA	8,040	3,536	2,555	2,685	14,343	31,159
9	ICPTA(Chile)	806	1,289	1,646	238	2,968	6,947
10	IMPTA(Mercosur)	136	105	61	0	161	463
11	AIFTA	14,626	34,707	25,506	4,289	62,895	1,42,023
12	INKCEPA	17,565	10,127	6,767	1,151	21,704	57,314
13	IMCECA	491	853	474	38	1,839	3,695
14	IJCEPA	5,839	15,114	4,053	4,658	12,913	42,577
15	BA	0	0	123	0	0	123
	Total	**83,130**	**1,08,219**	**73,086**	**35,724**	**2,05,639**	**5,05,798**

Certificates of Origin Issued During The Year 2019-20							
S.NO.	SCHEME	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL
		Through Common Digital Platform	Through Common Digital Platform	Through Common Digital Platform	Through Common Digital Platform	Through Common Digital Platform	
1	GSP	0	0	0	0	0	0
2	GSTP	0	0	0	0	0	0
3	SAPTA	2	15	0	0	20	37
4	ISFTA	0	0	0	0	0	0
5	ITFTA	0	0	0	0	0	0
6	ISCECA(Singapore)	0	0	0	0	0	0
7	SAFTA	562	3,639	123	1,217	2,185	7,726
8	APTA	0	0	0	0	0	0
9	ICPTA(Chile)	530	1,167	288	172	2,112	4,269
10	IMPTA(Mercosur)	0	0	0	0	0	0
11	AIFTA	0	0	0	0	0	0
12	INKCEPA	351	230	127	19	326	1,053
13	IMCECA	0	0	0	0	0	0
14	IJCEPA	0	0	0	0	0	0
15	BA	0	0	0	0	0	0
	Total	**1,445**	**5,051**	**538**	**1,408**	**4,643**	**13,085**

Brief details of 15 PTAs / FTAs under which Certificates of Origin are presently issued by EIC/EIAs are as follows:

4.1 Generalized System of Preferences (GSP)

The Generalized System of Preferences (GSP) is a formal system of exemption from the general rules of the World Trade Organization (WTO), privileged to be treated as the most favoured nation principle (MFN). Under this system, total 1,38,406 were issued by EIAs during 2019-20.Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20 are 208.

4.2 Global System of Trade Preferences (GSTP)

The Agreement was signed on 13th April, 1988 and came into force with effect from 19 April, 1989. Forty-four countries have become participants after endorsing the Agreement and getting the trade concessions among the members of the Group of 77. The coverage of the GSTP extends to arrangements in the area of tariffs, para-tariff, non-tariff measures, direct trade measures including medium and long-term contracts and sectorial agreements. Under this system, total 13,460 certificates were issued by EIAs during 2019-20. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.3 Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

This Agreement promotes economic development through a continuous process of trade expansion among the developing member countries of ESCAP and to further international economic co-operation through the adoption of mutually beneficial trade liberalization measures consistent with their respective present and future development and trade needs. Under this system, total 31,159 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Ten Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.4 Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)

The Contracting States establish the South Asian Free Trade Area (SAFTA) to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchange of concessions in accordance with this Agreement. It promotes and enhances mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement by eliminating trade barriers, promoting conditions of fair competition in the free trade area, creating effective mechanism for implementation and application of the agreement. The SAFTA Agreement came into force on 1st January, 2006. Under this system, total 50,653 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Three Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.5 Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA)

The objective of this Agreement is to promote the expansion of trade and harmonious development of economic relations between India and Sri Lanka, provides fair conditions of competition for trade between India and Sri Lanka. Under this system, total 15,805 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Six Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.6 India Japan Comprehensive Partnership Agreement (IJCEPA)

India Japan Comprehensive Partnership Agreement was signed on February 16, 2011. The objectives of this Agreement are to liberalize and facilitate trade in goods and services; increase investment opportunities and strengthen protection for investments; ensure protection of intellectual property, promote cooperation for the effective enforcement of competition laws; improve business environment; establish a framework to enhance closer cooperation in the fields agreed in the Agreement; and create effective procedures for the implementation and application of this Agreement and for the resolution of disputes. Under this system, total 42,577 certificates were

issued by EIAs during 2019-20. Three Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.7 India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)

India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement was signed on 7 August, 2009. The objectives of this Agreement are to liberalise and facilitate trade in goods and services and expand investment, establish a cooperative framework for strengthening and enhancing the economic relations; promote conditions of fair competition in the free trade area; establish a framework of transparent rules to govern trade and investment. Under this system, total 58,367 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20 are 43.

4.8 India - MERCOSUR Preferential Trade Agreement (IMPTA)

India Mercosur PTA was signed between Mercosur, a trading bloc in Latin America, and India on January 25, 2004. The Framework Agreement for the creation of a Free Trade Area between MERCOSUR and the Republic of India to expand and strengthen the existing relations and promote the expansion of trade by granting reciprocal fixed tariff preferences with the ultimate objective of creating a free trade area between the parties. Under this system, total 463 certificates were issued by EIAs during 2019-20. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.9 Preferential Trade Agreement (PTA) with Chile

India Chile Preferential Tariff Agreement was signed on March 8, 2006. The objectives of the agreement are to promote the expansion of trade and harmonious development of the economic relations between the two countries, provide fair conditions of competition for trade and removal of trade barriers. Under this system, total 11,216 certificates were issued by EIAs during 2019-20. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.10 India- ASEAN Agreement

The Agreement on Trade in goods signed on August 13, 2009 under the framework agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South-East Asian Nations shall apply to trade in goods and all other matter relating thereto as envisaged in the Framework Agreement. Under this system, total 1,42,023 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20 are 190.

4.11 India Afghanistan Free Trade Agreement (IAFTA)

The objectives of this Agreement are to promote through the expansion of trade the harmonious development of the economic relations and to provide fair conditions of competition for trade between India and Afghanistan.

4.12 SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)

The Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement was signed on April 11, 1993. The contracting states establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) to promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the Contracting states, through exchanging concessions in accordance with this Agreement. Under this system, total 9799 certificates were issued by EIAs during 2019-20. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.13 India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (ISCECA)

The objectives of India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement is to strengthen and enhance the economic, trade and investment cooperation; liberalise and promote trade in goods and services, improve the efficiency and competitiveness of their manufacturing and services sectors and to expand trade and investment, to explore new areas of economic cooperation and develop appropriate measures for closer economic cooperation; to facilitate and enhance regional economic cooperation and integration. Under this system, total 168 certificates were issued by EIAs during 2019-20. One Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.14 India Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement

The CECA will progressively liberalize trade in services on a preferential basis, with substantial sectoral coverage, including Movement of Professionals and Skilled Persons, Cross-border Supply, and Telecommunications Services to provide commercially meaningful market access. The market access commitments under the CECA provide for more liberal tariff concessions, including faster timelines and reduced exclusion lists, than in the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The CECA includes economic cooperation in areas such as infrastructure development, creative industries, tourism, SMEs, business facilitation, science and technology, and human resource development. Under this system, total 3695 certificates were issued by EIAs during 2019-20. Two Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

4.15 India Thailand Free Trade Agreement

The Governments of the Republic of India and the Kingdom of Thailand shall make efforts to create favourable conditions for greater economic cooperation and promote fair competition; progressively liberalize and eliminate barriers to trade in, and facilitate the cross-border movement of goods and services on a reciprocal basis as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime; and explore new areas and develop appropriate measures for closer economic cooperation between the two countries. Under this system, total 969 certificates were issued by EIAs during 2019-20. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2019-20.

Other Major Activities

5.1 New Developments at EIC and EIAs:

5.1.1 Recognition of EIA laboratories as National Reference Laboratory (NRL)/Ancillary facility of NRL (ANRL)

Dr. J.S Reddy Additional Director, EIC, receiving certificate of recognition from Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harsh Vardhan

FSSAI declared three EIA laboratories as National Reference Laboratory (NRL)/Ancillary facility of NRL (ANRL) detailed below:

1. Export Inspection Agency Kochi Laboratory - National Reference Laboratory (NRL) for GMO (Genetically Modified Organism) testing.
2. Export Inspection Agency Kolkata Laboratory as an Ancillary facility of NRL (ANRL) in the area of Heavy Metals.
3. Export Inspection Agency Chennai Laboratory as an Ancillary facility of NRL (ANRL) in the area of Microbiology.

Dr. J.S. Reddy, Additional Director, EIC, received the certificate of recognition of EIA laboratories as NRL/ANRL from Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harsh Vardhan on 23 August 2019.

5.1.2 Inauguration of ITC-FSAN at EIA Mumbai.

(a) Inauguration of ITC-FSAN by Ms. Rita Teaotia, Chairperson , FSSAI (b) Shri D.N. Misra, JS, Director, EIC, addressing during the inaugural event.

International Training Centre for Food Safety & Applied Nutrition (ITC-FSAN) was inaugurated on 22 September 2019 at EIA Mumbai. This training center has been established by Export Inspection Council (EIC) and Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in association with Global Food Safety Partnership (GFSP), an initiative of the World Bank. This facility will conduct training programmes with respect to the food safety for the various stake holders in the food chain including various Food Business Operators (FBO), exporters etc. The Hands On Training facility (HoT) at ITC-FSAN will impart practical training for the analysis of residues and contaminants in food to the laboratory personnel from India and neighboring countries.

5.1.3 Inauguration of Desk Offices at Union Territories.

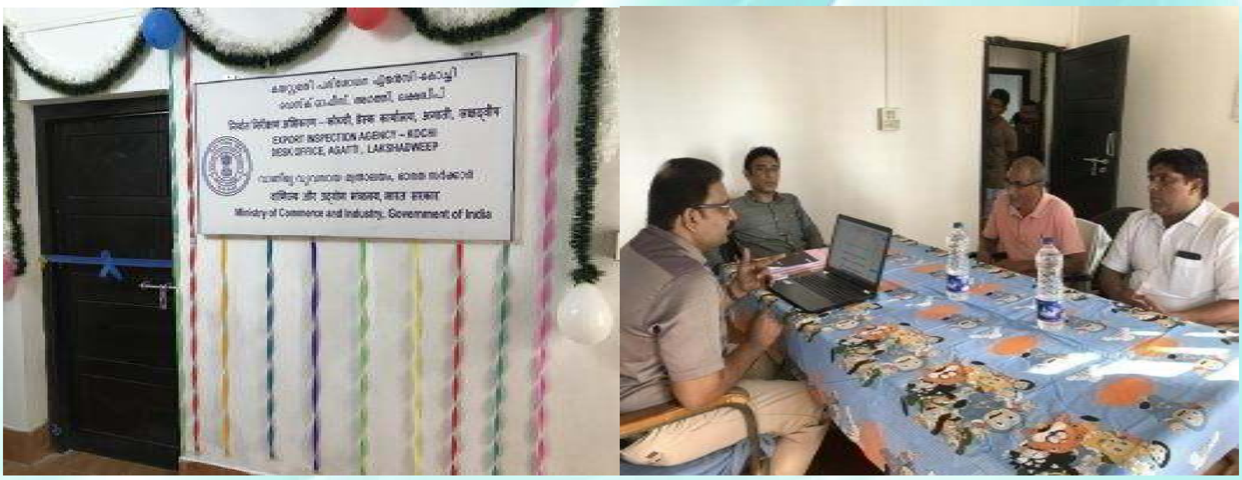

Inauguration of desk offices at laboratory Andaman & Nicobar and Lakshadweep islands.

Desk office of EIA was opened at the Union Territories of **Andaman & Nicobar** and **Lakshadweep islands** on 17.9.2019 and 2.10.2019 respectively. The officers are creating the awareness and further facilitating the exports from these remote places.

5.1.4 Digital Initiatives for Ease of Export

Common digital platform for Certificate of Origin (CoO) was launched on 25th September, 2019. To start with Indo-Chile Preferential Trade Agreement was made live and EIAs are issuing the CoO for India-Chile through this module. Other CoO shall be made live at the earliest.

5.1.5 Mandatory EIC/EIA's Certificate of Inspection for Export of Rice to European Union (EU)

The Pre-shipment inspection has been introduced for non-basmati rice meant for export EU in line with basmati rice to address the rejections on account of pesticide residues with effect from 4th November, 2019.

5.1.6 EIC Regulations of India Code Portal

All the regulations related to EIC were made available at India code portal (website https://indiacode.nic.in).

5.2 EIC's Participation

5.2.1 International Conference TANUVAS-2020.

Dr. J.S Reddy, Additional Director, EIC, being felicitated at TANUVAS.

The EIC participated in International Conference on "Livestock, Food Security and Food Safety – Challenges, Opportunities and Strategies (ICFS 2020)" during January 28 – 29, 2020 at Madras Veterinary College, Chennai (India), Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS). Dr. J.S. Reddy, Additional Director, EIC, was invited to make felicitation address during the International Conference.

5.2.2 USDA Workshop

Participation of EIC in USDA Workshop from 8-10 July 2019

EIC Participated in USDA Workshop on "Food Safety Policy, Trade Standards and Harmonization" on 8-10 July 2019 at New Delhi, India. Shri Parmod Siwach, Assistant Director, EIC participated as Speaker during session on "**State-Of-The Current On SPS Implementation In India**" scheduled on Day- 1 and covered various aspects related to agencies involved in SPS implementation, their efforts on SPS harmonization, adoption of international standards like Codex, IPPC, OIE etc, country experiences on harmonization, challenges being faced, and case studies.

5.3 Laboratory Activities & Achievements

Laboratories are the backbone of EIC's Export Control Program and the EIC has a strong network of laboratories to carry out the testing of samples. There are five food testing laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), located at Bhubaneswar, Chennai, Kolkata, Kochi and Mumbai, which supports the respective Export Inspection Agency (EIA) in Certification of food products for export. The EIAs also have field laboratories attached to its Sub–offices for routine microbiological analysis. Further, a food grain testing laboratory is located at EIA-Delhi, which is also accredited as per ISO 17025:2017.

Besides EIA labs, as per the EIC's Integrated Lab Assessment Scheme (ILAS), approval is granted to external laboratories for the purpose of testing of commodities as per importing countries requirements. The total number of NABL accredited approved external laboratories as on 31 March, 2020 are 48.

5.4. Major Activities/Achievements of Export Inspection Agencies (EIAs) 2019-20

5.4.1 EIA Chennai

- EIA-Chennai laboratory published a research paper in Journal of Food Process Engineering, published on 01.12.2019 on the topic: ***Effective Removal Of Organophosphorous Pesticide In Tomatos Using Natural Extracts.*** The laboratory played major role and its officials were co-authors in publishing this research paper.
- About 12,000 samples were tested during 2019-20, maintaining turnaround time for reporting results.
- EIA-Chennai laboratory achieved accreditation status as "Proficiency Testing Provider" in compliance with ISO/IEC 17043:2010 International Standard , by NABL in Biological field on 18 January 2020 and maintained continuation of accreditation.
- EIA-Chennai Laboratory and its PT provider facility is recognized by FSSAI as Ancillary Facility to National Reference Laboratory for a period of three years from 08.08.2019.
- EIA-Chennai Proficiency Testing Provider (PTP) has organized PT on *Vibrio cholerae*. The PTP could successfully standardize and optimized the preservation of *Vibrio cholerae* and completed stability study for the PT purpose. It was a grand success of PT round with 74 PT participants took part in the PT round. Conducting PT on *Vibrio cholerae* is Noval and for the first time accomplished in India by EIA-Chennai PTP.

5.4.2 EIA Delhi

- EIA Delhi Laboratory has continued compliance to NABL accreditation as per ISO /IEC 17025:2005. The desktop surveillance audit as per existing scope has been completed successfully in July, 2019 as communicated by NABL. Presently EIA-Delhi laboratory is testing Basmati Rice samples under Consignment Wise Inspection (CWI), health certificate issuance under Voluntary Certification Scheme(VCS) as well as samples drawn during monitoring visits received from inspection section of EIA-Delhi, other agencies including sub offices under control of EIC for physical parameter and moisture as per scope of accreditation. EIA Delhi Laboratory is using ILAC MRA mark on all the test reports issued. Laboratory quality management system is followed as per ISO/IEC 17025.
- The Laboratory had tested 419 samples of Basmati Rice during 2019-20.
- The laboratory had participated in PT programme during the period of 2019-2020 in addition to internal quality control checks as per quality management system requirement to assure the validity of test result and demonstrate technical competency as mentioned below: *Scheme delivered by accredited PT Provider conducted in accordance with the requirements of international standards ISO/IEC 17043: 2010.* Based on the certificate of participation received by the above mentioned PT provider the Z/Z' score is satisfactory.
- "Transition training on ISO 17025:2005 to ISO 17025:2017" and other training mentioned in training calendar had been conducted for all concerned personnel. Additionally, in-house training has also been provided to the officers/staffs who have been newly deputed to the laboratory by the management as and when needed.

5.4.3 EIA- Kochi

- The laboratory has been recognized by FSSAI (Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India) as "National Reference Laboratory (NRL) in the area of Genetically Modified Organisms (GMO)" for a period of three years from 08-08-2019.
- EIA-Kochi Lab has demonstrated its competence in testing by successful participation in fifteen International Proficiency Testing programs in Chemical and Biological including Molecular biology testing fields based on its scope of approval.
- EIA-Kochi Lab has successfully renewed its NABL accreditation through integrated assessment (includes EIC and FSSAI approvals) during the year 2019-20 with enhancement of new scope of testing.
- The project for testing of food commodities under DAC sponsored central sector scheme- 'Monitoring of Pesticide Residues at National Level' in pepper, spices and vegetables was continued for the year 2019-20.
- EIA-Kochi laboratory has taken all efforts to coordinate and proper completion of centralized procurement of laboratory equipment for all EIAs as entrusted by EIC during the FY 2019-20.
- EIA-Kochi Lab has coordinated and organized visits of Japan delegation on 04.03.2020, USFDA delegation on 31.05.2019 and Korean delegation on 24.09.2019, to EIA-Kochi and laboratory.
- EIA-Kochi Lab has coordinated the "Training of Trainers (ToT) Program on Analysis of Mycotoxins" jointly organised by FSSAI and EIC at EIA-Kochi during 10-13 Dec, 2019.
- EIA-Kochi Lab has organized and conducted two training programs for technologists on Microbiological Analysis of Fish & Fishery Products for the fish processing industry and trained a total of about 62 technologists during the year 2019-20.
- EIA-Kochi Lab organised Training for officers and staff on internal audit as per ISO 17025: 2017, during 07-08 March 2020 at EIA-Kochi.
- EIA-Kochi Lab has submitted the proposals/renewed the contracts with various Central and State Government organizations / bodies such as ICDS Raipur, Chhattisgarh; Naval Base Cochin and Food Corporation of India for extending the testing services for various food commodities including food grains, ready to eat food etc.

5.4.4 EIA Kolkata

- EIA-Kolkata has been entrusted to collect and test for the contaminants in vegetable samples. A total of 990 from East Zone consisting of 12 states from 15 locations. Samples are analysed for 14 metal contaminants to conduct a study for generating baseline data on the occurrence of 14 metals contaminants, i.e. Lead, Cadmium, Chromium, Manganese, Nickel, Arsenic, Mercury, Aluminium, Selenium, Cobalt, Antimony, Iron, Copper and Zinc in vegetables as per recommendation of scientific panel on contaminants in food chain. EIA-

Kolkata Laboratory successfully completed the project and submitted the results and reports to FSSAI.

- Export Inspection Agency- Kolkata laboratory has been recognized as Ancillary Facility of NRL (ANRL) by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), (Recognition and Notification of Laboratories) Regulation, 2018 on 23rd August 2019 vide Order No. 12013/02/2017-QA (Vol.1) in the Support facility as PTP in the area of heavy metal testing in food categories.
- The laboratory has been assigned for sampling and analyzing the pesticides residues in vegetable samples from DAC, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. A Total of 1841 samples tested from April 2019 to March 2020.
- Participated in 14 PT Programmes for 72 parameters.
- Participated in PT Program APMP-APLAC Joint Testing Programme (APLACT110) through NABL, New Delhi for Toxic metal/metalloid spices in powdered rice, organised by Government Laboratory of Hong Kong (GLHK) for the parameters.
- From April 2019 to March 2020 EIA- Kolkata Laboratory organised several Inter Laboratory Comparison (ILC) Programme (ILC2019/06 & 07) for Zinc (Zn) in fortified wheat flour and fortified rice flour. 18 laboratories participated. ILC Programme for Moisture, Water soluble matter, Chloride content, matter soluble in water other than NaCl, Iodine content, Lead (Pb), Arsenic (As) & Iron (Fe) in Iodised salt while 20 laboratories participated. ILC Programme for Specific gravity at 27°C, total reducing sugar, Ash, Acidity (expressed as formic acid), Fructose glucose ratio, Sucrose, Moisture, Lead (Pb) and Cadmium (Cd) in Honey. 19 laboratories participated. ILC Programme for Caffeine, Total Ash, Crude Fibre, Water Extract, Alkalinity of Water Soluble ash (as K_2O) in Tea sample.
- EIA - Kolkata Laboratory was assigned by FSSAI and EIC to study and workability of AOAC 2015.06 method and FDA (ICP MS) method. Accordingly this laboratory was completed the study, and found that AOAC (2015.06) satisfactory for estimation of Zinc in fortified wheat flour and rice flour.
- Proficiency Testing Provider Assessment Audit (ISO/IEC 17043:2010) and Scope Extension of three commodities Heavy Metals & Minerals in Beverages, Fruits & Vegetables and its products and Cereals & Pulses Products, Herbs, spices & Condiments, Nut & Nut Products, Tea, Coffee, Sugar & Sugar products on September 28-29, during 2019-20.
- Four PT Round conducted successfully, BV-0519HM (Heavy Metals & Minerals in Beverage-Fruit Juice) in April-2019, FA-0719HM (Heavy Metals & Minerals in Food & Agriculture Products - Cereal based product)) in June-2019, FV-0919HM (Heavy Metals & Minerals in Fruits/Vegetable based material -Vegetable product) in Sept.-2019 & FF-1219HM (Heavy Metals & Minerals in Fish Based material) in Dec-2019, during 2019-20.
- Export Inspection Agency-Kolkata Sub office Bhubaneswar (Laboratory) is accredited laboratory from NABL as per ISO/IEC 17025:2017. The laboratory also conducted Two Day hands on training program for technologist on screening of antibiotic residue in fish and fishery products by ELISA technique during 5th and 6th February 2020 at its facility.

5.4.5 EIA Mumbai

- Developed and established the facility for the analysis to determine the geographical origin and authenticity of Honey samples by NMR technique as a food profiler at EIA Mumbai Laboratory to facilitate export trade.
- Successfully maintained the Renewal of Accreditation as a PT Provider as per ISO-17043:2010 for antibiotic with enhanced scope in F&FP matrix and conducted 04 PT programme in year 2019-20.
- Introduced new RMP compounds of Antibiotics in Honey & Milk matrix as per EU requirements has been developed, validated and covered under the NABL scope as per ISO-17025:2017.
- Successfully completed FSSAI sponsored project "Study on Heavy Metals analysis in various vegetables samples from western region (06 Locations) for the year 2019-2020 as an Co-PI .
- Completed Pesticides residue analysis project in Vegetables, Rice & Spices samples under MPRNL-IARI-DAC project for the year 2019-2020.
- Participated in International PT Programme (Chemical, Residue, Micro, Molecular) for the year 2019-20 as per accredited scope. The lab has achieved satisfactory z-score towards the compliance of ISO-17025:2017.
- Extended the Pesticidies residue scope in various food matrices like Tea, Coffee & Spices, Rice, F&V, Ochratoxin in rice and covered under the NABL scope as per ISO-17025 :2017.
- Detection and identification of Pathogens/viruses in Fish and Fish Products including crustaceans and cephalopods (Fresh, Frozen, Dried and Chilled) using molecular markers and covered under the NABL scope as per ISO-17025:2017.
- Authentication of Meat Species Testing in meat and meat products using species specific DNA markers.
- Detection of Ruminant meat traces in feed samples, Identification of unknown Meat (Fresh and Frozen) using DNA Sequencing Analysis-mitochondrial 12S ribosomal RNA (rRNA) gene, Authentication of basmati through Rice microsatellite marker-based fragment analysis using Automated capillary electrophoresis (Quantitative based analysis method) and Authentication of non-GMO product using Qualitative test (35S promoter, FMV Promoter and NOS terminator targeted Screening and covered under the NABL scope as per ISO-17025 :2017.

5.5 Recognition of Inspection Agencies

The Government of India recognises private inspection agencies on recommendation of EIC as per EIC Inspection Agency Recognition Scheme 2012, falling under "A" category with laboratory facilities, for carrying out pre-shipment inspection and certification of the notified minerals and ores under Section 7 (1) of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963. This scheme is in line with the initiative of Government of India for ease of doing business and to facilitate export trade by providing appropriate infrastructure for inspection & testing at strategic locations.

5.6 E-Health Certification System

The EIC is authorized to issue Health certificate for notified food products. The health certificate for non-notified food commodities is also issued, wherever importing country authority require such certificate, under voluntary certification scheme. The numbers of certificates issued during 2019-20 through e-certification are 99,296 as per break-up given in Table (h)

Table (g) : Certificates issued Under E-Health Certification System 2019-20

S.No.	Certificate Format	Number of Certificates Issued
1	Fishery General Format(Non-EU)	33,340
2	Other-Products (Voluntary)	22,995
3	Fishery EU	11,141
4	Other-Products Non-GMO	6846
5	Milk Non-EU	3212
6	Fishery China	15,573
7	Other-Products Turkey	1331
8	Fishery Russia	1104
9	Peanut Products EU	938
10	Peanut Products Malaysia	810
11	Egg Non-EU	1016
12	Fishery GCC Countries	269
13	Fishery EU Format-Non EU Country	626
14	Fishery Israel	37
15	Egg EU	47
16	Animal Casing EU	11
	Total	**99,296**

5.7 Issuance of Non GMO Certificate

The Non GMO certificates for agricultural & food commodities are issued by the Export Inspection Agencies (EIAs). A total of 6,846 Non GMO Certificates have been issued for different agricultural & food Commodities in the current year. The samples are tested for Non-GMO at EIA Kochi and EIA Mumbai.

5.8 Issuance of Authenticity Certificate

European Commission has recognized EIC/EIAs as Competent Authority for issuance of Certificate of Authenticity for export of Basmati Rice to EU as per Council Regulation (EC) No. 797/2006. Accordingly, EIAs are issuing Certificate of Authenticity for Basmati Rice exported to EU. During the year, 589 Certificates of Authenticity for Basmati Rice were issued by EIAs for export to EU countries.

5.9 Residue Monitoring Plan

Residue Monitoring Plans (RMP), which guarantees the monitoring of the groups of residues and substances referred to in Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017, is one of the pre-requisites for export of food of animal origin to the EU. Accordingly, EIC has been implementing various Residue Monitoring Plans in line with EC requirements for different foods of animal origin. As per EU Regulation, the EIC prepared and submitted the RMPs for Egg products, Honey, Milk products and Fresh poultry meat & poultry meat products for the year 2019-20.

During 2019-20, 8,764 samples were tested against RMP and National Residue Control Plan (NRCP):

Table (h) : Samples Tested Under Residue Monitoring Plan 2019-20

National Residue Control Plan(NRCP) / Residue Monitoring Plan(RMP) Data : 2019-20	
Product	**Number of Samples tested under NRCP/RMP for 2019-20**
Aquaculture Products	7,392
Egg Products	200
Honey	336
Poultry Meat Products	536
Milk Products	300
Total	**8,764**

5.10. Other Activities

5.10.1 Project on Monitoring of TBT Notifications issued by World Trade Organization (WTO) Member Contries

The EIC is implementing the "Project on System for Monitoring TBT Notifications issued by WTO Member countries". The monthly, quarterly and annual reports were submitted to Trade Policy Division, Department of Commerce and are also made available on EIC's website.

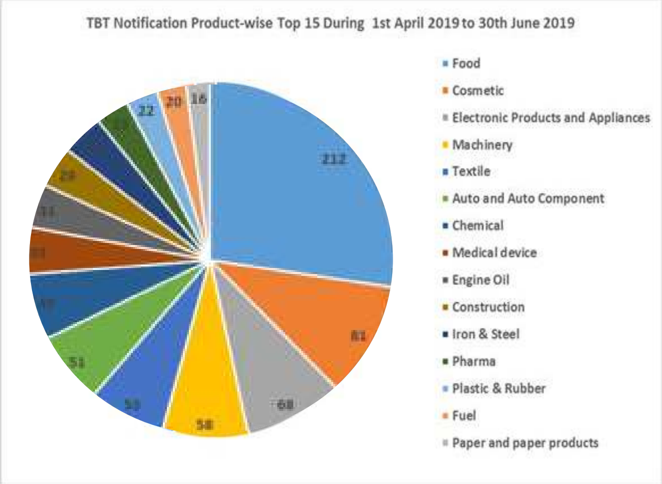

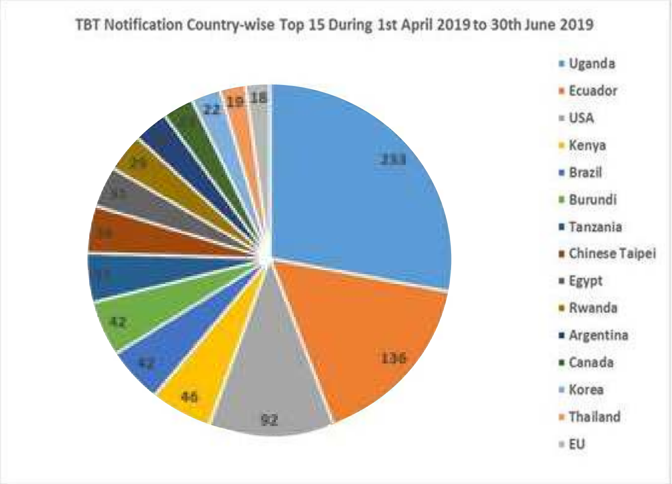

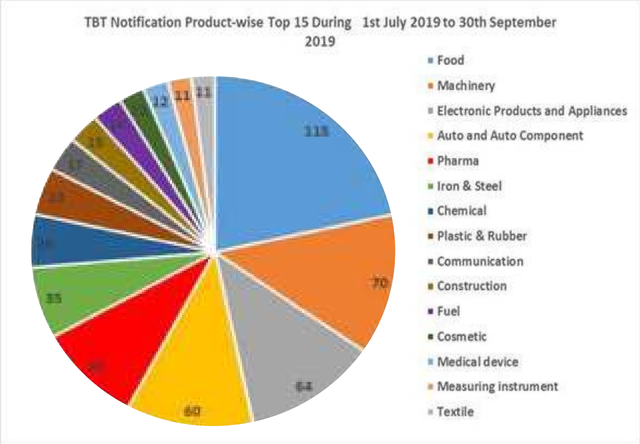

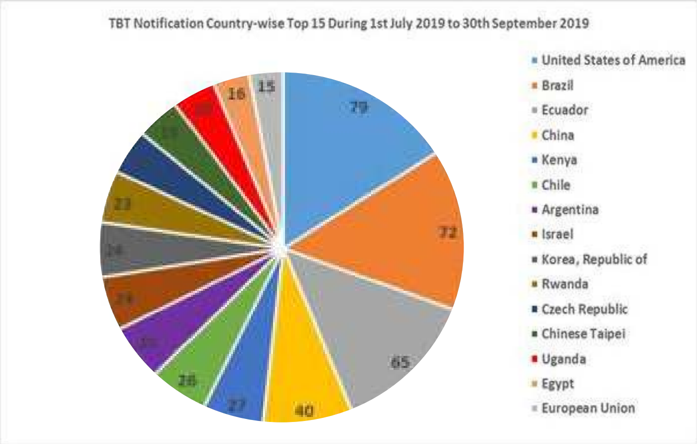

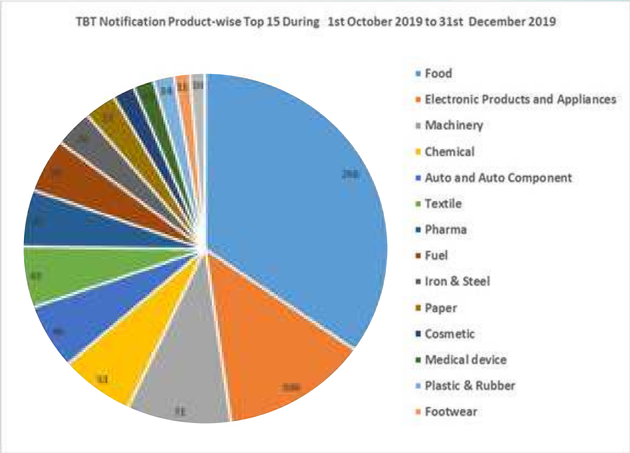

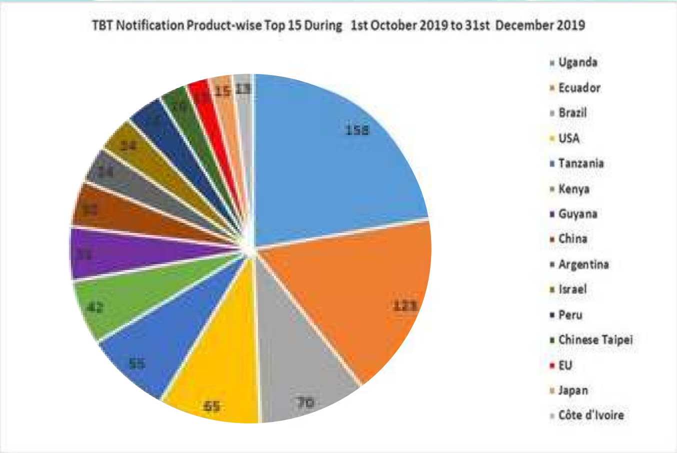

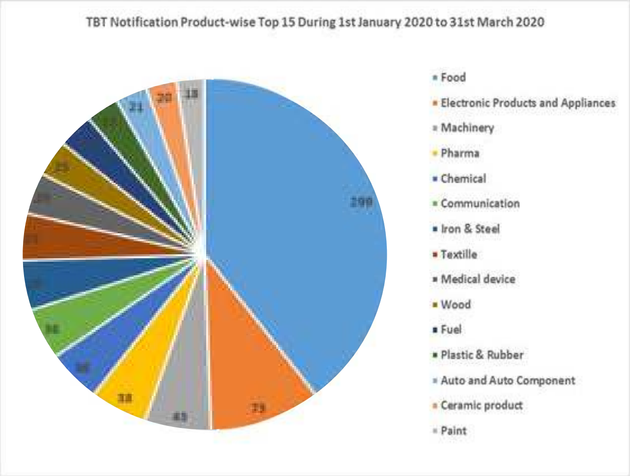

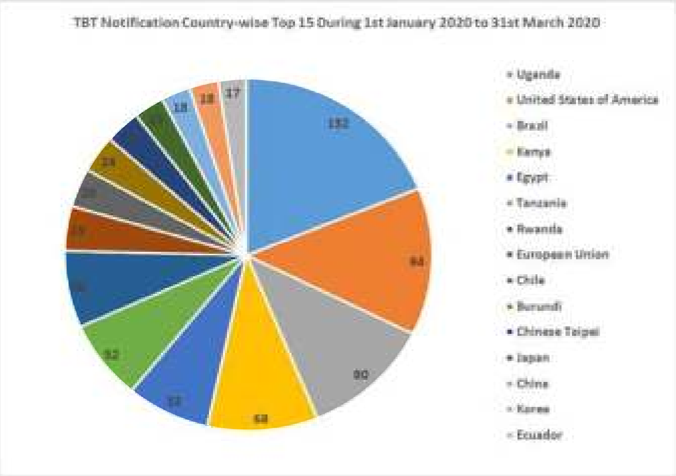

Total 3,596 notifications were issued by the various WTO-member countries during 2019-20 including 58 notifications by India. Quarterly distribution of these notifications in terms of country-wise and product-wise is given in the above charts. The analysis of these notifications was carried out to study their impact on Indian industry/trade and comments were sought from relevant stakeholders to ensure that there is no problem of market access for these products. Based on the feedback received from stakeholders and analysis of notifications, wherever applicable, India's comments were sent by Export Inspection Council (EIC) to the respective enquiry points.

5.10.2 Implementation of Right to Information Act

The Export Inspection Council (EIC) and its field organizations, Export Inspection Agencies (EIAs) are committed to comply the requirements of the RTI Act 2005. The summary of the applications and first appeals received at EIC/EIAs under RTI Act 2005 in the year 2019-20 along with the notices of hearing received from CIC has been outlined below:

Application Received Under RTI Act 2005 in 2019-20

Number of RTI applications received in 2019-20 including opening balance as on 31.03.2019	Number of RTI Application replied	Closing balance of RTI Applications as on 31.03.2020
163	148	15

1st appeal received under RTI Act 2005 in 2019-20

Number of RTI applications received in 2019-20 including opening balance as on 31.03.2019	Number of RTI Application replied	Closing balance of RTI Applications as on 31.03.2020
22	22	0

2nd appeal received under RTI Act 2005 in 2019-20

Number of notices of hearing received from CIC	Number of appearance by CPIO/FAA , EIC
03	03

5.10.3. Vigilance Activities

Nine complaints received during the period were handled as per CVC guidelines. Disciplinary Proceedings were concluded in 03 cases and 02 Disciplinary Proceedings were instituted. Two Appeals filed against the decision of Disciplinary Authority were examined and disposed off. Total 71 proposals for vigilance clearance for various purposes were handed. Three Inspections/Surprise Checks were carried out as part of preventive vigilance activities. Investigations-cum-factual Reports on 07 issues were submitted to Department of Commerce. Agreed List and List of Officers with Doubtful Integrity (ODI) were prepared for the organization. Five suggestions for system improvement were given.

The Export Inspection Council (EIC) along with its Export Inspection Agencies (EIAs) observed the Vigilance Awareness Week 2019 during 28 October- 02 November 2019 as per directions given in Circular No.05/08/19 dated 02.08.2019 of Central Vigilance Commission. The theme for the year was **"Integrity — A way of life (ईमानदारी-एक जीवन शैली) .** Export Inspection Agency-Chennai invited students of Kendriya Vidhalaya. The students took the integrity pledge and also participated in various activities like Essay Writing Competition, Quiz Competition and Walkathon. Some of the photographs are:

Employees taking Integrity Pledge at EIA-Mumbai Headquarter

Student of Kendriya Vidhyalaya participating in Essay Writing at EIA-Chennai during VAW-2019

Walkathon organized by EIA-Chennai during VAW 2019

Progressive use of Hindi - The Official Language

Export Inspection Council is successfully and effectively using the Hindi in official communication. The key highlights of the year are summarized below:

- All documents were issued in bilingual under The Official Languages Act Section 3 (3)
- Provisions issued by the Department of official language, Ministry of Home Affairs, Government of India in the annual program were properly followed
- Export Inspection Council and Agencies organized Hindi Workshops/Departmental Official Language implementation Committee meetings every quarter under the Rules of Official Language
- The incentive plans applicable to the original work in Hindi to Officers/employees were implemented.
- EIC and EIAs progressive use of Hindi reports in all quarter were transmitted on-line to Department of Official Language.
- At the entrance of EIC and EIAs a novel word in Hindi is written daily on the sign board
- During 13-27 September 2019, Hindi Pakhawada was organized at EIC and EIAs. On the occasion, various competitions like *Shabdawali Pratiyogita, Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippadi & Nibandh Pratiyogita* were organized for employees and prizes were awarded to winners.
- Majority of offices are notified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India under Official Rules, 1976, sub-rule 10 (4) and efforts are being made to notify the rest of offices at Ministry level.
- The Export Inspection Council bi-annually published Hindi Magazine ***"Manthan"*** to spread the awareness of official language.

Computerisation and Modernisation

1. The use of information technology has enabled EIC to achieve greater transparency in its operations and reducing transaction time and manpower costs. Extensive application of IT in the organisation has been credited to the accurate financial reporting and has been linked to the benefits of use of computer systems while generating financial reports e.g. MIS report.

2. Computerisation and Networking of all the offices is periodically updated based on the needs.

3. EIC maintains its own website www.eicindia.gov.in, on which information relating to its policy and procedures is available. The website is both informative and interactive and on-line filing of applications can be made through the website. Online services ,like ,Certificate of Origin and e-health certificate are offered through the website. There is a Knowledge Repository section on the website which gives the details of all the legal framework and information about various Certification schemes of EIC.

4. Under the CoO module almost 99 percent exporters apply for online certification for all the preferential schemes. EIC has also incorporated a facility of uploading the supporting documents like export invoice, cost breakup sheet etc. along with the online application of CoO. EIC has been extending the support in development of common platform for issuance of CoO (both preferential and non-preferential) for all the Issuing Authorities in India.

5. The e-Health certification system is maintained by EIC for application and processing of health certificates.

6. All the regulations related to EIC are made available at India code portal (website **https://indiacode.nic.in**).

Strengthening Manpower

Ever since it's inception, EIC has laid stress on capacity building of its manpower to keep them updated on the dynamics in the food safety across the globe and other key aspects related to the organization's mandate.

Training allows employees to acquire new skills, sharpen existing ones, perform better, increase productivity and be better leaders. EIC understands that since an organization is the sum total of what employees achieve individually, organizations should do everything in their power to ensure that employees perform at their peak. Keeping this view, year 2019-20 saw EIC nominating officials for National and International trainings.

Table (i) Officers Deputed for International Conference, Meeting and Training

S.No.	Number of the Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration
1	1	15th International Society for Biosafety Research (ISBR) Symposium 2019	Tarragona, Spain	International Society for Biosafety Research (ISBR)	01- 04 April 2019 , 04 days
2	1	51st Session of Codex Committee on Pesticides Residues(CCPR)	Macao SAR P.R. China	Codex	07-13 April 2019, 04 days
3	1	Advanced HACCP (auditing general hygiene requirements and control procedures based on the HACCP principles developed by FBOs	Hotel Radison Blue, Vilnius, Lithuania	BTSF, EU	20-24 May 2019, 05 days

4	1	BTSF training course on Geographical Indications (GIs): Training Session 06,Course 4 - Cross-sectorial training on market controls in agri-food, wine and spirit drinks	Prague, Czech Republic	European Commission's Health and Food Safety Directorate General (DG SANTE), the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA)	21-24 May 2019 , 04 days
5	1	40th Session of Codex Committee on method of Sampling and Analysis (CCMAS)	Budapest, Hungary	Hungarian Codex Contact Point, Hungary	26 - 31 May 2019, 06 days
6	1	Next Generation Sequencing (NSG) workshop and 12th Global Microbial Identifier (GMI) Meeting	Nanyang Technological University (NTU), Singapore	FAO and Nanyang Technological University Food Technology Centre (NAFTEC), Singapore	10-11 June 2019 and 12-14 June 2019, 05 days
7	1	ISO Method Development	Milan, Italy	ISO Technical Committee 34/Sub committee 9	09-12 July 2019, 04 days
8	1	Workshops on Food Import and Export Inspection and Certification System	Dhulikhel, Nepal and Paro Bhutan	DFTQC Nepal and BAFRA Bhutan	11-12 August 2019 and 14-16 August 2019, 04 days
9	1	Nepal-India bilateral meeting on "Pesticide residue testing of Indian vegetables & fruits imported in Nepal"	Kathmandu, Nepal	NPPO, Nepal	16 August 2019, 01 day

10	1	BTSF training course on Geographical Indications (GIs): Training Session 09, Course 1 - Training on the Control of GIs in the Wine Sector	Bordeaux, France.	BTSF	8-11 October, 2019, 04 days
11	1	BTSF Training Session 03, Course 2a - Residues of Veterinary Medicinal Products (VMP)	Porto/Vila do Conde, Portugal	BTSF	11-22 November , 2019, 12 days
12	1	BTSF Training Session 04, Course 1 - Mycotoxins	Rome, Italy	BTSF	2-13 December, 2019, 12 days
13	1	BTSF Training on Principles and methods of food safety risk analysis	Bangkok, Thailand	BTSF	16-19 December, 2019; 04 days

Table (j) Officers Deputed for National Conference, Meeting and Trainings 2019-20

S.No.	Number Of Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration
1	22 Officers from EIC & EIAs	FSMA FSPCA Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) and Lead Instructor (LI) Training for Human Food	Kolkata/ Chennai/Mumbai	Institute for Food Safety and Health (IFSH) and the FSPCA in conjunction with the Export Inspection Council of India (EIC)	01-05April 2019, Kolkata 08-12 April .2019, Chennai 06-10 May 2019, Mumbai (05 Days each)
2	04 Officers from EIC & EIAs	BTSF Regional Workshop on the use of Trade Control and Expert System(TRACES) New Technologies (NT)	Bangalore	BTSF, EU	03- 06 December 2019, 4 days
3	05 Officers from EIC & EIAs	BTSF Regional Workshop on Antimicrobial Resisitance,04 Days	New Delhi	EU	18-21 February 2020, 5 Days
EIA Chennai					

1	1	Capacity Building on Food safety and Quality Control for Fruit Products Export	Thirupathi	APEDA, Hyderabad	15 February 2020,01 Day
2	1	The Contemporary Chanllenges in Sea food Sector	Nagapattinam	Tamilnadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University, Nagapattinam	29 February 2020,01 Day
3	1	Training on Primary production link : approval requirement for stake holders	Nagercoil	EIC, EIA Chennai S.O. Nagarcoil	14March 2020,01 Day
4	1	Microbiolgy analysis training	Chennai	EIA Chennai	16-20 March, 05 Days
EIA Kochi					
1	1	2nd Short Term Mission (STM) Training Program on Microbial Risk Assessment on fish products	Cochin	FSSAI	27 - 31 May 2019, 05 days
2	1	Food Safety & Quality Testing Symposium 2019	Bangalore	Agilent Technologies India Pvt. Ltd.	3-4 June, 2019 02 days
3	1	Seminar on Advanced analytical techniques for spices	Kochi	Agilent Technologies India Pvt. Ltd.	19 Sep. 2019, 01 Day
4	1	Training course on method validation for residues and contaminant analysis for export trade	Mumbai	EIC	18-21 Nov 2019, 04 days
5	1	3rd Short term risk assessment in food	Sonipat	FSSAI	11-15 Nov 2019, 05 days
6	3	Training of Trainers (ToT) Program on Analysis of Mycotoxins	Kochi	FSSAI and EIC	10-13 Dec 2019 04 Days

7	1	Hands-on Training on Advanced Microbiology	CIFT, Cochin	FSSAI	09-13 Dec 2019 05 Days
8	1	7th Annual conference of India Section of AOAC International	New Delhi	Association Of Official Analytical Collaboration (AOAC International)	28-29 Feb 2020 02 days
9	1	Training course on method validation for residues and contaminant analysis for export trade	ITCFSAN, Mumbai	EIC	24-27 Feb 2020, 04 days
10	1	Integrated Assessment Training/ Awareness Programme)	New Delhi	NABL	12-13 July 2019, 02 days
11	1	Integrated Assessment Training/ Awareness Programme)	Chennai	NABL	19-20 July 2019, 02 days
12	1	Marine Fisheries Improvement Project	Mangalore, Malpe	Department of Fisheries, Government of Karnataka;Joint Director of Fisheries, Fishing Harbours,Malpe	25 July 2019, 28 August 2019, 01 day
13	3	Training for Common digital platform	Chennai	DGFT	14 September 2019, 01 day
14	1	Refinement of Marine Fisheries Management in Karnataka	Udupi	MPEDA	03 January 2020 ,01 day
15	1	Sampling of Fish and Fishery Product for export trade	Mumbai	ITC-FSAN	20 & 21 January 2020 ,02 days

EIA Kolkata					
1	2	Good Food Laboratory Practices(GFLP)	Kolkata	FSSAI, New Delhi	15-17 October, 2019,03 days
2	4	Awareness Programme on Integrated assessment	Kolkata	NABL	21 December 2019, 01 day
3	1	Vigilance Course for Junior & Middle Level Vigilance Officer of Public Sector Undertakings and Banks	Ghaziabad	CBI Academy, Ghaziabad	24-28 February 2020, 05 days
EIA Mumbai					
1	1	National Policy on Post Harvest & Marketing of Fish & Fishery Products	Veraval	NFDB funded Program Organized by CIFT	25 January 2020, 01 day
2	1	LPAC- Local Programme advisory Committee of the DST funded project" Livelihood hood enhancement of Sidi Tribal women & Kharwa fisherwomen of Veraval	Veraval	ICAR Funded Program Organized by CIFT-VERAVAL	10 December 2019, 01 day
3	1	"Tech Fish 2019" National Scientific and Hindi Seminar at Hotel Grand Daksh organised by CIFT-Veraval	Veraval	CIFT-VERAVAL	25 June 2019,01 day
4	1	Microbiological Quality Analysis of Seafood	Veraval	CIFT-VERAVAL	30 August 2019, 01 day
5	1	"Advances in Fish Processing Technology"	Veraval	ICAR funded training Organized by College of Fisheries	20- 24 January 2020,02 days
6	2	Role of EIC and EIA	Hubballi & Vijayapura, Karnataka	Vishweshvaraya Trade Promotion Council, Dharwad	27 July 2019 & 09 November 2019 (1 hour presentation)

7	1	Requirements of Hygiene for Handling of Fish	Panaji	Directorate of Fisheries, Goa	13 February 2020 (1 hour presentation)
8	1	"Chemical Risk Analysis Framework for Food Safety"	Lucknow	WHO, FSSAI, IITR Lucknow	21-24 October 2020, 03 days
9	1	Conference on Financing Agri Exports - "Risks, Risk Mitigation – Maintaining Quality Standards in Agri Exports"	Pune	College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune	04 October 2019 (one session along with other experts)
10	1	Seminar on effectively use Proficiency Testing (PT) in your laboratory	Mumbai	LGC Proficiency Testing and Chromatopak Analytical Instrumentation (I) Pvt. Ltd	27 September 2019, 01 day
11	1	2nd STM on Microbiological Risk Assessment on fish	Kochi	FSSAI	27- 31 May 2019, 5days
12	1	15th meeting of Food Hygiene, Safety Management and Other Systems Sectional Committee, FAD 15	New Delhi	Bureau of Indian Standard	18 July 2019,01day
13	1	3rd STM on Microbiological Risk Assessment	Haryana	FSSAI	11-15 November, 5days
14	1	Sampling training for peanut and peanut products	Pune	National Referral Laboratory National Research Centre for Grapes, Pune, Maharashtra	29 January 2020, 01 day

Table (k) Outreach Programs for Exporters

Outreach Programmes for Exporters During 2019-20			
S.No.	**Program Name**	**Date**	**Location**
1.	Awareness on executive instruction for new establishments under Basmati rice scheme	29.01.2020	New Delhi
2.	Training on common digital platform for issuance of CoO	27.09.2019	Jalandhar
3.	Training programme on Common Digital Platform for CoO	17.09.2019	Kanpur
4.	Digital Platform Training Programme	20.09.2019	Jaipur
5.	Common Digital Platform	26.09.2019	Ludhiana
6.	Online Platform Training	Sep-19	Indore
7.	Training program for Technologists on ELISA technique 2 days	30.08.2019 -31.08.2019	Bheemavaram
8.	Training Programme for Technologists on ELISA Techniques	22.02.2020-23.02.2020	Tuticorin
9.	Technologists Training Programme On "Microbiological Testing, Goi Notification, Eic Ex. Instruction & Regulations Of Importing Countries Of Fish & Fishery Products" *(3 Programmes)*	09th to 13th Dec 2019 (5 days) ;16th to 20th Dec 2019 (5 days) ;16th to 20th March 2020 (5 days)	Chennai
10.	Analysis Of Antibiotics Using ELISA Screening Technique For Aquaculture Products	06.03.2020-07.03.2020	Vizag
11.	ELISA Technique - Training Programme	06.03.2020-07.03.2020	Nellore
12.	Awareness Programme on CoO ,Common Digital platform for CoO & REX	13.03.2020	Chennai

13.	One day training on " Requirements for approval of primary production (Aquaculture farm, Hatchery, Feed Mill, Supplier, Landing site & Fishing Vessel) to the stakeholders of Hatchery, Feed Mill, Sea Food Supplier, Aqua Farmer" - Organised by EIA-Chennai S.O. Nagercoil	14.03.2020	Nagercoil
14.	Technologist Training Program on Microbiological analysis of Fish and Fishery products - including GOI Notification, EIC Executive instruction and Regulations of importing countries for Fish & Fishery Products	17.06.2019-21.06.2019	Kochi
15.	Technologist Training Program on Microbiological analysis of Fish and Fishery products - including GOI Notification, EIC Executive instruction and Regulations of importing countries for Fish & Fishery Products	20.01.2020-24.01.2020	Kochi
16.	Training programme on Sea food HACCP and importing Countries Requirements	06.11.2019 - 08.11.2019	Kadavanthra
17.	Training Programme on Screening of Antibiotic Residues in Aquaculture Shrimps using ELISA Test Kits	27.01.2020	Kochi
18.	Interactive session-Self Audit Export of Shrimps and farm fishes from India to Kingdom Saudi Arabia (KSA)- revised format regarding	05.07.2019	Mangalore

19.	Technologist Training Program on 1. Listing of Primary productions in e-Health Module. 2. Online Submission of applications for Approval/Renewal of approval/ Addl. facilities/activities/ ME through inspection module.3. Requirements of Importing countries (China/Korea/Vietnam). 4. Amendments in USFDA Fish and Fishery Products Hazards and Controls guide. 5. Submission of supporting documents pertaining to e-health applications (EU/Non EU). 6. Common Digital Platform for Issuance of Certificate of Origin.	23.11.2019	Mangalore
20.	Interactive session with Technologists of the Establishments on the following Topics - 1. Issues related to Inspection Module. 2. Listing of establishments in official websites of EU, Vietnam and China.	31.01.2020	Mangalore
21.	Internal audit and intermediate checks as per ISO/ IEC 17025: 2017	08.03.2020	Kochi
22.	Two Days Training Programme for Technologists / on Antibiotic Screening by ELISA Techniques and total 24 candidates from different F&FP establishments participated	21.01.2020 -22.01.2020	Kolkata
23.	Five Days Training Programme for Technologists on Microbiological Analysis and total 12 candidates from different F&FP establishments participated	03.02.2020-07.02.2020	Kolkata
24.	Five Days Training Programme for Technologists on Microbiological Analysis and total 11 candidates from different F&FP establishments participated	10.02.2020-14.02.2020	Kolkata
25.	Two Days Training Programme on testing requirements for Technologist/Exporters and total 27 candidates from different F&FP establishments participated	28.02.2020-29.02.2020	Kolkata

26.	One day outreach Programme (Awareness programme for CoO, REX and common digital platform	07.03.2020	Kolkata
27.	Govt.of India Order & Notification for Fishery Products	30.08.2019	Veraval
28.	Training on Common Digital Platform for CoO	19.12.2019	Veraval
29.	Training Programme for Technologist on Screening of Antibiotic residues (Chloramphenicol) in Fish & Fishery Products by ELISA Technique	31.10.2019	Mumbai
30.	Hand on Training - Nitrofuran Analysis in food using ELISA technique for technologist in F & FP products	05.03.2020-06.03.2020	Mumbai
31.	Outreach Program for Exporters on REX system and CoO Scheme	24.4.2019; 25.9.2019;	Mumbai
32.	Interactive session with EIA officers especially Common Digital Platform & RoO under various Preferential CoO Scheme and REX procedure	13.06.2019	Mumbai
33.	Outreach Program for Exporters on How to ascertain RoO under various preferential trade agreements and Overview of the Indian Trade Portal	26.06.2019	Mumbai
34.	Outreach Program for Exporters on Common Digital Platform & RoO under various Preferential CoO Scheme and REX procedure	24.07.2018; 28.10.2019	Mumbai
35.	Outreach Program for Exporters/Certifying officers on Common Digital Platform	31.08.2019	Mumbai
36.	Outreach Program for Exporters on Common Digital Platform & RoO under various Preferential CoO Scheme	27.11.2019; 26.02.2020	Mumbai
37.	Microbiological analysis as per ISO method	01.04.2020 to 05.04.2020; 17.06.2020 to 21.06.2020; 23.09.2020 to 27.09.2020	Mumbai
38.	Health certificate requirements of Kingdom of Saudi Arabia of processed Fruit & Vegetable Products; Demonstration on Registration on Online Traceability Module	16.06.2019	Mumbai

Network of EIAs, The Field Organizations of EIC

The work of quality control, inspection, monitoring, testing and certification of commodities for export is carried out by Export Inspection Agency (EIA) located at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Kochi which operates under technical & administrative control of Export Inspection Council, New Delhi. The EIAs have a network of 24 Sub Offices including laboratories at important ports and industrial centres of India. The EIAs are playing a vital role to facilitate the country’s export from last five decades through its qualified and experienced, personnel.

10.1 Export Inspection Agency-Chennai

The Export Inspection Agency- Chennai operates within the jurisdiction of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry having a network of 7 sub offices at Bhimavaram, Coimbatore, Hyderabad, Nagercoil, Nellore, Tuticorin and Visakhapatnam.

Export Inspection Agency- Chennai is handling major activities like –

- Official control of establishments approved under Fish & Fishery products, Poultry meat & Poultry meat products, Egg products, milk products , Fruit products, Black pepper, feed additives & pre- mixtures, etc.
- Consignment wise inspection for export of dried fish, Honey, black pepper, Peanut & Peanut products etc.
- Certification of units under voluntary scheme, as well as under Turkey Scheme.
- Provision of issuance of CoO under REX and different FTAs like GSP, SAPTA, ISFTA, ITFTA, etc.
- Testing of different commodities in EIA laboratories at Chennai and at Sub-Offices.
- Testing of imported food products as nodal laboratory recognized by FSSAI.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) has recognized EIA-Chennai laboratory for testing of various Aquaculture input products for detecting prohibited substances before registration of the aqua inputs. Drug Control Administration, Government of Andhra Pradesh has recommended EIA-Chennai laboratory as Notified laboratory for testing of various aquaculture inputs used in fish and fishery sector, especially to test for prohibited substances as required under Section 20(1) & Section 20(3) of Drugs and Cosmetics Act 1940.

10.2 Export Inspection Agency-Delhi

Export Inspection Agency-Delhi exercises its jurisdiction over the entire Northern and Central Region of the country covering the states of J&K, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh,Uttarakhand, Haryana and Madhya Pradesh and has its offices in Jalandhar, Ludhiana, in the northern region; Kanpur in the North Central Region; Jaipur in North Western region; Indore in Central Region. The EIA is involved in regulatory control over approved units of Basmati Rice, Milk Products, Honey, Animal Casings apart from Feed Additives and premixtures. The Laboratory of EIA Delhi for Basmati Rice testing is ISO 17025:2017 Certified.

10.3 Export Inspection Agency-Kochi

The major products handled by EIA Kochi include Fish & Fishery Products (F&FP) and black pepper. EIA Kochi is providing its services of approval and monitoring of the F & FP, black pepper, and other food products like spices, etc. under voluntary certification scheme. EIA Kochi is having

the NABL accredited laboratory facility for Non-GMO on the basis of which Non GMO certificates are issued by all EIAs.

10.4 Export Inspection Agency-Kolkata

Export Inspection Agency-Kolkata provides export certification for notified products and food products under voluntary scheme. It also issues preferential certificates of origin as per the Preferential and free trade agreements.

10.5 Export Inspection Agency-Mumbai

EIA Mumbai is having jurisdiction over Maharashtra, Gujarat and Goa with Sub Offices located at Mumbai, Ratnagiri, Goa, Ahmedabad, Rajkot, Gandhidham, Porabandar and Veraval.

Besides issuance of certificate of origin under various preferential tariff scheme, EIA-Mumbai also issues Health certificates for different export commodities including processed fruit products, Milk products, Fish and Fishery Products, Crushed Bones, Ossein and gelatine, Animal Casings, Black Pepper, Feed additives and Pre-mixtures, and other food products etc. Online submission of details for issuance of Certificate of Origin is emphasized to exporters.

Office Addresses & Contact Numbers

EIC & EIA Address and Contact Details

I. Export Inspection Council

(Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India)
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India,
2nd Floor, B-Plate, Block-1,
Commercial Complex, East Kidwai Nagar,
New Delhi -110023
Tel: +91 - 11 - 20815386/87/88
E - Mail: eic@eicindia.gov.in

II. Export Inspection Agencies and their Sub Offices

Export Inspection Agency- MUMBAI (Head Office)
E - 3, M.I.D.C., Andheri (East),
Mumbai, Pin: 400093, Maharashtra
Tel: +91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113 Fax: +91-22-23683927
E - Mail: eia-mumbai@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- Mumbai Sub Office: AHMEDABAD
305, Multi Purpose Sports Complex (opp-New Cloth Market) Raipur,
Ahmedabad, Pin: 380002, Gujarat,
Tel: +91-79-2216 2398 Fax: +91-79-2216 2398
E - Mail: eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GANDHIDHAM
Room No. F-01, F-02, Old Administrative Office,
Kandla Special Economic Zone,
GANDHIDHAM, Pin: 370230, Gujarat
Tel: +91-2836-253036. Fax: +91-2836-220 836
E - Mail: eia-gandhidham@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GOA
Y-15,5th Floor, Building A-1, Jairam Complex,
Rua De Ourem, Mala Panaji, Pin: 403001, GOA
Tel: +91- 832-2222380 Fax: +91-832-2222 380
E - Mail: eia-goa@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: PORBANDAR

4, Bhojeswar Plot, Porbandar, Porbandar, Pin: 360575, Gujarat

Tel: +91-286-2246 376 Fax: +91-286-2246 376

E - Mail: eia-porbandar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RAJKOT

Sharad Villa, 25, New Jagnath Plot, RAJKOT, Pin: 360001, Gujarat

Tel: +91-281-2463 620 Fax: +91-281-2463 620

E - Mail: eia-rajkot@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RATNAGIRI

Sahil Mansion, Shivaji Nagar, Maruthi Mandir,

RATNAGIRI, Pin: 415612, Maharashtra

Tel: +91-235-2222589 Fax: +91-235-2222589

E - Mail: eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: VERAVAL

1st Floor, Jaikishan Complex, 80 Feet Road,

New Chandramauleshwar Temple, VERAVAL, Pin: 362265, Gujarat

Tel: +91-2876-220610 Fax: +91-2876-220610

E - Mail: eia-veraval@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: BARODA

Kuber Bhavan, Rook No.-824, 'I' Block, 8th Floor,

Near Kothi, BARODA, Pin: 390001, Gujarat

Tel: +91-265-2415706 Fax: +91-265-2415706

E - Mail: eia-baroda@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-KOCHI

Export Inspection Agency- KOCHI (Head Office)

27/1767 A, Shipyard Quarters Road,

Panampilly Nagar (South),

KOCHI, Pin: 682036, Kerala

Tel: + 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949

Fax: + 91-484-2316948

E - Mail: eia-kochi@eicindia.gov.in

Sub-offices:

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: BANGALURU
2nd Floor, JEEVAN SAMPIGE, Building,
No.1/1, 2nd Main Sampige Road, Malleswaram
BANGALORE, Pin: 560003, Karnataka
Tel: + 91-80-23444931 / 23567556
E - Mail: eia-bangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: QUILON
Shines Complex-3rd floor, Chamakada,
QUILON, Pin: 691001, Kerala
Tel: +91-474-2749087 Fax: +91-474-2749087
E - Mail: eia-quilon@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: MANGALORE
School Book Building-3rd floor, temple,
Square, Car Street, MANGALORE, Pin: 575001, Karnataka
Tel: +91-824-2496813 Fax: +91-824-2496 813
E - Mail: eia-mangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-KOLKATA
Export Inspection Agency- KOLKATA (Head Office)
World Trade Centre, 14 /1B Ezra Street, KOLKATA, Pin: 700001, West Bengal
Tel: +91-33-22355004 / 22352651 / 22352652 Fax: +91-33-22354562
E - Mail: eia-kolkata@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOLKATA_ Lab
Space 101, (First Floor), Southend Conclave,
1581,Rajdanga Main Road, Kolkata-700107
E-mail: eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- KOLKATA Sub Office: BHUBANESWAR
IDCO Plot No. 45/A/1, Chandaka Industrial Estate-
Patia BHUBANESWAR, Pin: 751 024, Odisha
Tel: + 91-674-2975868
E - Mail: eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-DELHI

Export Inspection Agency- DELHI (Head Office),
Thakkar Bapa Smarak Sadan, 2nd floor,
DR. Ambedkar Marg, (Link Road) (Behind Jhandewalan Metro Station), Pin: 110055, Delhi
Tel: +91-11-23626320/21/22/23/24/25/26/27 Fax: +91-11-23626328
E - Mail: eia-delhi@eicindia.gov.in

Sub-offices:

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: INDORE
303, Capt. C.S. Nayudu Arcade 10 /2,
Old Palasia, Indore, INDORE, Pin: 452 001, Madhya Pradesh
Tel: +91-731-2566057
E - Mail: eia-indore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JAIPUR
201-202, Tirupati Trade Centre, 4,
Sansar Chandra Road, Jaipur,
JAIPUR, Pin: 302 001, Rajasthan
Tel: +91-141-2366 973 Fax: +91-141 - 2366 973
E - Mail: eia-jaipur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JALANDHAR
320, W. G. T. Road, Basti Adda Jalandhar,
JALANDHAR, Pin: 144 001, Punjab
Tel: +91-181-2403424 Fax: +91-181-2403 424
E - Mail: eia-jalandhar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: KANPUR
MD Plaza, 38 / 105, Meston Road (2nd floor),
Near Bada Chuwraha, Kanpur, KANPUR,
Pin: 208 001, Uttar Pradesh
Tel: +91-512-2369 927 Fax: +91-512-2369 927
E - Mail: eia-kanpur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: LUDHIANA
First floor, SCO 17 (Near NRI police station)
sector 39, Chandigarh road, LUDHIANA, Punjab
Pin: 141010, Tel: 0161 - 2410 083
Fax: 0161 - 2410 083
E - mail: eia-ludhiana@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-CHENNAI

Export Inspection Agency- CHENNAI (Head Office)
6th. Floor CMDA Tower II,
No. : 1 Gandhi Irwin Road, Egmore, CHENNAI, Pin: 600008, Tamil Nadu
Tel: +91-44-28552841 / 42 Fax: +91-44-28552840
E - Mail: eia-chennai@eicindia.gov.in

Sub-offices:

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: BHIMAVARAM
Door No: 7-150, Second Floor
Venkataraju Nagar
Chinnamiram Juvallapalem Road,
West Godavari District,
Bhimavaram, Pin: 534204, Andhra Pradesh
Tel: +91-8816-229075 Fax: +91-8816-229075
E- mail:- eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: COIMBATORE
lsr Floor, North Wing, Jawan Bhavan, No.27,
Travellers Bunglow Road,
Coimbatore, Pin: 641018, Tamil Nadu
Tel: +91-422-2393365 Fax: +91-422-2233365
E - Mail: eia-coimbatore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: HYDERABAD
No. 903, 9th floor, Raghava Ratna Towers,
Chirag, Ali Lane, Hyderabad, Pin: 500018, Andhra Pradesh
Tel: +91-40-23712224 Fax: +91-40-23202224
E - Mail: eia-hyderabad@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NAGERCOIL
75-A, Court Road, Sankar Building,
NAGERCOIL, Pin: 629001, Tamil Nadu
Tel: +91-465-232704 Fax: +91-4652-2327 04
E - Mail: eia-nagercoil@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: TUTICORIN
No. 271, Aishwariya Towers,
Sivanthakulam Road, TUTICORIN,
Pin: 628003, Tamil Nadu
Tel: +91-461-232061 Fax: +91-461-2339182
E - Mail: eia-tuticorin@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: VISAKHAPATNAM
D.No. 43-18-10/4, T.S.N. Colony,
3rd Floor, Hero Honda Show Room, Visakhapatnam, Pin: 530016, Andhra Pradesh
Tel: +91-891-2747141 Fax: +91-891 - 2747141
E - Mail: eia-vizag@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NELLORE
3rd Floor, South Wing, G.K.Imperial Towers,
Door No. 23, Plot No. 468, Kings Court,
Magunta Layout, Nellore, Pin: 524003, Andhra Pradesh
Tel: +91-861-359900 / +91-861-2354400
E - Mail: eia-nellore@eicindia.gov.in

150

YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

नियात निरीक्षण परिषद्

EXPORT INSPECTION COUNCIL

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry Govt. of India
दूसरी मंजिल, बी-प्लेट. ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर,
2nd Floor, B-Plate, Block-1, Commercial Complex,
पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023
East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023